Wednesday, 24 July, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र / Fifth Session]

[खंड 18 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. 18 contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 3, बुधवार, 24 जुलाई, 1968/2 श्रावण, 1890 (शक)

No. 3-Wednesday, July 24, 1968/ Sravana 2, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तां० प्र० संख्या S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
61. प्रतिरक्षा विभाग का लोक सम्पर्क निदेशालय	Directorate of Public Relations of Defence Department	409–10
62. नागालैंड में युद्ध विराम की अवधि बढ़ाना	Extension of Cease Fire in Nagaland .	410—15
63. पाकिस्तान में अमरीकी इलेक्ट्रानिक अड्डा	US Electronic base in Pakistan. . .	415—19
64. समाचारपत्रों में साम्प्रदायिक प्रचार	Communal Propaganda in Press . .	419—23
65. पाकिस्तान जैट विमानों का भारतीय राज्यक्षेत्र पर से उड़कर जाना	Overflying of Pakistan Jets on Indian Territory	424—26

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तां० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
66. नेपाल में प्रक्षेपणास्त्र के हिस्सों का पाया जाना	Missile Parts Found in Nepal	426
67. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्य	U. N. Peace keepimg Operations . .	26–27
68. नेपाल को वित्तीय सहायता	Financial Aid to Nepal	427
69. आदिम जाति विकास कार्यक्रम	Tribal Development Programme . .	427
70. पाकिस्तान द्वारा हथियारों के संबंध में सौदे	Arms deal by Pakistan . .	428

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
71.	पाकिस्तान के साथ संबंध	Relations with Pakistan	428
72.	शक्तिमान ट्रकों का निर्माण	Manufacture of Shaktiman Trucks	429
73.	गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता में सड़क कूटने के इंजनों का निर्माण	Manufacture of Road Rollers at Garden Teach Workshop, Calcutta	429-30
74.	परमाणु हथियारों के बारे में अमरीका और रूस के बीच बातचीत	USA USSR talks on Nuclear Weapons	430
75.	भारत और पाकिस्तान की पूर्वी सीमाओं का सीमांकन	Demarcation of Indo-Pak Eastern Boundaries	430-31
76.	बर्मा सरकार द्वारा रद्द किये गए भारतीय करेंसी नोट	Indian Currency notes cancelled by Burmese Government	431-32
77.	लंदन स्थित चीनी दूतावास द्वारा श्री फिजो को सहायता	Chinse Embassy in London helping Mr. Phizo	432
78.	चौथी योजना का प्रारूप	Draft Fourth Plan	432
79.	चौथी योजना के लिये संशोधन	Resources for Fourth Plan	433
80.	प्रधान मंत्री की दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा पर चीन की प्रतिक्रिया	Chinese reaction to P. M's tour of S.E. Asian Countries	433
81.	प्रतिरक्षा उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Defence Stores	433-34
82.	पाकिस्तान को अमरीकी पटन टैंकों का विक्रय	Sale of USA Patton Tanks to Pakistan	434-35
83.	कच्छ के रन में सीमांकन कार्य	Demarcation of Boundary in Rann of Kutch	435
84.	भारत तथा अमरीका के बीच नियमित बैठकें	Regular meetings between India and USA.	435-36
85.	एशियाई देशों में भारतीय राजदूतों के साथ प्रधान मंत्री की बैठक	Prime Minister's Meeting with Indian Ambassadors to Asian Countries	436
86.	रोजगार के अवसर तथा न्यूनतम मजूरी	Employment opportunities and Minimum Wages	436-37
88.	भारत में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का वक्तव्य	Pak. Foreign Minister's Statement regarding Communal Riots in India	437

तां० प्र० संख्या

S. Q. Nos.	विषय	SUBJEBT	पृष्ठ/PAGES
89.	भारतीय विमानों द्वारा सीमा उल्लंघन के सम्बन्ध में चीन द्वारा आरोप	Chinese Allegation of Intrusions by Indian Planes	437
90.	काश्मीर के संबंध में पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन	Turkish Support to Pakistan on Kashmir	438
अतारांकित प्रश्न संख्या			
578.	प्रधान मंत्री की भूटान की यात्रा	Visit by Prime Minister to Bhutan	438–39
579.	अम्बझरी आयुध कारखाना	Ambazhari Ordnance Factory	439
580.	सेवा निवृत्त सैनिकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Retired Soldiers	439-40
581.	अणु शक्ति आयोग	Atomic Energy Commission	440
583.	आकाशवाणी द्वारा आदिम जातियों का बोली में कार्यक्रम	Tribal Programme by AIR·	440–41
584	वृत्त चित्र	Film Documentaries . · ·	441
585.	विदेशों में भारतीय प्रतिनिधि	Indian Representatives abroad · ·	441–42
586.	संसद् सदस्यों के लिये टेलीविजन	Television Sets for M. Ps. · ·	442
587.	नदी जल के बटवारे में हेलसिंकी नियम	Helsinki Rules *re.* Sharing of River Waters	442—44
588.	भूतान को सहायता	Aid to Bhutan	444
589.	वाणिज्यिक टेलीविजन सैट्स	Commercial T. V. Sets	444–45
590.	उघ्वधिर विमानों का निर्माण	Manufacture of Vertical Type Aeroplanes	445
591.	प्रतिरक्षा प्रचार विभाग	Defence Publicity Department ·	445
592.	राष्ट्रीय छात्र सेना दल के सीनियर डिवीजन	N. C. C. Senior Divisions · ·	445–46
593.	चौथी योजना को तैयार करना	Formulation of Fourth Plan ·	446
594.	आकाशवाणी को स्वतन्त्र निगम में बदलना	Conversion of A. I. R. into Independent Corporation	446–47
595.	मद्रास में छात्र सेना दल पर से प्रतिबन्ध हटाना	Lifting of Ban on NCC in Madras ·	447
596.	भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता	Bilateral Talks between India and other Countries	447

अ० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
597.	पाकिस्तान के सैनिक प्रतिनिधि मण्डल की रूस यात्रा	Visit by Pak. Military Delegation to USSR	447-48
598.	निर्वासित नागालैंड सरकार	Naga Government in Exile . .	448
599.	गार्डनरीच वर्कशाप, कलकत्ता में इंजनों का निर्माण	Manufacture of Engines at Garden Reach Workshop, Calcutta	449
600.	विदेशों में भारतीय राजदूत	Indian Ambassadors in Foreign Countries	449
601.	आकाशवाणी के माध्यम से संस्कृत का शिक्षा पाठ	Sanskrit Lessons through AIR	449-50
602.	मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन (मई, 1968)	Chief Ministers' Conference (May, 1968)	450
603.	परमाणु बिजलीघर के लिये स्थान	Site for Nuclear Power Station	450
604.	सिकियांग गिलगित सड़क	Sinkian Gilgit Road	451
605.	नागाओं के साथ मुठभेड़े	Clash with Nagas .	451-52
606.	सामाचार पत्रों को सहायता	Assistance to Newspapers	452-53
607.	शक्तिशाली ट्रांसमिटर	High Power Transmitters . .	453
608.	लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग के लिपिक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Clerical Staff of Indian High Commission London	453-54
609.	आकाशवाणी के प्रसारणों में गड़बड़ी	Interruption in AIR Broadcasts .	454
610.	भारत और मलयेशिया के बीच बातचीत	Indo-Malaysia Talks . . .	455
611.	इलाहाबाद रेडियो स्टेशन से साम्प्रदायिक दंगों के बारे में प्रसारण	Broadcast by Allahabad Radio Station on Communal Riots	455-56
612.	पाकिस्तान में नजरबन्द दिल्ली का एक विद्यार्थी	Delhi Student detaind in Pakistan .	456
613.	पाकिस्तान द्वारा एक और इच्छोगिल नहर का निर्माण	Construction of another Ichhogil Type Canal by Pak.	457
614.	जवानों के लिये फर के पाजामे	Fur Pyjamas for Jawans .	457-58
615.	भारत में पनडुब्बियों का निर्माण	Manufacture of Submarines in India	458
616.	गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता में भर्ती	Recruitment in Garden Reach Work-shop, Calcutta	458-59

अ० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
617.	गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता	Garden Reach Workshop, Calcutta .	459
618.	गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता	Garden Reach Workshop, Calcutta .	460
619.	रूस के साथ करार	Agreement with USSR . .	460-61
620.	नेफा और नागालैण्ड में विमानों से रसद गिराना	Air dropping of supplies in NEFA and Nagaland	461
621.	वैदेशिक कार्य मंत्रालय में सलाहकार समितियां, बोर्ड आदि	Advisory Committees, Boards in External Affairs Ministry	461-62
622.	विदेश गये प्रतिनिधिमंडल तथा अधिकारी	Delegations and Officials who went abroad	462
623.	प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings Under Defence Mininstry	462-63
624.	समाचारपत्रों के लिये वित्त निगम	Finance Corporation for Newspapers .	463
625.	परमाणु अस्त्र अप्रसार सन्धि पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान	Voting in UN General Assembly on Nucear Non-proliferation Treaty .	463-64
626.	1964 का भारत-श्रीलंका करार	Indo-Ceylon Agreement of 1964 . .	464-65
627.	टेलिविजन केन्द्रों का विस्तार	Expansion of Television Centres . .	465-66
628.	ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन	British India Corporation . .	466
629.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का दूसरा कारखाना	Second unit of Bharat Electronics Limited .	466
630.	1967—68 योजना लक्ष्य में कमी	Shortfall in 1967-68 Plan Target . . .	467
631.	हिन्द महासागर में सैनिक अड्डे	Military bases in Indian Ocean . .	467-68
632.	नागाओं के साथ बातचीत	Talks with Nagas	468
633.	नागाओं तथा चीन और पाकिस्तान के बीच सहयोग	Collaboration between Nagas and China and Pakistan	468-69
634.	पाक सैनिक शक्ति	Pak. Military Strength . . .	469
635.	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट	Staff Artistes of AIR . . .	469-70

अ० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
636.	गंगटोक में "इन्डिया हाउस"	"India House" in Gangtok	470
637.	परमाणु आक्रमण से सुरक्षा की घोषणा	Declaration of Security against Nuclear Aggression	470-71
638.	पाकिस्तान में हरिजन	Harijans in Pakistan. . . .	471
639.	करनाल में ट्रांसमिटर लगाया जाना	Setting up of a Transmitter at Karnal .	471
640.	पैकिंग स्थित भारतीय दूतावास	Indian Embassy in Peking . . .	472
642.	चीन के साथ भारत के सम्बन्ध	India's Relations with China . .	472-473
643.	आकाशवाणी से विज्ञापनों का प्रसारण	Commercial Broadcasts by AIR . .	473
644.	राष्ट्रमण्डल के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन	Commonwealth Prime Minister's Conference	473-74
645.	नई दिल्ली-वाशिंगटन-मास्को हाट लाइन	New Delhi-Washington-Moscow Hot Line .	474
646.	गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का शिखर	Non-aligned Summit Meeting . . .	474-75
647.	पाकिस्तान के लिये अमरीकी हथियार	US arms for Pakistan	475
648.	परमाणु अस्त्र विहीन देशों का सम्मेलन	Conference of non-nuclear weapon States .	476
649.	नाइजीरिया में राष्ट्र-मण्डलीय शान्ति सेना	Commonwealth Peace Keeping Force in Nigeria	476
650.	पेरिस में वियतनाम शान्ति वार्ता	Vietnam Peace talks in Paris . .	476-77
652.	भारतीय वायु सेना के डकोटा विमानों की दुर्घटना	Crash of IAF Dakotas . . .	477
653.	काश्मीर के बारे में उत्तरी वियतनाम द्वारा पाकिस्तान का कथित समर्थन	North Vietnam's Reported Support to Pakistan on Kashmir	477-78
655.	रोपड़ (पंजाब) में छोटे हालीवुड स्टुडियो	Mini Hollywood studio in Rupar (Pun ab) .	478
656.	केनिया से भारतीयों का निकाला जाना	Evacuation of Indians from Kenya . .	478
657.	परमाणु राष्ट्र के रूप में चीन	China as a Nuclear State	479

अ० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
658.	तिब्बत सम्बन्धी भारतीय नीति	India's Policy on Tibet . . .	479
659.	आल इण्डिया डिफेंस एम्पलाईज फैडरेशन द्वारा सांकेतिक हड़ताल	Token strike by All India Defence Employees Federation.	479–80
660.	बी० बी० सी० रेडियो पर मदर टैरेसा की इन्टरव्यू	Interview with Mother Terreassa by B. B. C.	481
661.	सीमा सड़क संघठन में पायनियार	Pioneers' in Border Roads Organisation . .	481
662.	जम्मू तथा काश्मीर में सैनिक इंजीनियरी सेवा के कर्मचारियों को फील्ड एरिया भत्ता	Field Area Allowance to MES Workers in J&K . .	481–82
663.	शहजादपुर में टैगोर के निवास स्थान पर पूर्वी पाकिस्तान की सरकार द्वारा कब्जा	Residence of Tagore at Sahajadpur seized by E. Pak. Government	482–83
664.	आयुध कारखानों द्वारा निर्मित छोटे हथियारों की खुली बिक्री	Open Sale on Small arms Manufactured by Ordenance Factories	483
665.	अनपैक्ड पड़े आयातित ट्रांसमिटर	Imported Transmitters lying unpacked .	483–84
666.	बाल चलचित्र समिति	Children's Film Society	484
667.	प्रधान मंत्री का आस्ट्रेलिया का दौरा	Prime Minister's visit to Australia . . .	484
668.	कीनिया में भारतीय	Indians in Kenya	484
669.	परमाणु अस्त्र अप्रसार सन्धि	Nuclear non-proliferation Treaty . .	485–86
670.	ईरान को अमरीकी शस्त्रों का सम्भरण	Supply of US Arms to 'Iran . . .	486
671.	चीन द्वारा हथियारों का विकास	Development of weapons by China . .	486-87
672.	नागाओं के बारे में आबजर्वर लन्दन में लेख	Article in Observer London on Nagas .	487
673.	दरभंगा में रेडियो स्टेशन	Radio Station at Darbhanga . .	487-88
674.	भारत-पाक सम्बन्धों पर रूस के प्रधान मंत्री से बातचीत	Discussion with USSR PM on Indo-Pak. Relations	488

ग्र० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
675.	वियतनामी प्रकाशनों पर प्रतिबन्ध	Ban on Vietnamese Publications . .	488
676.	दक्षिण अफ्रीका तथा रोडेशिया के स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को सहायता	Aid to Freedom Fighters in South Africa and Rodesia . . .	488-89
677.	आकाशवाणी के केन्द्र	AIR Stations	489
678.	तारापुर परमाणु बिजली घर में दरार	Crack in Tarapore Atomic Power Station	489-90
679.	रोडेशिया	Rhodesia	490
680.	जाम्बिया की सरकार द्वारा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Industries by Zambian Government . .	490-91
681.	रूस तथा यरोपीय साम्यवादी देशों को भारतीय पर्यटक	Indian Visitors to USSR and European Communist Countries . . .	491
682.	पाकिस्तान जट विमानों का भारत पर से उड़ कर जाना	Overflying of Pak. Jets . . .	491-492
683.	दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को दिये गये वचन	Commitments and Promises made to Countries of South East Asia .	492-494
684.	चीन में चले गये नागा नेता	Naga Leaders in China . . .	494
685.	पश्चिमी जर्मनी और इटली द्वारा पाकिस्तान को टैंकों की सप्लाई	Supply of Tanks by West Germany and Italy to Pakistan . . .	495
686.	मुंघेर-भागलपुर सड़क पर बेकार पड़ी मशीनें	Machinery lying Idle on Monghyr-Bhagalpur Road . . .	495
687.	सरकारी उपक्रम व्यूरो	Bureau of Public Enterprises . .	495-96
688.	मलयेशिया में राष्ट्रमंडल देशों की बैठक	Meeting of Commonwealth Countries in Malaysia . . .	496
689.	पाकिस्तान द्वारा सीमा का उल्लंघन	Border violations committed by Pak .	496
690.	सैनिक मोटर गाड़ियों के टायरों की देख-रेख	Upkeep of Tyres of Military Vehicles	496-497
691.	चीन द्वारा भारत वि रोधी प्रचार	Anti Indian Propaganda by China . . .	497
692.	पाकिस्तान के लिये फ्रांसीसी टैंक	French Tanks for Pakistan . . .	497

अ० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
693.	नेपाल पाकिस्तान व्यापार के लिये पारगमन सुविधायें	Transit Facilities for Nepal Pakistan Trade	497-98
694.	पाकिस्तान द्वारा जम्मू में हीरानगर तहसील में भूमि पर कब्जा	Occupation of Land in Hira Nagar Tehsil in Jammu by Pakistan	498
695.	संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा परमाणु अस्त्र-विहीन देशों के सम्मेलन का आयोजन	UN Conference of Non-Nuclear Weapon States	498
696.	गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिये राजनयिक पारपत्र	Diplomatic Passports for non-officials .	498
697.	राजनयिक पासपोर्ट	Diplomatic Passports	499
698.	राजनयिक पारपत्र जारी करना	Issue of Diplomatic Passports .	499
699.	भारतीय फिल्म उद्योग में संकट	Crisis in Indian Film Industry . .	499
700.	प्रतिरक्षा योजना	Defence Plan	500
701.	वैदिक काल में गोमांस के प्रयोग के बारे में खाद्य मंत्री का वक्तव्य	Statement of Food Minister *re.* use of beef in Vedic era	500
702.	निरामिष भोजी सैनिकों का आहार	Diet of Vegetarian Military Personnel .	500-501
703.	संसद् सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में समाचार	News about arrest of M. Ps. . . .	501
704.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के मामले	Corruption and Bribery cases in I.& B. Ministry . . .	501-502
705.	श्री फिजो के साथ बातचीत	Talks with Mr. Phizo	502
706.	प्रधान मंत्री की सिक्किम के महाराजा के साथ बातचीत	P. M's. Talks with Maharaja of Sikkim .	502
707.	भारतीय वायु सेना में छंटनी	Retrenchment in Indian Air Force .	503
708.	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार के नये अवसर	New job opportunities during 4th Plan Period	503
709.	रेडियो पीस एंड प्रोग्रेस	Radio Peace and Progress. . . .	503-504

अ० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
710.	प्रेस सूचना विभाग द्वारा नोबोस्तो को सप्लाई किये गये लेख	Articles supplied by PIB to Novosti .	504
711.	भारत में समाचारपत्रों के लिये स्वैच्छिक आचार संहिता	Voluntary Code of Conduct for the Press in India	505
712.	समाचारपत्र सम्पर्क समिति	Press Liasion Committee . . .	505
713.	1968–69 के लिये वार्षिक योजना	Annual Plan for 1968-69 . .	505-506
714.	पूर्वी जर्मनी के साथ सम्बन्ध	Relations with East Germany . . .	506
715.	प्रतिरक्षा उत्पादन	Defence Production . .	506-507
716.	नाइजीरिया में भारतीय राष्ट्रजन	Indian Nationals in Nigeria .	507-508
717.	टेलिविजन सेवा	Television Service	508
718.	चौथी योजना में सामंजस्य स्थापित करना	Dovetailing of Fourth Plan . . .	508-509
719.	विद्रोही नागा नेता श्री खुगोतो सुखई का वक्तव्य	Statement of Mr. Kughato Sukhai Rebel Naga Leader	509
720.	नौसेना के अधिकारियों के कब्जे में धनराज महल, बम्बई का उसके मालिक को दिया जाना	Dehiring of Dhanraj Mahal Bombay in occupation by Naval Officers . . .	509-510
721.	फिल्मी कलाकारों को सहायता	Relief to Film Artistes	510
722.	विदेशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations with Foreign Countries	510-11
723.	दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में भारत के विरुद्ध प्रचार	Campaign against India in SE Asian Countries	511
724.	तारापुर अणु बिजली संयंत्र का चालू होना	Commissioning of Tarapore Atomic Power Plant	512
726.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग	National Sample Survey . .	512

अ० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
727.	भारतीय वायु सेना में असैनिक कर्मचारी	Civilian Employees in Indian Air Force	512–13
728.	भूतपूर्व सैनिकों का प्रशिक्षण	Training to Ex-service men	513–14
729.	पाकिस्तान स्थित चेकोस्लोवाकिया के राजदूत का काश्मीर के बारे में वक्तव्य	Statement by Czechoslovakian Ambassador to Pakistan *re.* Kashmir	514
730.	विदेशों की सद्भावना यात्रा	Goodwill Missions to Foreign Countries	514–15
731.	बच्चों के लिये रेडियो सैट	Radio Sets for Children	515
732.	फिल्म परिषद्	Film Council	515
733.	उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र	Backward Areas of Orissa . .	515–516
734.	प्रतिरक्षा सेवाओं में धन का गोलमाल	Misappropriation in Defence Services	516
736.	केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की आलोचना	Criticism against Central Board of Film Censors	516–17
737.	सेन्ट्रल कमान के अन्तर्गत छावनी बोर्डों में नैमित्तिक मजदूर	Casual Labour in Cantonment Boards under the Central Command . . .	517
738.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	Bharat Electronics Ltd. . .	517–18
739.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन समितियां	Committees under Ministry of Information and Broadcasting . . .	518
740.	चीन से आने वाले नागाओं के बारे में जांच पड़ताल	Checking of Entry of Nagas coming from China	518
741.	ब्रिटिश उच्चायुक्त के कार्यालय में भारतीय कर्मचारी	Indian Employees in British High Commissioner's Office	518–19
742.	परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी संधि	Nuclear non-proliferation Treaty	519
743	गीत तथा नाटक डिवीजन में भर्ती किये गये स्टाफ आर्टिस्ट	Staff Artistes recruited in Song and Drama Division	519–20
744.	उपमंत्री द्वारा उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा	Visit of Deputy Minister to drought Affected Areas of Orissa	520

अ० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
745.	उड़ीसा के सम्भरण मंत्री के इस्तीफे के बारे में समाचार	News re. resignation of Supply Minister of Orissa	520–21
747.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यावसायिक प्रशिक्षु	Scheduled Caste and Scheduled Tribe Trade Apprentices	521
748.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण	Apprenticeship Training . .	522
749.	सशस्त्र सेना के जवान	Armed Forces Personnel . .	522
750.	परमाणु बम तथा प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण	Manufacture of Nuclear Bomb and Missiles	522–23
752.	पड़ौसी देशों के साथ भारत की सीमा	India's Border with neighbouring countries .	523
753.	पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा	Security of Eastern Borders	523
754.	पाकिस्तान सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए भारतीय	Indians arrested by Pak Government .	524
755.	अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	International Film Festival	524
756.	भारतीय ऊर्जा सर्वेक्षण समिति	Energy Survey of India Committee .	525
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	525–26
	निजी थैलियों का समाप्त किया जाना	Abolition of Privy Purses . . .	525–26
	उप-प्रधान मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privileges Against the Deputy Prime Minister	526—29
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	529–30
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	530
	बत्तीसवां प्रतिवेदन	Thirty-second Report . .	530
	याचिका का प्रस्तुत किया जाना	Presentation of Petition	530
	दिल्ली में प्रथम स्रोत पर विक्रय कर लागू करना	Introduction of First Point Sales Tax in Delhi	530
	कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee . .	530—32

विषय	Subject	पृष्ठ /Pages
उन्नीसवां प्रतिवेदन	Nineteenth Report	530–32
सीमा सुरक्षा बल विधेयक	Border Security Force Bill .	532—50
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	532—50
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta .	532–33
श्रीमती इलापाल चौधरी	Shrimati Ila Palchoudhuri	533–34
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	534–35
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji .	535-36
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	536
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	536–37
श्री तन्नैटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham.	537–38
श्री हेम राज	Shri Hem Raj	538
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai	538
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	539
श्री यशवन्त राव चह्वाण	Shri Y.B. Chavan . .	539—41
खंड 2 से 142 और 1	Clauses 2 to 142 and 1 . . .	541—43
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended . .	541—43
श्री यशवन्त राव चह्वाण	Shri Y.B. Chavan . .	543—48
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu . .	548
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad .	549
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	549
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes .	549
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai . .	549–50
अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में भारतीय चाय के मूल्य के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	Half-an-hour Discussion *re.* Price of Indian Tea in International Markets .	550—54
श्री ज्योतिर्मय बसु . .	Shri Jyotirmoy Basu . . .	550—53
श्री मुहम्मद शफी कुरैशी .	Shri Mohd. Shaffi Qureshi .	553–54

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 24 जुलाई, 1968/2, श्रावण, 1890 (शक)

Wednesday, July 24, 1968/Sravana 2, 1890 [Saka]

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्रतिरक्षा विभाग का लोक-सम्पर्क निदेशालय

*61. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अध्ययन दल प्रतिरक्षा विभाग के लोक-सम्पर्क निदेशालय के कार्यों की जाँच कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त दल का क्षेत्राधिकार क्या है इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि अध्ययन दल के सदस्य प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा लोक-सम्पर्क निदेशालय के अधिकारी हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त दल में सैनिक अधिकारियों को शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (घ). जनसम्पर्क निदेशालय के कार्यों का कोई अध्ययन दल निरीक्षण नहीं कर रहा है। तदपि, एक अध्ययन ग्रुप जिस में सेवाओं के दो अफसर शामिल हैं, इस निदेशालय के सैनिक समाचार विभाग के सम्पादकीय, प्रशासनिक तथा व्यापारिक पहलुओं का निरीक्षण कर रहा है। यह अध्ययन ग्रुप इस पत्रिका के वर्तमान व्यापारिक ढंगों और कार्यकारिणी प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के उपायों का सुझाव देने के लिए स्थापित किया गया है ।

Shri Kameshwar Singh : Mr. Speaker, according to Chanda Committee Report, the officers of Press Information Bureau are appointed on the post of the Director of Public Relations. It was suggested therein that only the officers belonging to Armed Forces should be appointed as Directors. May I know the reason why this recommendation has not been implemented so far ?

श्री मं० रं० कृष्ण : सेना सम्बन्धी समाचार पत्रों के सम्पादन और संचालन पर विचार करते समय हमें सेना के हितों का भी ध्यान रखना होता है । अपेक्षित कार्यवाही करने और अन्य विभिन्न अभिकरणों से परामर्श करने के पश्चात् हम इन प्रकाशनों के प्रकाशन आदि के लिये योग्य व्यक्तियों को चुनते हैं ।

Shri Kameshwar Singh: Sir, the Minister has stated in his answer that an inquiry Committee had been set up to look into the matter. May I know whether most of the members of the said Committee are the officers of the Directorate, if so, the reasons therefor ?

श्री मं० रं० कृष्ण : सैनिक समाचार नौ भाषाओं में छपता है और उसकी लगभग 20,000 प्रतियाँ छपती हैं । इस समिति में सैनिक अधिकारी तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं । हम चाहते थे कि इसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी भी सम्मलित हों । अब हम इस जाँच समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रतिवेदन के आधार पर ही यह निश्चय करेंगे कि भविष्य में क्या कार्यवाही की जाये ।

नागालैंड में युद्ध-विराम की अवधि बढ़ाना

*62 **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० कुण्डू :
श्री हेम राज :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में युद्ध-विराम की अवधि एक मास बढ़ा दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) युद्ध-विराम शब्द गलत है । युद्ध की कार्रवाइयाँ बंद कर देने के समझौते की अवधि 31 जुलाई, 1968 तक बढ़ा दी गई है ।

(ख) यह राज्य सरकार के परामर्श से और राज्य की समग्र स्थिति के मूल्यांकन को दृष्टि में रखते हुए किया गया है ।

Shri Yashpal Singh : Sir, cease-fire takes place between two fighting nations. But Nagaland is a part of our country and some Nagas are hostiles. May I know why this question is being replied by the Minister of External Affairs instead of the Minister of Home Affairs ? Secondly, why are they not prepared to observe peace in accordance with the recommendations of the Peace Observer Team ?

Shri Surendra Pal Singh : The recommendations of Peace Observer Group have always been implemented. If he quotes any specific recommendation, I will give information about that.

Shri Yash Pal Singh : Why are they being given equal status or being invited to conference table in spite of the fact that they are hostile ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) ; This issue has been discussed several times. This proposal was brought forward before the House by late Shri Lal Bahadur Shastri.

श्री हेम राज : क्या यह सच नहीं है कि पिछली मुठभेड़ में विद्रोही नागाओं का पाकिस्तान और चीन से सम्पर्क सिद्ध हो गया है ? क्या हमारी सेना को उन पर गोली न चलाने और उनके गाँवों की तलाशी न लेने का आदेश दिया हुआ है ? क्या सरकार उन नागाओं के प्रति कड़ा रुख अपनायेगी जो सीमा पार करके विदेशों में जाते हैं या वहाँ से वापस आते हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह बात तो सर्वविदित है कि नागाओं का चीन और पाकिस्तान से सम्पर्क बना हुआ है । सरकार इसके प्रति पूर्णतः जागरुक है और ऐसी कार्यवाही कर रही है जिससे उनका उन देशों को आना-जाना रुक जाये । जहाँ तक उनके गाँवों की तलाशी आदि लेने का सम्बन्ध है राज्य द्वारा नियंत्रित सुरक्षा पुलिस और सामान्य पुलिस को ऐसा कार्यवाही करने के लिये आदेश मिले हुए हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, it has been told that the period of the Agreement on the suspension of operations has been extended upto 31st July 1968. Should I understand that this period will not be extended further *i.e.* after 31st July 1968. In view of the fact that Naga rebels are receiving arms from the Communist China and violating the terms of Agreement ?

Shri Surendra Pal Singh : Sir, the policy of the Government of India is that every problem should be solved in a peaceful manner and in persuance of the same we extend the period of the Agreement with the earnest hope that this matter will also be settled in peaceful manner. So long as they will fulfil the terms of agreement. we will go on considering the question of extension of the period.

An Hon. Member : But they are violating it.

Shri Surendra Pal Singh : Where there are cases of violation, we are taking actions accordingly.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I wanted to know why the period of the Agreement was extended upto July 31, when they are violating the terms of the Agreement ?

Shrimati Indira Gandhi : It will not be proper to disclose what actions we are going to take. We have a constant look on the situation of Nagaland, While considering this problem, we take the opinions of Nagaland Government and security forces into account. I request the hon. Members not to force us to disclose what will make the delicate situation more difficult.

श्री रा० बरुआ : क्या यह सच है कि चीन से प्रशिक्षण प्राप्त नागा विद्रोही अब नागालैंड के बजाय आसाम के सीमान्त क्षेत्रों में युद्ध की कार्यवाही करना चाहते हैं ; यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मेरा यह अनुमान है कि आसाम स्थित सुरक्षा पुलिस इस नई परिस्थिति से अवगत होगी और वह यथोचित्त कार्यवाही करेगी ।

श्री रंगा : कुछ समय पूर्व मैंने यह सुझाव दिया था कि इस मामले के सम्बन्ध में विरोधी दलों के नेताओं को विश्वास में लिया जाये जिससे उन्हें यह पता लगता रहे कि इस स्थिति से निपटने के लिये सरकार नागालैंड सरकार के परामर्श से क्या कार्यवाही करने जा रही है । प्रधान मंत्री ने इसे मान लिया था । फिर ऐसी बैठक क्यों नहीं बुलाई गई ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं इस सुझाव से पूर्णतः सहमत हूं । परन्तु संसद् के सत्रावसान के समय सब लोग इधर-उधर चले जाते हैं । यदि विरोधी दलों के नेता ऐसी बैठक का प्रायोजन करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी ।

Shrimati Sushila Rohatgi : May I know whether it is a fact that the people of Nagaland have organized the United National Force in order to check any kind of interference of some external power in to the affairs of Nagaland State ?

Shri Surendra Pal Singh : It is a fact that a large number of people in Nagaland are against the external interference. Nagas and their leaders understand it well that the contact of underground Nagas with the China is neither in the interest of Nagaland State nor it is in the interest of India as a whole. They are not giving any cooperation to such anti-national elements and they are making such efforts as will put a check on their crossing the borders.

श्री हेम बरुआ : 8 जून की जोत्स्मा की घटना से यह सिद्ध हो गया है कि नागा विद्रोहियों की चीन से साँठ-गाँठ हो गई है और वे वहाँ से हथियार आदि ला रहे हैं । सरकार ने ऐसी क्या कार्यवाही की है जिससे (क) नागा विद्रोहियों का चीन से सम्पर्क टूट जाये; (ख) नागा विद्रोही लोग चीन से प्राप्त हथियारों और युद्ध सामग्री का उपयोग अन्य नागाओं को प्रशिक्षित करने में न करें ? क्या यह भी सच है कि अब नागा विद्रोहियों के साथ बातचीत नहीं की जायेगी जैसा कि नागालैंड के राज्यपाल ने कहा है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : नागा विद्रोही लोगों की चीन से साँठ-गाँठ की सूचना हमने सभा को बहुत पहले दे दी थी । जोत्स्मा की घटना के बाद हमने ऐसी कार्यवाही की है जिससे चीन से आने वाले नागा भारत सीमा में प्रवेश न कर सकें । इसके लिये सुरक्षा बल को सचेत कर दिया गया है तथा उनकी संख्या बढ़ा दी गई है । राज्य सरकार ने अपने पुलिस बल को यह आदेश दे दिया है कि वह उन स्थानों का निरीक्षण करे जहाँ पर ऐसे प्रशिक्षण कैंप लगने की सम्भावना हो या जहाँ नागाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा हो ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : जहाँ तक बातचीत का सम्बन्ध है, विद्रोही नागाओं के साथ अभी बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री बसुमातारी : क्या नागा विद्रोहियों के नेता लोग अब बदल गये हैं ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : उनके नेताओं में प्रतिद्वन्द्विता चलती रहती है । इसीलिये यह कहना बड़ा कठिन है कि किसके साथ अधिक नागा हैं और किसके साथ कम ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या कारण है कि सरकार युद्ध की कार्यवाही बन्द करने के समझौते की अवधि बढ़ाने का निर्णय करके ही संतोष कर लेती है और समस्या की गहराई में जाकर उसका समाधान खोजने का कष्ट नहीं करती ? अन्ततोगत्वा हमें संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत को एक इकाई के रूप में देखना होगा और ऐसा कार्य करना होगा जिससे पहाड़ी लोगों तथा मैदानी क्षेत्र के लोगों में सद्भावना का उद्रेक हो ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : श्री मुकर्जी के विचारों से मैं सहमत हूं कि प्रतिरक्षा और विकास की दृष्टि से सम्पूर्ण क्षेत्र को एक इकाई माना जाये और मैदानी क्षेत्र के लोगों तथा पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में सद्भावना बढ़े । उस क्षेत्र की सामारिक महत्व की स्थिति और वहाँ की नाजुक स्थिति, वहाँ की मानवीय समस्या और क्षेत्र के एकीकरण की समस्या के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हैं ।

श्री पें वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के उप मंत्री, श्री जमीर ने प्रधान मंत्री को एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने उन उपायों का विवेचन किया है जिनसे विद्रोही नागा समस्या का समाधान हो सकता है; यदि हाँ, तो उक्त प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : उस प्रतिवेदन पर सभा में विचार करना उचित न होगा । परन्तु जब हम इस समस्या पर विचार करते हैं तो उस प्रदेश के किसी भी व्यक्ति के उन विचारों पर अवश्य ध्यान देते हैं जो इस समस्या के बारे में व्यक्त किये जाते हैं ।

श्री हेम बरुआ : श्री जमीर के प्रतिवेदन पर सभा में चर्चा करना क्यों उचित नहीं है ? क्या ऐसा करना लोक हित में नहीं होगा ?

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वैल ।

श्री स्वैल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि नागालैंड में कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की थी और क्या यह सच है कि नागालैंड में सैनिक कार्यवाही रोकने के साथ ही वहां की कानून और व्यवस्था सम्बन्धी जिम्मेवारी को राज्य सरकार को सौंपने का निर्णय भी किया गया है, यदि हां, तो मैं जानना चाहूंगा कि यह निर्णय किन नवीन परिस्थितियों के कारण लिया गया और क्या इस निर्णय के कारण नागालैंड की स्थापना करने वाले अधिनियम में कोई संशोधन करने की आवश्यकता होगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यदि मैं प्रश्न को ठीक से समझ सकी हूं तो माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि नागालैंड में कानून और व्यवस्था की जिम्मेवारी क्या वहां की राज्य सरकार पर है । (व्यवधान) निश्चय ही हम राज्य सरकार के हाथ मजबूत करना चाहते हैं और निश्चय ही वह वहां की कानून और व्यवस्था की देखभाल करती है और हम हर अपेक्षित रूप में सहायता कर रहे हैं । राज्यपाल और अन्य प्राधिकारियों का उस से सम्बन्ध होना स्वाभाविक ही है क्योंकि वह एक अशान्त-सा क्षेत्र है तथा वहां की स्थिति पर कई कोणों से दृष्टिपात करना पड़ता है । और मैं नहीं समझती कि इस सम्बन्ध में किसी परिवर्तन का प्रश्न उठता है ।

श्री स्वैल : प्रधान मंत्री महोदया की बात मैं समझता हूं परन्तु लोगों की शिकायत . . .

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग प्रश्न है ।

श्री स्वैल : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । अब तक नागालैंड के लोगों की यह शिकायत रही है कि उन पर विश्वास नहीं किया गया है तथा पूरी जिम्मेवारी नहीं सौंपी गई है । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वहां की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम उनकी सहायता कर रहे हैं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : मैं सरकार से यह जानना चाहूंगी कि क्या उसे इस का कुछ अनुमान है कि नागा उपद्रवी प्रशिक्षण लेने कब से चीन जा रहे हैं । और क्या उसे उन प्रशिक्षित नागाओं की संख्या का अनुमान है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : ठीक संख्या देना तो संभव न होगा । मोटा सा अनुमान यह है कि उन की संख्या 2 से 3 हजार होगी ।

श्री हेम बरुआ : कितनी लज्जा की बात है वहां नागा लोग चीन जा रहे हैं और मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्हें उन की संख्या का पता नहीं है ।

श्री कृष्ण मूर्ति : मैं अपना अनुपूरक प्रश्न अपनी नागालैंड की यात्रा की पृष्ठभूमि पर करना चाहूंगा जहां मैं एक दो दिन रहा तथा जहां मैंने सरकारी अधिकारियों, शान्ति-प्रेक्षकों तथा जनता से बातचीत की । युद्ध-विराम के पश्चात् वहां आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ है । मैं प्रधान मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि भारत सरकार को युद्ध-विराम की अवधि को थोड़ा-थोड़ा कर के बढ़ाने की क्या आवश्यकता है ? सरकार इस अवधि को वर्षों तक के लिये क्यों नहीं बढ़ा देती ताकि हम सुधारों तथा नागालैंड सरकार के आचरणों द्वारा वहां की स्थिति भी बदल सकें ? नागालैंड सरकार को ऐसा अनुभव होता है कि वहां के कानून और व्यवस्था का विषय राज्य सरकार को नहीं दिया गया है। नागालैंड के लिये पृथक से कोई राज्यपाल नहीं है । नागालैंड सरकार तो सीमाओं को अनुबद्ध करना चाहती है परन्तु भारत सरकार इस बारे में कुछ नहीं करती . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल चर्चा काल बनता जा रहा है । माननीय सदस्य भाषण कर रहे हैं। उन्हें अपना प्रश्न पूछना चाहिये ।

श्री कृष्ण मूर्ति: मैं प्रधान मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि उप मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में क्या ये तथ्य भी सम्मिलित हैं और क्या भारत सरकार सैनिक कार्यवाही के स्थगन की अवधि को और अधिक वर्षों के लिये बढ़ाने जा रही है और क्या वह राज्य सरकार की प्रार्थना स्वीकार कर रही है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं समझती हूं मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही परोक्ष रूप से दे चुकी हूं कि हम इस समझोते की अवधि को बढ़ाने का निर्णय वहां की स्थिति को देखकर समय-समय पर करते हैं । मैं नहीं समझती कि इस समय इस अवधि को वर्षों तक के लिये बढ़ाना उचित होगा ।

दूसरे प्रश्न में माननीय सदस्य ने नागालैंड सरकार की कुछ मांगों के बारे में कहा है । जैसाकि पहले मैंने कहा है तथा जैसा कि सब सदस्य महोदय जानते हैं वहां की स्थिति बड़ी नाजुक है तथा जब तक वहां शाँन्ति स्थापित नहीं हो जाती तब तक बहुत सी बातों का हल निकलना सम्भव नहीं होगा ।

उप मंत्री महोदय द्वारा व्यक्त बातों पर विचार किया जा रहा है ।

अधिकारियों ने मुझे बताया है कि नागा समस्या के बारे मे मैं विपक्षी दलों के नेताओं से भेंट की थी (व्यवधान) यह बैठक 10 मई को सांय 4 बजे मेरे कमरे में हुई थी । परन्तु हम इस सम्बन्ध में अवश्य ही फिर मिलेंगे ।

Shri K. N. Tiwari : Has the attention of the Government been drawn to this press report which says that Mr. Scott and Mr. Fizo want to have talks with the Government of Assam in connection with Nagaland once again and their correspondence is going on ? If so, is the Government going to follow certain new policy or only cease-fire will be discussed there ?

Shri Surendrapal Singh : There has been such a press report but we have received no information in this regard.

Shri S.M. Joshi : The people and the Government of Nagaland complain that both for Assam and Nagaland, they have only one Governor who stays in Shillong and has law and order in his hands ; therefore either the Governor be sent to Nagaland or the law and order be given to the State Government. Just now, our hon. friend Dr. Swell had put a straight question whether there has been some change in regard to providing the State Government

with law and order which had been with the Governor. I want to know whether you have taken any decision in regard to their demand of sending the Governor there ?

Shrimati Indira Gandhi : The law and order is with the State Government but since there exists a special situation, the Governor has been given *a special responsibility in the field of security*. But we have fulfilled all the demands of Nagaland Government in regard to their maintaining law and order. As regards a separate Governor, I don't think it proper at the moment.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इस बारे में सभा का मत जानना चाहता हूं मैं इस प्रश्न को पहले ही आधा घण्टा दे चुका हूं ।

Shri Molahu Prasad : Put in for half an hour more.

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो इस प्रश्न के लिये और एक घण्टा देने में भी कोई आपत्ति नहीं है । यदि एक घंटे तक चर्चा हो तो मैं इसे बहुत पसन्द करूंगा; यदि सदस्य चाहें तो और एक घंटे तक चर्चा कर लें । परन्तु यहां स्थिति यह है कि आधा घण्टा तो मैं दे चुका हूं और प्रश्न यह था कि क्या नागालैंड में युद्ध-विराम की अवधि एक मास के लिये और बढ़ा दी है यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं परन्तु मैं देखता हूं कि सारे नागालैंड के बारे में प्रश्न हो रहे हैं । बेशक सदस्य-गण प्रश्न पूछने को लालायित हैं । परन्तु केवल प्रश्न काल में इस समस्या का समाधान नहीं हो जायेगा । 50 सदस्यों ने अपने प्रश्न सभा-पटल पर रखे हैं । तथा वे उनके उत्तर चाहते हैं और मैं उन की सहायता भी करना चाहता हूं । यदि माननीय सदस्य इस पर एक घण्टा और चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

Shri Rabi Ray : There should be a formal debate on this issue.

अध्यक्ष महोदय : यह किसी अन्य अवसर पर हो सकता है, प्रश्न काल के समय नहीं ।

Shri Molahu Prasad : It is a very important issue.

Mr. Speaker : That is why you can take one hour more. They can take even one hour if they want but not during question hour.

श्री समर गुह : प्रधान मंत्री महोदय नागालैंड के बारे में एक पूरा वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बाद में उन्हें सुझाव दे सकते हैं ।

पाकिस्तान में अमरीकी इलक्ट्रोनिक अड्डा

*†63. **श्री वेदेन सेन :**
श्री मधु लिमये :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेशावर में महत्वपूर्ण इलक्ट्रानिक मानिटरिंग अड्डे के विस्तार के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में अमरीकी सरकार से कोई पत्र व्यवहार किया था; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलिराम भगत): (क) पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने 20 मई, 1968 को पाकिस्तान की नेशनल एसेम्बली में यह घोषणा की कि पाकिस्तान ने संयुक्त राज्य अमरीका को कहा है कि जुलाई 1969 में वर्तमान पट्टे का अन्त होते ही अमरीका अपना संचार अड्डा पेशावर के पास से हटा ले।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Deven Sen : Will the hon. Minister pleasé state what is the idea of Pakistan trying to close America's atomic base at Peshawar ? Does the Government of India have any special information in this regard ? Is it a fact that actually Pakistan wants to get more military help from America or she wants to get rid of American influence or she wants to come closer to the U.S.S.R. by getting American atomic base lifted from Pakistan ?

Shri B.R. Bhagat : The hon. Member has himself told the possible reasons. I will only say that Pakistan might have cared for her national interests and only then she must have thought of not letting it remain there ; and thus has given a notice in this regard.

Shri Deven Sen : What do you think about it and have you gathered any information from America in this behalf as to what is her policy in regard to giving military help to Pakistan. And will the hon. Minister please state whether Pakistan's foreign policy of making friends with all countries and getting all sort of help from wherever it is available, is becoming more successful that of India ; and that the image of Pakistan has come up quite high in Middle East and South East Asia ?

Shri B. R. Bhsgat : As answered earlier, they have not discussed anything with America in this behalf. As regards the supply of Military equipment to Pakistan by America the hon.Members are well aware that we have been opposing it throughout; and it is quite wrong to say that Pakistan's foreign policy has been more successful than that of ours (*Interruption*).

An hon. Member : She has more friends.

Shri B.R. Bhagat : It is very unforunate that whereas the whole world gives very high regard to India and here Government's foreign policy, we oursleves criticise and condemn that. It has been prevailing throughout. Our foreign policy has been honoured throughout the world.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह मानते हुए कि अमेरिका के परमाणु अड्डे से सम्बन्धित मामला पाकिस्तान का आन्तरिक मामला है, मंत्री महोदय ने यह कहा कि पाकिस्तान ने यह सब अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए किया होगा। मैं इस के संवैधानिक पहलु की बात नहीं करता। परन्तु, इसके, अतिरिक्त, इस भू-खण्ड की शान्ति और सुरक्षा को देखते हुए क्या मंत्री महोदय इस अड्डे के उठाये जाने को स्वागत योग्य समझते हैं, अथवा खेदपूर्ण समझते हैं या इस सम्बन्ध में उनकी और प्रकार की धारणा हैं या वह निष्पक्ष हैं ?

श्री बलिराम भगत : हमारा दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट है तथा हम इसका स्वागत करते हैं और हमने एक देश द्वारा दूसरे देश में ऐसे अड्डे स्थापित करने का सदैव विरोध किया है । यही हमारी मुख्य और आधारभूत नीति रही है । अतः इसमें कोई शक की बात नहीं है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : पिछले अवसर पर जब यह प्रश्न इस सभा में उठाया गया था तो मंत्री महोदय ने कहा था कि वह अमेरिका से इस मामले में पुनः विचार करने को कहेंगे । मैं जानना चाहूंगी कि क्या इस सम्बन्ध में कुछ किया गया अथवा इस मामले में अमेरिका सरकार से भारत सरकार ने बात की ? उस समय यह ज्ञात नहीं हुआ था और कम से कम सभा को यह सत्य नहीं बताया गया था कि पाकिस्तान इस अड्डे को हटवाने के बारे में विचार कर रहा है और उसने यह अड्डा खाली करने के लिये अमेरिका से कहा है । उस समय भारत सरकार ने कहा था कि वह इस मामले में अमेरिका सरकार से बातचीत करेगी । क्या मैं जान सकती हूं कि क्या ऐसा कुछ किया गया था ? क्या मैं यह भी जान सकती हूं कि क्या हमारे गुप्तचर सेवा को यह जानकारी थी कि सोवियत संघ इस अड्डे को हटवाने के लिये पाकिस्तान पर जोर डाल रहा था और यह मामला विचाराधीन था ? क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को कभी भी इस विषय में जानकारी थी ताकि इस अड्डे को उठाने से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये हम तैयार रहते और इस प्रकार अज्ञानता के शिकार न होते ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं माननीय सदस्या को विश्वास दिला सकती हूं कि हम कभी अज्ञानता के शिकार नहीं हुए ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं यह भी जानना चाहूंगी कि क्या हमारी गुप्तचर सेवा को भी इस बारे में कोई जानकारी रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अलग एक प्रश्न है ?

Shri Bal Raj Madhok : The hon. Minister has just now stated that it was the question of Pakistan's internal affairs as what policy she should follow . . .

Shri B. R. Bhagat : I never said it. The hon. Member had said it.

Shri Bal Raj Madhok : You have stated that she would follow her own policy in accordance with their own national interests.

I want to know whether it is a fact that so far only notice has been given and the lease is likely to be closed after one year, as also that Pakistan can indulge or has already indulged in some sort of bargaining against this base, if so, whether Government of India is aware of any such thing in this regard ?

May I also know whether it is a fact that it is also a reason for the removal of this b that since there has been some new developments in the field of missiles and the scientific equipments, the existing base and this method of gathering intelligence has become outdated .

Thirdly whether it is not a fact and the Government is aware of it that Pakistan demanded the closer of the base because there has been a shift in the policy of Russia and in her own policy; and if so, what is our raction ? We have always been told that there is no shift in the policy of Russia when it was decided that Pakistan was going to shift the base. Our diplomats never informed us that a definite shift was coming in the policy of Pakistan and Russia, and should have adjusted our policy accordingly .

Shri B.R. Bhagat : It is wrong to say that we had no information. We receive a lot of information but we do declare them immediately.

Shri Kanwar Lal Gupta : How can we know that you have got imformation or not.

Shri B. R. Bhagat : We inform when the time permits . We have information regarding many countries of the world but we do not declare them daily. The position is that the Foreign Minister of Pakistan has declared that they will close the base. When the declaration to close was announced then transaction cannot take place. We will inform yoy when we get some information within a year.

Shri Sitaram Kesari : I want to know whether it pertains only to the removal of this base from Peshawar or to establish it somewhere in Azad Kashmir or Gilgit after removing it from Peshawar .

Shri B. R. Bhagat. It is a matter of removal.

श्री नन्दकुमार सोमानी : कुछ देर पहले मंत्री महोदय ने अखबार में छपे हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री के विवरण को पढ़कर सुनाया । क्या वह अपने गुप्तचर विभाग से इसकी सत्यता प्रमाणित करा सकते और क्या यह सरकार की अखबार की सूचना पर आधारित सूचना है ।

फिर उन्होंने कहा है कि इस अड्डे पर अमरीका के अधिकारियों के साथ न कोई पत्र-व्यवहार हुआ है और न कोई चर्चा हुई है, चूंकि एक बड़ा तथा प्रभावशाली अमरीका का दल राजधानी में बातचीत के लिए आया हुआ है तो क्या सरकार बातचीत के विस्तृत प्रकाश में इसको भी शामिल करेगी ।

श्री ब० रा० भगत : प्रश्न के भाग (ब) में कि क्या इस पर हमारा कोई पत्र-व्यवहार हो रहा है इसके उत्तर में हमने 'नहीं' कहा है । परन्तु जैसे कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमें इसकी जानकारी है, हमारी सूचना है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का विवरण सत्य है ।

बातचीत के लिए कोई निर्धारित कार्यसूची नहीं है । कुछ मामलों पर बातचीत के लिए सहमति हो गई है ।

श्री रंगा : प्रश्न यह है कि क्या वे इस मामले को भी बातचीत के विस्तृत प्रकाश में शामिल करेंगे ।

श्री ब० रा० भगत : हमने शामिल नहीं किया है ।

श्री रंगा : सरकार कैसी बेवकूफ है ।

Shri Raghubir Singh Shastri : Whether the Government is aware that Pakistan is making transaction with America that the arms supply which was stopped by America after 1965, if revived by her, then Pakistan may agree to let the America have that base there.

श्री समर गुह : सरकार ने यह मालूम करने की कोशिश की है कि क्या अमरीकी सरकार का इस निश्चय, कि पेशावर के निकट इलेक्ट्रानिक सस्थापन को बन्द कर दिया जाय, का अर्थ यह होगा कि वे इसका संचालन बन्द कर दें और उस संस्थापन का नियंत्रण पाकिस्तान को सुपुर्द हो जाएगा और जिसका पाकिस्तान संचालन करेगा ।

श्री ब० रा० भगत : वर्तमान स्थिति यह है कि पाकिस्तान सरकार पट्टे के नवीकरण के लिए सहमत नहीं है । यह स्पष्ट नहीं है कि इस अड्डे को पाकिस्तान सरकार को सुपुर्द कर दिया जायेगा ।

श्री रंगा : तब तो आपको उनके साथ बातचीत करनी चाहिए थी ।

श्री ब० रा० भगत : यह एक बड़ी अभूतपूर्व बात होती ।

श्री समरगुह मैंने विशेषतः यह पूछा है कि सरकार ने इसकी सत्यता जांचने की कोशिश की है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्न समझ लिया है । उनका कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है ।

Shri Om Parkash Tyagi : Whether there is a planning behind this policy of Pakistan that she may be putting pressure on America through ultimatum to remove this base so that America may be able to compromise with India and Pakistan on this issue or help Pakistan. Whether America has tried to put pressure on India on account of this intimidation whether it is not. correct that the American Congress has given ultimatum to stop a large part of aid to this country and charged that they will not give aid to these countries who fight themselves and are making military preparation. Whether there is fear due to this ultimatum that America may put pressure on the Indian Government .

Shri B. R. Bhatgat : The American Government has not put any pressure on the issue of Kashmir. As far as the reduction of the aid is concerned, it is applicable on both India and Pakistan The curtailment will be applicable or both the Countries..

समाचार पत्रों में साम्प्रदायिक प्रचार

*64. **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार पत्रों में साम्प्रदायिक प्रचार को हस्तक्षेपीय अपराध बनाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक ऐसा किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे समाचारपत्रों पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है जो साम्प्रदायिक प्रचार करते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) 153 इण्डियन पैनल कोड तथा 505 इण्डियन पैनल कोड बिल (केवल साम्प्रदायिक मामलों से सम्बन्धित अपराध) का धाराओं के अन्तर्गत अपराधों को हस्तक्षेपीय अपराध बनाने के लिये सरकार कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर की अनुसूची II में संशोधन करने के लिये एक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखती है ।

(ख) आशा है कि विधेयक संसद् के वर्तमान अधिवेशन में पेश हो जायेगा ।

(ग) और (घ). भयानक असत्य या उत्तेजक समाचारों या विचारों, जिनसे साम्प्रदायिक तालमेल भंग होने, साम्प्रदायिक वैमनस्य बढ़ने या घृणा पैदा होने की सम्भावना हो, को रोकने के लिये पंजाब स्पेशल पावर्ज (प्रेस) एक्ट, 1956 के आधार पर एक विधान पेश करने का प्रस्ताव है।

श्री नि० रं० लास्कर : विलम्ब से सही, यह बहुत अच्छी बात है कि सरकार विधान द्वारा समाचारपत्रों द्वारा साम्प्रदायिक प्रचार पर रोक लगा रही है । परन्तु जब तक देश में लोकमत तयार नहीं किया जाता तब तक विधान तथा सरकारी कार्यवाही द्वारा इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, मैं जानना चाहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): श्रीनगर में हुई एकता समिति की बैठक में भी इस पर विचार हुआ और इस दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री नि रं० लास्कर : क्या सरकार ने समाचारपत्रों को अपने विश्वास में लेने और साम्प्रदायिक द्वेष के विरुद्ध देश में लोकमत तैयार करने की दिशा में कोई कदम उठाया है ।

श्री के० के० शाह : एकता समिति की बैठक समाप्त होने पर हम और गृह-मंत्रालय समाचारपत्रों से इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे कुछ साम्प्रदायिक पत्रों को विदेशी दूतावासों से सहायता मिल रही है, और वे विदेशी दूतावासों से सम्पर्क स्थापित किये हुए हैं, क्या ये विदेशी दूतावास समय-समय पर उनके पत्रों में छपने के लिए ऐसी खबरें देते हैं जो साम्प्रदायिक दंगों को भड़का देते हैं, अगर हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है, मंत्री महोदय ने कहा है कि ऐसी खबरों को छापने वाले समाचारपत्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, क्या आप पत्रकार और संम्वाददाता के विरुद्ध जो ऐसी खबरें भेजने के लिए उत्तरदायी हैं, कार्यवाही नहीं करेंगे ।

श्री के० के० शाह : अगर प्रश्न यह है कि क्या सरकार को मालूम है कि कुछ समाचारपत्रों द्वारा साम्प्रदायिक प्रचार फैलाने के लिए विदेशी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं माननीय मित्र से प्रार्थना करूंगा कि वे इसके लिए अलग सूचना दें ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : I want to know whether the Government has the knowledge about those papers who have tried to incite the communal riots; so, if which are those papers and what action has been taken against them.

श्री के० के० शाह : इस प्रकार नाम बताना हमारी परम्परा नहीं रही है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : No person like that the newspapers should indulge in communal propaganda. But sometimes the Government suppress newspapers belonging to opposition parties. Whether the Government will give assurance that no action will be taken in this respect against any newspaper unless the Court declares that it has made communal propaganda

Shri K. K. Shah : Whatever action will be taken in respect of newsprint, it will be done before we will go to the court after making full investigation of the case.

श्री तिरुमल राव : क्या प्रस्तावित विधान में यह कहा गया है कि इस प्रकार के लेख लिखने वाले समाचारपत्रों को दण्ड दिया जायेगा अथवा लेखक और संवाददाता के विरुद्ध, जो कि ऐसी सूचना के प्रचार के लिये उत्तरदायी हैं, कार्यवाही की जायेगी ?

श्री के० के० शाह : दोनो के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र ज्योति और दूसरे कई समाचारपत्रों, जिसमें पैट्रियट और लिंक शामिल हैं, पर साम्प्रदायिक समाचारपत्र बता कर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या कई संसद् सदस्य और सुप्रसिद्ध लेखकों ने इसके लिये आपके पास प्रतिनिधित्व नहीं किया है कि ये साम्प्रदायिक समाचारपत्र नहीं हैं ? अगर हां, तो मंत्री महोदय ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री के० के० शाह : यह समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था और कुछ सदस्यों ने मुझको भी लिखा था। हमने आंध्र प्रदेश सरकार को वास्तविक स्थिति जानने के लिये लिखा है। उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री मणिभाई ज० पटेल : जब तक विचाराधीन कानून लागू नहीं हो जाता तब तक क्या सरकार साम्प्रदायिक पत्र जैसे आर्गेनाइज़र आदि का अखबारी कागज़ का कोटा कम नहीं कर देगी ?

श्री के० के० शाह : यह सच है कि राष्ट्रीय एकता समिति ने यह सिफारिश की है कि दोषसिद्धि हो जाने पर अखबारी कागज़ की सप्लाई बन्द कर दी जाये। परन्तु यह अधिनियम के लागू होने के बाद ही होगा न कि इससे पहले होगा।

श्री नाथ पाई : इस देश में साम्प्रदायिक उपद्रव होने के कई कारण हैं। एक कारण सरकार के कार्य करने की पद्धति है जो बहुत देर से और बहुत धीरे-धीरे करती है। मैं सदन को यह बताऊंगा कि किस प्रकार का साम्प्रदायिक विष हमारे लोगों के कानों में डाला जाता है और मैं 'मिलाप' उर्दू दैनिक तारीख 7–3–66 में से दो वाक्य पढ़ूंगा। यह हर भारतीय के लिये सुनने से रोंगटे खड़े करने वाली होगी :

> "भारत में हम कई करोड़ मुसलमान हैं, और हम अरब राज्य की भांति चार मुस्लिम राज्य बना सकते हैं; जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट जो माओ के अनुयायी हैं, केरल में अपनी सरकार बना सकते हैं तब हम मुसलमानों को भारत में मुस्लिम राज्य बनाने क्यों नहीं दिया जाता। वह दिन दूर नहीं है जब हम इस्लाम का झंडा फहरायेंगे और फिर से शासक बन जायेंगे। अगर हम यह ध्येय अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते तो कम से कम भावी पीढ़ी इसको जरूर प्राप्त कर लेगी।"

क्या आप देश की जनता को भड़काने वाली इस बात से भी अधिक बुरा कुछ और सुन सकते हैं ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या करना चाहती है ? यह इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख नेता श्री इस्माइल जेबी का वक्तव्य है। मैं जानता हूं कि दूसरी तरफ के भी कुछ लोग ऐसे हैं। लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि यह सब क्या है कि सिवाय इसके कि श्रीनगर के शान्त वातावरण से यह वक्तव्य दिया जाय कि साम्प्रदायिक प्रचार रोका जाय ? क्या इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी ?

एक और उदाहरण है। जब राबर्ट कैनेडी की हत्या हुई थी तब सारे विश्व ने हत्या पर शोक मनाया। परन्तु बंगलौर के उर्दू अखबार ने यह समाचार प्रकाशित किया कि "हम इसका शोक क्यों मनायें, यह इस्लाम विरोधी व्यक्ति की उचित सज़ा है।" सरकार इस प्रकार के हिंसा के विरुद्ध क्या करती है?

श्री के० के० शाह : तभी तो सारे दलों की बैठक श्रीनगर में हुई और कानून बनाया जा रहा है।

श्री नाथ पाई : इस समाचारपत्र के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई। यह मैंने पूछा था। क्या वे इसके बारे में कुछ जानते हैं?

श्री के० के० शाह : जहां तक को हुई कार्यवाही का सम्बन्ध है मेरे पास इस समय तथ्य नहीं है। परन्तु कानून में इस प्रकार का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि ये बातें न हों। मेरे पास इस समय कोई तथ्य नहीं है।

कई सदस्य खड़े हो गये।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री के० के० शाह : मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि मेरे पास तथ्य नहीं है। मैं इसकी जांच करके सूचना दूंगा। यह मैंने कहा है।

श्री नाथ पाई : यह आपके मंत्रालय के बारे में है। क्या उनको सूचना देना मेरा कार्य है?

श्री० के० के० शाह : मैंने उत्तर दे दिया है कि मैं इसकी जांच करूंगा। इस समय मेरे पास तथ्य नहीं है।

श्री नाथ पाई : यह कैसे हो सकता है कि आपका मंत्रालय इन सब बातों को नहीं जानता है!

श्री के० के० शाह : इसका सम्बन्ध गृह मंत्रालय से है। मेरे मंत्रालय से नहीं है।

श्री अनन्तराव पाटिल : साम्प्रदायिक प्रचार को प्रक्षेय अपराध घोषित करना पहली बात है और समाचारपत्रों पर प्रतिबन्ध लगाना गौण बात है। पहला कदम यह होगा कि साम्प्रदायिक समाचारपत्रों को विज्ञापन देना बन्द हो जायेगा। मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार तुरन्त ही इन साम्प्रदायिक समाचारपत्रों को विज्ञापन देना बन्द कर देगी?

श्री के० के० शाह : हम साम्प्रदायिक समाचारपत्रों को विज्ञापन नहीं देते।

Shri Sarjoo Pandey : The Hon. Minister has Just said that legislation to ban those who disseminate Communal news is being introduced. In this Connection I would like to know whether you have specifically Considered the definition of Communism or not. Because paper like 'Link' and 'Patriot' will come under Communalism. These papers disseminate against Factory owners. You want to close them in the name of Communalism. It will be done by the bureaucracy on which you depend.

Secondly, I would like to know what actions are being taken immediately against those papers who disseminate Communalism and publish false news so that the people may know such papers who disseminate Communalism in the Country.

श्री के० के० शाह : जहां तक साम्प्रदायिकता की परिभाषा का सम्बन्ध है इसके लिए आक्सफोर्ड डिक्शनरी स्पष्ट है और यह देखी जा सकती है।

कई सदस्य खड़े हो गये।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री के० के० शाह : जहां तक मेरे विभाग का सम्बन्ध है हम उन साम्प्रदायिक पत्रों में विज्ञापन नहीं देते हैं जो साम्प्रदायिक भावना को उभाड़ते हैं। गृह मंत्रालय भी वर्तमान कानून के अनुसार कार्यवाही कर रहा है। उदाहरण के लिये "मदर इंडिया" के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा रहा है।

श्रीमती इलापाल चौधरी : मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि सीमावर्ती क्षेत्र में स्थानीय छोटे समाचारपत्र हैं जो भारत में अल्पसंख्यों पर अत्याचार की मनगढ़न्त प्रचार सीमा की दूसरी ओर करते हैं और क्या सरकार को इसकी सूचना है।

श्री के० के० शाह : जहां तक सीमावर्ती क्षेत्रों का सम्बन्ध है इन सब समाचार पत्रों को अपनी प्रतियां हमें भेजनी पड़ती हैं। कोई भी ऐसा समाचार पत्र नहीं है जो हमें प्रति नहीं भेजता है। उस प्रति में से सूचना ली जाती है।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, the Government of Andhra Pradesh has introduced a new legislation on the basis of decision taken at the meeting of Government at Srinagar which is called Andhra Pradesh Newspaper Control Bill. As the subject of newspapers comes within the concurrent list. May I ask from the Honourable Minister whether the Andhra Pradesh Government has consulted with the Centre before introducing the Bill & the actiom taken against the newspaper on the basis of decision taken at Srinagar which includes Andhra Jyoti of whose Editor is a member of this Parliament and where papers like Patriot & Link have been quoted as Communal are not symptoms of madness. What does the Government say on the atrocities Commited by the Andhra Government.

श्री के० के० शाह : जहां तक आंध्र विधेयक का सम्बन्ध है यह पंजाब विशेष शणित (प्रेस) अधिनियम, 1956 पर आधारित है। 19 मई, 1968 को जो मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें इस पर सब सहमत हो गये थे कि पंजाब विशेष शणित (प्रेस) अधिनियम, 1956 पर आधारित विधेयक पारित होने चाहिए।

Shri Prem Chand Verma : I would like to know from the Hon. Minister Whether it is a fact that the information wing of the Information Ministry had prepared an article on the news and writing spreading Communalism in the the newspapers of different languages and circulated in the meeting of newspaper Editors Committtee in which writings of dozens of newspapers were quoted. May I know about the Government has taken any action against the newspapers and their representatives. If any action has been taken the details there of. If not, the reasons for not taking any action by and whether these cases were sent to Press Council.

पाकिस्तानी जेट विमानों का भारतीय राज्य क्षेत्र पर से उड़ कर जाना

+

*65. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री रणजीत सिंह :
श्री समर गुह :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री बलराज मधोक :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शारदानन्द :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के एफ 86 सैबर जैट विमान अब पूर्व में ढाका से पश्चिम में सरगोधा तक लखनऊ में बख्शी-का-तालाब स्थान पर भारतीय वायु सेना के हवाई अड्डे की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए भारत से होकर उड़ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये सुविधाएं पाकिस्तान को कब से दी जा रही हैं ;

(ग) क्या पाकिस्तान ने लखनऊ शहर में अपने एयरमैनों को बिना किसी रोक-टोक के आने-जाने की अनुमति देने को भी कहा है ;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने हमारे सैनिक कूरियरों को जो भारतीय वायु सेना के फालतू पुर्जों के लिये लन्दन जा रहे थे कराची में रुकने की अनुमति नहीं दी थी; और

(ङ) यदि हां, तो पाकिस्तान की युद्धसंलग्नता तथा चीन के साथ साठ-गांठ को दृष्टि में रखते हुए पाकिस्तान को ऐसी सुविधाएं देने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). जी नहीं । पाकिस्तान की विशेष प्रार्थना पर भारत सरकार लखनऊ के असैनिक वैमानिक अड्डे अर्थात् अमौसी में मई 1968 के दौरान, ईंधन के लिए रुकने सहित, भारत में से 7 एफ० 86 विमानों की प्रावस्थित उड़ान के लिए सहमत हुई है । इन विमानों को भारत सरकार के नियंत्रण में पहले से निर्धारित असैनिक अन्तरिक्ष मार्ग के साथ-साथ भारत में से प्रावस्थित उड़ान की अनुमति दी गई थी ।

(ग) जी नहीं

(घ) जी नहीं । हमारे विमान भी जभी आवश्यक हो पाकिस्तान सरकार की अनुमति से पाकिस्तान में ठहरते हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Yajna Dutt Sharma : Mr. Speaker, As the Honourable minister has replied that no such relaxation has been given. But there are news published in the newspaper that Pakistan is making usr of our Air routes. The military planes of Pakistan have landed on our Airports and their personnels were arrested in the markets of Lucknow. Taking into Consideration all these things we want to know why the Govenmernt is misguiding the House by such information.

We also want to know that if this kind of relaxation has been given to Pakistan what India has gained in return from Pakistan ?

श्री मं० रं० कृष्ण : यह एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। जब भी दूसरे देशों के विमान हमारे देश के ऊपर से गुजरते हैं तो हमें उन्हें ईंधन भरने की सुविधाएं देनी पड़ती हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : केवल असैनिक विमानो के लिए न कि सैनिक विमान के लिए।

He is a telling a lie Mr Speaker— Interruption— will you allow China in this way ?

अध्यक्ष महोदय :

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker. This is an important question. You have ended it. The military planes are attacking.

Shri Hukum Chand Kachwai : Mr. Speaker we want reply of our question.

अध्यक्ष महोदय : शन्ति, शन्ति कृपया अपनी जगह बैठ जाइये यह विषय समाप्त हो चुका है अब ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव है। प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है श्री रा० बरुआ।

Shri Madhu Limaye : But what about the attacks of military planes.

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये दूसरे तरीके भी हैं, आप इसे दूसरे ढंग से भी पूछ सकते हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या आप वाद-विवाद के लिए आधा घंटा देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए कहिए, हम सोचेंगे (**व्यवधान**) मैं आप सबसे बैठ जाने के लिए प्रार्थना करता हूं।

श्री समर गुह : मुझ एक बात कहनी है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखिए, वाद-विवाद के लिए आप मुझको कहिए परन्तु इस प्रश्नकाल में नहीं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speker he gives wrong reply and misguide the country. He gives wrong reply to hide his sins.

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया सम्बन्धी नियम में बहुत सुविधायें हैं। आप उनका प्रयोग कीजिए।

श्री समर गुह : श्रीमन् मुझे इसकी व्यवस्था करने के लिए एक मिनट का समय चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ कर चुके हैं।

श्री समर गुह : श्रीमन् प्रतिरक्षा मंत्री के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं...

अध्यक्ष महोदय : शन्ति, शन्ति इस तरह ज़ोर से मत चिल्लाइये।

1773 (ai) LSD—2.

Shri Yajna Dutt Shrarma : Mr speaker. You do not allow us to discuss this matter. If you do not give us time to discuss it what for we are here ?

अध्यक्ष महोदय : नियमों की एक बड़ी पुस्तक है आप में से किसी ने इसको नहीं पढ़ा है दुर्भाग्यवश। (व्यवधान)

Shri Yajna Dutt Sharma: Mr. Spesker. It is not a question of rules, rules are for the country. Why you do not allow us supplementary question on this important question .

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य बैठ जायेंगे, वह नियमों को देख सकते हैं और फिर मुझे लिखे सामान्य प्रक्रिया के अनुसार इस पर विचार किया जायेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. speaker the members are excited because this type of question was asked somewhere else and the Government replied that we are not giving such facilities . But now a diffenrnt reply is given .

Shri Yajna Dutt Sharma : You have saved him to day (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबसे बैठ जाने के लिए प्रार्थना करता हूं। "बचा लिया" का कोई प्रश्न नहीं उठता। आप मुझे लिखिए और वाद-विवाद के लिए कहिए (व्यवधान) यह असम्भव है। मैं उनको मार्ग बता रहा हूं। फिर भी वे नहीं समझते।

श्री शैलु मोडी : क्या ऐसा कोई कारण है कि वे आपके वक्तव्य को समझ सकते हैं और मेरे वक्तव्य को नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। श्री बरुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Missile Parts Found in Nepal

***66. Shri Jagnathrao Joshi :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some parts of a missile were found in Nepal in May, 1968;

(b) whether it is also a fact that these are the parts of a Chinese Ballistic Missile which was fired across the Nepalese and Indian territories ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) to (c) Government have no information about missile parts said to have been found in Nepal in May last. If the question relates to the object found in Nepal in March 1968, the position as known was brought to notice of the House in response to a Calling Attention Notice on the 10th May 1968.

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्य

***67. श्री सत्य नारायण सिंह : श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री नायनार :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाँति स्थापना कार्यों सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष समिति के कार्यकारी दल के सदस्य सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) शांतिरक्षा अभियान विशेष समिति ने अपनी गतिविधियों के ऊपर एक प्रगति-विवरण तैयार किया है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के तेइसवें सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ख) अपने बाइसवें सत्र में महासभा ने विशेष समिति से यह अनुरोध किया था कि वह संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा अभियानों के लिए सदस्य राज्यों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं, सेवाओं और कर्मचारियों के विषय में अध्ययन करे । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक प्रारंभिक प्रयास के रूप में, विशेष समिति ने सुरक्षा परिषद् द्वारा स्थापित या प्राधिकृत संयुक्त राष्ट्र सैनिक प्रेक्षक-दल के अध्ययन के एक कार्यक्रम का अनुमोदन किया है । समिति ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से अनुरोध किया है कि वे इस विषय पर आवश्यक खानापूरी कर दें । इस सामग्री के प्राप्त हो जाने पर, यह समिति अपनी असली सिफारिशों को तैयार करेगी ।

(ग) भारत अध्ययन के उस प्रारंभिक कार्यक्रम से सहमत है जो विशेष समिति ने सुझाया है ।

नेपाल को वित्तीय सहायता

*68. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968–69 के दौरान भारतीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये नेपाल को सरकार ने वित्तीय सहायता की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो नेपाल में भारतीय सहायता प्राप्त परियोजनायें कौन-कौन सी हैं; और

(ग) 1968–69 के लिये ऐसे अनुदान की कुल राशि क्या थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख) 1968–69 की विकास योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है । **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1400/68] ।**

(ग) 12 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं ।

आदिम जाति विकास कार्यक्रम

*69. **श्री चक्रपाणि :** **श्री नम्बियार :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री भगवान दास :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड के भूतपूर्व मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में बनाये गये आदि कार्यक्रम सम्बन्धी अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन सिफारिशों पर क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पाकिस्तान द्वारा हथियारों के सम्बन्ध में सौदे

*70. श्री स० चं० सामन्त : श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि पाकिस्तान सरकार हथियार सप्लाई करने वाले कई देशों के साथ हथियारों के सौदे करने का प्रयत्न कर रही है; और

(ख) भारत सरकार ने पाकिस्तान को हथियारों से लैस करने के खतरे तथा उसके परिणामों की ओर उन राष्ट्रों का ध्यान दिलाया है जो राष्ट्र हथियार सप्लाई कर रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी हाँ ।

(ख) सरकार संबद्ध मित्र देशों से बराबर संपर्क बनाए हुए है और उसने एसे किसी कदम के गम्भीर परिणामों की ओर भी उन्हें सचेत कर दिया है ।

पाकिस्तान के साथ संबंध

*71. श्री रा० कृ० सिंह : श्री देवव्रत बरुआ :
श्री मणिभाई जे० पटेल : श्री य० अ० प्रसाद :
श्री सु० कु० तापड़िया : श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) ताशकन्द समझौते के अनुपालन में पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में रूस के प्रधान मंत्री को अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिये कहा गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) ताशकंद घोषणा को अमल में लाने लिए जो कदम अबतक उठाए गए हैं वे हैं :—दोनों देशों के राजनयिक मिशनों का सामान्य रूप से पुनः कार्य करने लगना, एक दूसरे के प्रदेश के ऊपर से विमानों का पुनः उड़ना, सीमा रेखा के दोनों ओर सीमा पड़ताल चौकी खोलना, प्रव्रीजित पेंशनरों को पेंशनों की अदायगी और संचार साधनों की पुनः स्थापना ।

(ख) सोवियत रूस तथा अन्य मित्र देशों को इस बात से पूरी तरह अवगत रखा जाता है कि भारत-पाकिस्तान संबंधों को क्रमोत्तर रूप से सामान्य बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है, और इस बात से भी कि इसके प्रति पाकिस्तान का रुख अभी तक नकारात्मक है ।

Manufacture of Shaktiman Trucks

*72. Shri Maharaj Singh Bharti : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the target for the manufacture of Shaktiman trucks, which was to be achieved by the 31st March, 1968, has not been achieved in so far as the number of trucks and the percentage of indigenous parts are concerned ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) According to the programme drawn up in 1963, it was expected that the production of Shaktiman Vehicles during 1967-68 would be of the order of 1500. The target fixed at the beginning of the year based on available capacities was 1100. Against this, the number of trucks completed was 780.

The indigenous content expected to be achieved was 77%; against this the percentage attained was 75.

(b) The shortfall in achievement of indigenous content is marginal. The shortfall in numbers has been due to the following reasons :—

(*i*) While fixing the target at the beginning of the year it was hoped that the supply of pistons, which was being delayed due to a strike, would be resumed by mid-1967. This expectation did not materialise till much later in the year.

(*ii*) The receipt of imported Micro filters was delayed.

(*iii*) The supply of rubber mountings from a trade firm was delayed.

(*iv*) There was hold up in production due to certain defects noticed in the engine and oil pump.

गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता में सड़क कूटने के इंजनों का निर्माण

*73. **श्री गणेष घोष :**
श्री मोहम्मद इस्माइल :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता ने सड़क कूटने के इंजन बनाने आरम्भ कर दिये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक सड़क कूटने के कितने इंजन बनाये गये हैं तथा सड़क कूटने के प्रत्येक इंजन की उत्पादन लागत कितनी आती है;

(ग) ऐसे कुल कितने इंजन अब तक बेचे जा चुके हैं तथा प्रत्येक इंजन का मूल्य कितना है;

(घ) यह सुनिश्चित किये बिना ही कि ये इंजन बिक सकते हैं या नहीं, इतनी संख्या में उन्हें बनाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ऐसे किसी इंजन को अब तक बेचा गया है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस मामले को जांच की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) से (च) सर्वश्री गार्डन रीच वर्कशाप लि०, कलकत्ता 1965 से सड़क बनाने वाले इंजनों का निर्माण कर रहे हैं। अब तक 94 इंजन निर्माण किए जा चुके हैं। इन में से 74 निम्न कीमतों पर बेचे गए हैं:

70 48 000 रु० प्रति इंजन के हिसाब से

1 51000 रुपये पर

3 53751 रु० प्रति इंजन के हिसाब से

चूंकि सर्वश्री गार्डन रीच वर्कशाप्स एक व्यापारिक उपकरण हैं उनकी उत्पादन लागत व्यक्त करना वांछित नहीं है। निर्माण कार्यक्रम मांग के निर्धारण पर आधारित किया गया है। विक्रय में कमी का कारण है 1966 के पश्चात् सरकार के खर्च को कम करने के परिणामस्वरूप से सड़क निर्माण करने वाले इंजनों की मांग में कमी।

परमाणु हथियारों के बारे में अमरीका और रूस के बीच बातचीत

*74. **श्री सीताराम केसरी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु हथियारों और उनके 'डिलिवरी सिस्टम' के प्रसार को रोकने के बारे में बातचीत करने के लिये अमरीका और रूस की सरकारें सहमत हो गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि 51 देशों ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी संधि पर हस्ताक्षर कर दिये हैं; और

(ग) अमरीका-रूस करार के बारे में भारत की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां। बताया जाता है कि दोनों ही सरकारों ने अपनी यह इच्छा व्यक्त की है कि वे आक्रामक सामरिक परमाणु अस्त्रों को छोड़ने के तंत्रों में तथा प्रक्षेपास्त्रों से बचाव तंत्रों में भी कमी करने और परिसीमन करने के सवाल पर यथाशीघ्र विचार करने के लिए तैयार हैं।

(ख) बताया जाता है कि परमाणु अस्त्र निरोध संधि पर अब तक 66 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के बीच इन मामलों पर विचार करने के लिए जो कथित समझौता हुआ है, उसका भारत सरकार स्वागत करती है।

भारत और पाकिस्तान की पूर्वी सीमाओं का सीमांकन

*75. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र में भारत तथा पाकिस्तान की सीमाओं का सीमांकन करने के सम्बन्ध में करार को अंतिम रूप देने के लिये भारत-पाकिस्तान दलों की दो बैठकें हो चुकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन सीमाओं के बारे में निर्णय किया जा चुका है और सीमांकन का कितना काम पूरा हो चुका है अथवा हो रहा है और इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) भारत–पूर्व पाकिस्तान सीमा पर निशान लगाने से संबद्ध मामलों पर विचार करने के लिए भारत और पाकिस्तान के सर्वेक्षण अधिकारियों की 1968 में 6 बैठकें हुई थीं।

(ख) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें पूर्वी क्षेत्र में भारत–पाकिस्तान सीमाओं पर निशांदेई करने की वर्तमान स्थिति बताई गई है। देरी का प्रमुख कारण पाकिस्तान की ओर से सहयोग का अभाव है।

विवरण

सेक्टर का नाम	सीमा की कुल लम्बाई (मीलों में)	कितनी लम्बाई में खम्भे लगा दिये गये हैं (मीलों में)	विशेष
असम–पूर्व पाकिस्तान	620 (अनुमानतः)	426	
त्रिपुरा–पूर्व पाकिस्तान	550 (अनुमानतः)	228	
पश्चिम बंगाल–पूर्व पाकिस्तान	1349.06	1254.43*	–इसमें शामिल है : (क) 97.7 मील में फैली तरल सीमा ; (ख) बानो विवाद I और II के अंतर्गत आने वाली 78.37 मील जहां मौसमानुसार सीमांकन किया जाता है।

Indian Currency Notes cancelled by Burmese Government

*76. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Burmese Government had cancelled all the Indian currency notes from the 17th May, 1964 ;

(b) whether it is also a fact that the people had deposited their money in the Union Bank of Burma after obtaining receipt from the Indian Mission in Burma for the Indian Currency in pursuance of Government orders and had returned to India ;

(c) if so, whether the Burmese Government have paid back that money to these people after their return to India ; and

(d) if not, the action taken by the Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) The Burmese Government demonetised Kyat 100 and Kyat 50 Burmese currency notes from 17th May, 1964 and not Indian currency notes. Indian currency notes were not legal tender in Burma.

(b) People could deposit their demonetised notes in the Union Bank of Burma and obtain receipts from them on production of which they could get notes of smaller value in exchange. However, many Indians left Burma before they could get their demonetised notes exchanged. Such persons deposited the Union Bank receipts with the Indian Embassy.

(c) and (d). All these receipts have been sent to the Burmese Government for necessary action. The question of compensation for this money is linked up with the general question of compensation for nationalized Indian assets which is being discussed by us with the Government of Burma.

लंदन स्थित चीनी दूतावास द्वारा श्री फिजो की सहायता

*77. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन स्थित चीनी दूतावास, नागालैंड में भूमिगत नागाओं को अपने संदेश तथा हिदायतें भेजने में श्री फिजो की सहायता कर रहा है;

(ख) क्या ये संदेश दूतावास से पेकिंग और पेकिंग से चीन में नागाओं को तथा वहां से नागालैंड में भूमिगत नागाओं को भेजे जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख). भारत सरकार के पास निश्चित सूचना नहीं है। बहरहाल यह स्पष्ट है कि छिपे नागाओं के जो दल चीन चले गये हैं वे ही संचार सूत्र का काम करते हैं।

(ग) सरकार इस दिशा में हर सम्भव कदम उठा रही है कि छिपे नागाओं और विदेशों के बीच सम्पर्क स्थापित न होने पावे तथा उसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा का प्रबन्ध और सख्त कर दिये हैं।

चौथी योजना का प्रारूप

*78. **श्री कं० हाल्दर :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसे अन्तिम रूप देने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) उसे कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). चौथी योजना की तैयारी का काम प्रगति पर है। चौथी योजना का प्रारूप अब जनवरी, 1969 में तैयार हो जाने की सम्भावना है।

चौथी योजना के लिये संसाधन

*79. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के लिये आवश्यक भौतिक संसाधन जुटाने के बारे में योजना आयोग ने राज्यों को कोई सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है; और

(ग) इन सुझावों के बारे में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). राज्यों से निवेदन किया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय, वे प्राकृतिक साधनों के संरक्षण और विकास पर बल दें।

(ग) आशा है कि स्थानीय दशाओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें इन सुझावों का अनुसरण करेंगी। औपचारिक उत्तर प्राप्त होने की आशा नहीं है।

प्रधान मंत्री की दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा पर चीन की प्रतिक्रिया

*80. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री वेणीशंकर शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलयेशिया तथा सिंगापुर की यात्रा को चीन ने भारत की ओर से एक चीन-विरोधी गुट स्थापित करने का प्रयास बताया है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने आर्थिक सहयोग के बारे में जो जोरदार आवाज उठाई है उसे चीन ने छलावरण बताया है और कहा है कि भारत इस नारे की आड़ लेकर चीन विरोधी गुट बनाने की कोशिश कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) चीन सरकार के झूठे प्रचार पर सरकार कोई ध्यान नहीं देगी। प्रधान मंत्री की यात्रा अनिवार्यतः सद्भावना यात्रा थी जो इन देशों और भारत के बीच वर्तमान द्विपक्षीय और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई थी।

प्रतिरक्षा उपकरणों का निर्माण

*81. **श्री अब्राहम :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री एस्थोस :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, निरीक्षण संगठन के महानिदेशालय के मुख्य निरीक्षकों के प्रथम सम्मेलन में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री द्वारा दिये गये भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें

उन्होंने कहा था कि प्रतिरक्षा उपकरणों के निर्माण के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र से अधिकाधिक काम लिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आयुध कारखाने समस्त प्रतिरक्षा उपकरणों का निर्माण करने में सक्षम नहीं हैं; और

(घ) क्या सरकार, सभी प्रतिरक्षा उपकरणों का निर्माण आयुध कारखानों में करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी हां। वक्तव्य में इस सम्बन्ध में मुख्य सुझाव यह था कि रक्षा साजसामान का निर्माण यथासंभव जितना हो सके ब्राडबेस्ड हो, और निजी क्षेत्र को रक्षा ब्यौरों और साजसामान से परिचित करने के लिये और अधिक यत्न करना चाहिये, ताकि वह इसमें पूरा-पूरा सहयोग दे सकें।

(ख) से (घ). आर्डनेंस फैक्ट्रिएं साजसामान एक विस्तृत क्षेत्र में निर्माण के लिए सज्जित और हथियारबन्द हैं, और वह सम्पूर्ण आयुधों और मृत गोली बारूद की सप्लाई का एक मात्र साधन बने रहेंगे। तदपि सशस्त्र सेनाओं द्वारा आवश्यक रक्षा सामानों के समस्त क्षेत्र में निर्माण कर पाना आर्डनेंस फैक्ट्रियों के लिए संभव न होगा। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, रक्षा कारखानों की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने के लिए, देश के राजकीय तथा निजी क्षेत्र में उत्पादन सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए गम्भीरतापूर्वक प्रयास किये जा रहे हैं। इससे न केवल आयात प्रतिब-दलों में सहायता मिलेगी, और इस प्रकार न केवल विदेशी मुद्रा में भारी बचत ही होगी, बल्कि, असनिक क्षेत्र में क्षमताओं की स्थापना में सहायता मिलेगी, जिसका कि आपात स्थिति में प्रयोग किया जा सके। तदपि ऐसा राजकीय क्षत्र के कहने पर नहीं किया जा रहा।

पाकिस्तान को अमरीकी पैटन टैंको का विक्रय

*82. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी, इटली और बेल्जियम पाकिस्तान को अमरीकी पैटन टैंक बेचने के लिये तैयार हो गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने पाकिस्तान को पैटन टैंकों की बिक्री के विरुद्ध पश्चिम जर्मनी, इटली और बेल्जियम को विरोध पत्र भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम और इटली की सरकारों से क्या उत्तर मिला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). यह खबर मिलने पर कि पाकिस्तान इटली और बेल्जियम से अमरीकी पैटन टैंक लेने की कोशिश कर रहा है,

भारत सरकार ने दोनों देशों की सरकारों से इन खबरों को लेकर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है। इस समय हमारे पास जो सूचना है, उसके अनुसार दोनों में से किसी भी सरकार से पाकिस्तान को टैंक बेचने के किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

कच्छ की रन में सीमांकन कार्य

*83. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निदेशानुसार भारत तथा पाकिस्तान के बीच कच्छ की रन में सीमांकन कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा अब तक कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या न्यायाधिकरण के निदेशानुसार यह कार्य भारत-पाकिस्तान संयुक्त दल द्वारा किया जा रहा है ;

(घ) क्या सरकार का ध्यान कच्छ के कलेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत तथा पाकिस्तान के दल अलग-अलग सीमांकन कार्य कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी हां।

(ख) यह कार्य मार्च, 1968 में प्रारम्भ हुआ था। अब तक भारत और पाकिस्तान के सर्वेक्षण विभाग ने मिल कर 59 नियंत्रण-स्तम्भों का निर्माण किया है।

(ग) से (ङ). सीमांकन का कार्य भारत और पाकिस्तान के सर्वेक्षण दलों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होता है।

गुजरात सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कच्छ के जिला मजिस्ट्रेट ने सम्बन्धित न्यायालय के सामने अपने बयान में ये शब्द कहे थे, "मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या यह सच है कि सीमांकन का कार्य प्रत्येक सरकार द्वारा मनोनीत एक-एक प्रभारी अधिकारी द्वारा गठित एक मिले जुले दल द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना था"।

भारत तथा अमरीका के बीच नियमित बैठक

*84. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री क० लाक्कपा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में प्रतिरक्षा और सुरक्षा सम्बन्धी मामलों पर "गोपनीय" बातचीत करने के बारे में भारत और अमरीका के बीच सरकारी स्तर पर नियमित रूप से बैठक करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को मूलतः किसने तथा किस उद्देश्य से पेश किया है ; और

(ग) पहली बैठक कब होने की संभावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख). भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र अमरीका की सरकार बातचीत करने के लिए सहमत हो गयी है । इन बातचीतों के लिए अमरीका ने ही पहल की है । यह बातचीत दोनों देशों और विश्व के हित और सम्बन्धों को मद्देनजर रख कर ही होगी तथा किसी खास विषय तक ही सीमित नहीं रहेगी ।

(ग) बातचीत का पहला दौर नई दिल्ली में, 26 जुलाई, से 28 जुलाई तक चलेगी ।

एशियाई देशों में भारतीय राजदूतों के साथ प्रधान मंत्री की बैठक

***85. श्री उमानाथ :** **श्री एस० पी० रमामूर्ति :**
श्री प्र० न० सोलंकी : **श्री रमानी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अपनी यात्रा के दौरान अनेक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारतीय राजदूतों के साथ कुआलालम्पुर में एक बैठक की थी ।

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों के राजदूतों ने इस बैठक में भाग लिया था; और

(ग) इस बैठक का उद्देश क्या था और उसमें क्या-क्या निर्णय किये गये थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी, हाँ ।

(ख) लाओस, इंडोनेशिया, कम्बोडिया और थाईलैंड स्थित हमारे राजदूतों ने तथा मलयेशिया और सिंगापुर-स्थित कमिश्नरों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था ।

(ग) इस बैठक का उद्देश्य था—स्वयं मिशन प्रमुखों से ही उनके प्रत्यायन के देशों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ऐसी वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति इन देशों का रवैया जानना जिनमें भारत की दिलचस्पी हो और उनके साथ अपने द्विपक्षीय सम्बधों को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव मांगना ।

प्रधान मंत्री ने सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलयेशिया के अपने दौरे का एक विवरण भी मिशन प्रमुखों को दिया । कोई निर्णय नहीं किया गया ।

रोजगार के अवसर तथा न्यूनतम मजूरी

***86. श्री लोबो प्रभु :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार देने के समान अवसरों की योजना के अतिरिक्त निदेशक सिद्धान्तों में उपबन्धित पूर्ण रोजगार तथा न्यूनतम वेतन की व्यवस्था करने के लिये किन बातों को ध्यान में रखा गया है ; और

(ख) उद्योगों को दी गयी धन राशि में 30 प्रतिशत की कथित वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार दिलाने वाली योजनाओं के द्वारा रोजगार की संभावनाओं की वृद्धि करने से कैसे मेल खाती है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) देश के सभी वर्गों के कामगारों के लिए पूर्ण रोजगार और न्यूनतम वेतन की व्यवस्था करना राज्य के दीर्घकालीन उद्देश्यों में है, जिनकी प्राप्ति केवल अर्थ व्यवस्था के निरन्तर और सुनियोजित विकास द्वारा की जा सकती है ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की तैयारी का काम अभी प्रारम्भिक अवस्थाओं में है और उद्योग सहित विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किये गये हैं ।

भारत में सांप्रदायिक दंगों के बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का वक्तव्य

*88. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के हाल के वक्तव्य की ओर गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार पाकिस्तान में कितनी बार साम्प्रदायिक दंगे हुए ; और

(घ) इन दंगों में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की कुल कितने मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी हां ।

(ख) इन दंगों की जो खबरें पाकिस्तान में प्रचारित की गई हैं उनके विकृत और अत्युक्तिपूर्ण रूप की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है । उसे यह बता दिया गया है कि इस प्रकार का निंदात्मक और झूठा प्रचार नेहरू-लियाकत संधि के और ताशकंद घोषणा के विरुद्ध है ।

(ग) और (घ). पाकिस्तान साम्प्रदायिक दंगों के बारे में ठीक-ठीक सूचना प्राप्त करना बहुत कठिन है । इस बारे में हमने जो पूछताछ की थी उस का भी पाकिस्तान सरकार से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है ।

भारतीय विमानों द्वारा सीमा उल्लंघन के संबंध में चीन द्वारा आरोप

*89. **श्री दामानी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन द्वारा लगाये गये इस आरोप में कोई सचाई है कि 28 मई, और 4 जून, 1968 के बीच भारतीय वायु सेना के विमान चीनी प्रदेश में घुसे गये थे ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान या उसके बाद चीन द्वारा हमारी सीमा का उल्लंघन किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो कब और कहाँ तथा उन्हें रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी नहीं ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

काश्मीर के संबंध में पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन

*90. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तुर्की की सरकार ने 7 जुलाई, 1968 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तुर्की की यात्रा के बाद जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में काशमीर के मामले में पाकिस्तान का समर्थन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अमैत्रीपूर्ण रवैये की ओर तुर्की की सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तुर्की की सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी हां।

(ख) तुर्की के नई दिल्ली स्थित राजदूत के माध्यम से यह मामला उठाया गया था।

(ग) तुर्की के राजदूत ने इस मामले में अपनी सरकार की सुविदित स्थिति को स्पष्ट किया।

प्रधान मंत्री की भूटान यात्रा

578. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री की हाल की भूटान यात्रा में उनके साथ भूटान गये शासकीय दल में कितने तथा कौन-कौन व्यक्ति थे ; और

(ख) प्रधान मंत्री तथा उनके दल की यात्रा पर सरकार का कुल कितना धन खर्च हुआ ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) प्रधान मंत्री की हाल की भूटान यात्रा में उनके साथ गए हुए दल में निम्नलिखित व्यक्ति थे :—

(1) श्री एल० पी० सिंह, सचिव, गृह मंत्रालय ।

(2) श्री टी० एन० कौल, सचिव, विदेश मंत्रालय ।

(3) श्री एम० मल्होत्रा, अवर सचिव, प्रधान मंत्री सचिवालय।

(4) श्री ज़ी० सी० दत्त, संयुक्त निदेशक, खुफिया ब्यूरो ।

(5) श्री के० के० सूद, वरिष्ठ संवाददाता, अखिल भारतीय आकाशवाणी।

(6) श्री मदन गोपाल, उप-प्रधान सूचना अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कलकत्ता।

(7) श्री ई० एच० डेविड, न्यूज़रील अधिकारी, फिल्म्स डिवीज़न, लखनऊ ।

(8) श्री पी० के० डे, फोटोग्राफ अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ।

(9) श्री एस० एस० एल० चड्ढा, डी० एस० पी०, प्रधान मंत्री के सुरक्षा अधिकारी।

(10) श्री एम० सी० गुप्त, प्रधान मंत्री के अपर निजी सचिव ।

(11) श्री नाथू राम, प्रधान मंत्री के निजी परिचर ।

(12) कुमारी उषा भगत, प्रधान मंत्री की सामाजिक सचिव ।

(13) श्री जे० दौलत सिंह, अवर सचिव, विदेश मंत्रालय ।

(14) डा० के० पी० माथुर, प्रधान मंत्री के निजी चिकित्सक ।

(15) श्री एस० के० मुकर्जी, सचिव, सीमांत सड़क विकास बोर्ड ।

(16) श्रीमती सोनिया गाँधी ।

(17) कुमारी प्रीति कौल ।

(ख) लागत के बारे में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

अम्बझरी आयुध कारखाना

579. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बझरी आयुध कारखाना, नागपुर पर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उसे वहाँ से हटाया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सेवा निवृत्त सैनिकों का पुनर्वास

580. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सेना, नौसेना तथा वायु सेना के सेवा निवृत्त सैनिक लाभ के रूप में कितनी राशि प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं;

(ख) सेवानिवृत्त सैनिकों के पुनर्वास के लिये तथा उन्हें उपयुक्त नौकरी दिलाने के लिये केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) पिछले दो महायुद्धों के बाद से कितने मृत अथवा लापता सेवानिवृत्त सैनिकों के मामले सरकार के पास निलम्बित पड़े हैं ; और

(घ) उसके क्या कारण हैं और ऐसे सैनिकों के परिवारों को तुरन्त राहत देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) अफसरी पद से निम्न जो सेविवर्ग 15 वर्षों या उससे अधिक अर्ह सेवा सम्पूर्ण कर सेवा से अलग होते हैं, सेवा की पेंशन के अधिकारी हैं । सेवा पेन्शन के दरपद, कुल सेवावधि और सेवा से अलग होने की तिथि के दिन व्यक्ति के वेतन ग्रुप के अनुसार विभिन्न है । प्रत्येक पद के लिये निर्धारित अर्ह सेवा के वर्षों की सम्पूर्ति पर उच्चतम और निम्नतम वेतन ग्रुपों के लिए सेवा पेन्शन के दर सभा-पटल पर रखे गये विवरण 'क' में दिए गए हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**—1401/68]

(ख) विस्तार लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण 'ख' में दिए गए हैं **[पुस्तकाल में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1401/68]

(ग) और (घ). सूचना पेन्शन अधिकरणों से इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

अणु शक्ति आयोग

581. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अणु शक्ति आयोग ने भारत की अणु सम्बन्धी जानकारी को उन अन्य देशों की जानकारी के बराबर बनाये रखने के लिये. जो इस क्षेत्र में पहिले से ही काम कर रहे हैं, क्या महत्वपूर्ण काम किया है;

(ख) क्या भारत अपने परमाणु रिऐक्टर का डिज़ाइन बनाने, उसे लगाने, चालू करने और आवश्यक इंजीनियरी सेवाओं की व्यवस्था करने में समर्थ हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान-मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोगों के क्षेत्र में हुए विकास के साथ-साथ आगे बढ़ने के लिये परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास कार्य किए जा रहे हैं । जिन विभिन्न दिशाओं में कार्य किया गया है उनका विस्तृत विवरण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है ।

(ख) और (ग). जी, हां । तारापुर तथा राणा प्रताप सागर में बनाये जा रहे बिजलीघरों के निर्माण कार्य से प्राप्त अनुभव की सहायता से भारतीय वैज्ञानिक तथा इंजीनियर अब इस योग्य हो गये हैं कि वे मद्रास परमाणु बिजलीघर का निर्माण करने की पूरी जिम्मेदारी ले सकें । जो तकनीकी जानकारी अब तक प्राप्त की जा चुकी है उसमें आगे सुधार किया जा रहा है । भविष्य में बनाये जाने वाले रिऐक्टरों के डिजाइन बनाने तथा उनका निर्माण करने के लिए विभाग ने एक संगठन स्थापित किया है ।

आकाशवाणी द्वारा आदिम जातियों की बोली में कार्यक्रम

583. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी आदिम जाति के लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिये केवल उन लोगों के लिये इनकी बोलियों में कोई कार्यक्रम प्रसारित करता है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में, जहाँ अधिकाँश निवासी आदिम जाति के हैं, इन लोगों का विकास करने के लिये स्थानीय बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करने की अत्यधिक आवश्यकता है; और

(घ) यदि हाँ, तो वर्तमान स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) जी, हां ।

(ख) आकाशवाणी के निम्नलिखित केन्द्र, जो ऐसे क्षेत्रों में भी प्रसारण करते हैं, जहाँ आदिम जाति के लोगों की पर्याप्त जनसंख्या है, आदिम जाति की 87 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं :—

गोहाटी, शिलांग, पासीघाट, राँची, कटक बंगलौर, कलकत्ता, कोहिमा, इम्फाल, भोपाल, रायपुर, अहमदाबाद, भुज और त्रिवेन्द्रम। दिल्ली तथा अन्य केन्द्र समय-समय पर नियत काल में अपने प्रातःकाल के वन्दना कार्यक्रम में आदिम जाति का धार्मिक या त्यौहारों पर गाया जाने वाला संगीत भी रिले करते हैं। इन कार्यक्रमों में रिकार्ड किया गया संगीत वार्त्तायें, चर्चायें तथा फीचर आदि होते हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) आदिम जाति की विभिन्न बोलियों में आदि वासी संगीत भोपाल केन्द्र के द्वारा प्रस्तुत और रायपुर ट्रांसमिटर के द्वारा रिले किया जाता है। आदिम जाति के लोगों के लिये इन कार्यक्रमों को बढ़ाने और सुधार करने के बारे में साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करते हुए कदम उठाये जायेंगे।

वृत्त चित्र

584. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(अ) भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा प्रति वर्ष कितने वृत्त चित्र बनाये जाते हैं;

(ख) कालिज स्तर पर विज्ञान और इंजीनियरी की शिक्षा में जटिल तकनीकी प्रक्रियाओं के पहलू को स्पष्ट करने के लिये फिल्म डिवीजन ने कितने वृत्त चित्र बनाये हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) आदिम जाति के लोगों के लाभार्थ इन लोगों की बोलियों में कितने वृत्त चित्र बनाये गये हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) लगभग 90।

(ख) इन विषयों पर कक्ष में दिखाई जाने वाली कोई विशिष्ट फिल्में नहीं बनायी गई हैं परन्तु ऐसी सात फिल्मों का एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिनका इन विषयों से सीधा सम्बन्ध है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1402/68]**

(ग) और (घ). कुछ फिल्में कुमाउनी और गढ़वाली बोली में डब की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त 26 फिल्में लद्दाखी बोली में डब की गई हैं जिनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1402/68]**

विदेशों में भारतीय प्रतिनिधि

585. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने देशों में हमारे मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि हैं और वहाँ हमारे प्रतिनिधि क्या कार्य करते हैं और उनका क्या दर्जा है;

(ख) विभिन्न देशों में उन दूतावासों तथा कार्य-दूतों पर कुल कितना वार्षिक व्यय होता है ; और

(ग) उक्त देशों में लोक-सम्पर्क अनुभाग किस प्रकार के हैं और क्या उन्हें प्रभावी बनाने के लिये कोई सुधार किये जाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर रखे गये पत्र में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1403/68]**

(ख) 1967–68 के वित्तीय वर्ष के दौरान, भारतीय राजदूतावासों, हाई कमीशनों इत्यादि पर अन्तिम बजट अनुदान रु० 1056.54 लाख था । चालू वित्तीय वर्ष में, अर्थात् 1968–69 में, अनुमानित व्यय रु० 1037.88 लाख था ।

(ग) विदेश स्थित भारतीय मिशनों में सामान्य ढांचा यह होता है कि एक सूचना यूनिट होती है, जिसका अध्यक्ष कोई जन-सम्पर्क अधिकारी अथवा प्रेस सहचारी होता है, और जिसमें दुभाषिए का काम करने और अनुवाद करने के लिए स्थानीय सहायक शामिल होते हैं । सूचना यूनिट भारत स्थित मुख्यालय से नियमित रूप से आने वाली सामग्री और मार्ग दर्शन से सज्जित रहती है और स्थानीय प्रचार साधनों के माध्यम से भारत के बारे में जानकारी का प्रचार प्रसार करती है, भारत, उसकी नीतियों और समस्याओं के बारे में सौहार्द भावना को प्रोत्साहन देती है और प्रतिकूल प्रचार का प्रतिकार करती है । संगठनात्मक संरचना, कार्य-पद्धतियों और सम्बद्ध पहलुओं में सुधार करने के लिए, यदि ऐसे सुधार अपेक्षित हों तो, प्रचार तंत्र को सदैव पुनराधीन रखा जाता है ।

संसद्-सदस्यों के लिए टेलीविजन

586. **श्री जी० एस० रेड्डी :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद्-सदस्यों ने कोई माँग की थी कि उन्हें मुफ्त अथवा किराये पर टेलीविजन सेट सप्लाई किये जायें ; और

(ख) कितने संसद् सदस्यों ने इस प्रकार की प्रार्थना की है और इनकी सप्लाई के लिये संसद्-सदस्यों द्वारा की गई प्रार्थना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). अभी तक 64 संसद्-सदस्यों ने टेलीविजन सेट किराये पर और 13 संसद्-सदस्यों ने हायर परचेज़ पर लेने की माँग की है । ये सैट किस आधार पर दिये जाएं, इस पर अन्तिम निर्णय लिये जाने के बाद, सरकार उनको प्राप्त और सप्लाई करने के बारे में कदम उठायेगी ।

नदी जल के बंटवारे के हेलसिंकी नियम

587. **श्री मणि भाई जे० पटेल :**

श्री लखन लाल गुप्त :

श्री ग० चं० दीक्षित :

श्री अ० सिं० सहगल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि जिससे विभिन्न प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्यों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार बहने वाली नदियों के जल

के बंटवारे के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं द्वारा तैयार किये गये "हेलसिंकी नियमों" की मुख्य बातें दिखाई गई हों ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): इस विषय पर एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय विधि संस्था एक गैर-सरकारी निकाय है और विश्व के विभिन्न भागों के प्रतिष्ठित विधिवेत्ता इसके सदस्य हैं । ये विधिवेत्ता व्यक्तिगत रूप से इस संस्था की चर्चा में भाग लेते हैं और कि वे अपनी सरकारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते ।

2 अगस्त, 1966 में हेलसिंकी में अन्तर्राष्ट्रीय विधि संस्था के 52वें सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के जल के प्रयोग के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय नदी जल सम्बन्धी आई० एल० ए० की समिति द्वारा तैयार किये गये अन्तर्नियमों को मंजूर किया गया था और ये लेख अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के जल के प्रयोग संबंधी नियम जाने जाते हैं ।

3. हेलसिंकी नियम अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के कानून के विभिन्न पहलुओं अर्थात् समान प्रयोग, जल के गन्दा होने, नौवहन तथा टिम्बर के लाने ले जाने के बारे में हैं । हेलसिंकी नियमों की मुख्य मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

प्रत्येक बेसिन राज्य को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत इन्टरनेशनल ड्रेनेज बेसिनके पानियों का लाभदायिक रूप में उचित तथा समान रूप से प्रयोग करने का हक है ।(अन्तर्नियम) उचित तथा समान भाग क्या है इसका निर्धारण प्रत्येक मामले की सम्बन्धित बातों की रोशनी में किया जायेगा । सम्बन्वित बातों में निम्नलिखित शामिल हैं परन्तु इन तक सीमित नहीं है :—

(क) प्रत्येक बेसिन राज्य के क्षेत्र में अपवाह क्षेत्र सहित बेसिन का भूगोल ।

(ख) बेसिन के जल संसाधन जिनमें प्रत्येक बेसिन राज्य के जल के अंशदान विशेष रूप से शामिल हों ।

(ग) बेसिन का जलवायु ।

(घ) बेसिन के पानियों का भूतकाल में प्रयोग जिसमें इनके वर्तमान प्रयोग विशेष रूप से शामिल हो ।

(ङ) प्रत्येक बेसिन राज्य की आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताएं ।

(च) प्रत्येक बेसिन राज्य में बेसिन के पानियों पर निर्भर जनसंख्या ।

(छ) प्रत्येक बेसिन राज्य की आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के वैकल्पिक तरीकों की तुलनात्मक लागत ।

(ज) अन्य साधनों की उपलब्धता ।

(झ) बेसिन के पानियों के प्रयोग में अनावश्यक अपव्यय का रोका जाना।

(ज) प्रयोग सम्बन्धी संघर्षों को हल करने के लिए कम अथवा अधिक को-बेसिन राज्यों को प्रतिकर देने की व्यवहार्यता।

(प) को-बेसिन राज्य को पर्याप्त क्षति पहुंचाये बिना बेसिन राज्य की आवश्यकता को किस हद तक पूरा किया जा सकता है ।

प्रत्येक बात को कितना महत्व दिया जाता है इसका निर्णय अन्य सम्बन्धित बातों के महत्व की तुलना में किया जायेगा। (अन्तर्नियम 5)

4. एक प्रयोग अथवा किसी वर्ग के प्रयोगों को किसी प्रयोग तथा किसी अन्य वर्ग को प्रयोगों पर निरुढ़ प्राथमिकताओं का हक नहीं है :

5. इन पानियों के रूप को बेसिन राज्य के भविष्य में प्रयोग के लिए रक्षित करने हेतु किसी अन्तर्राष्ट्रीय अपवाह बेसिन के पानियों के वर्तमान उचित प्रयोग से किसी बेसिन राज्य को वंचित नहीं किया जायेगा। (अन्तर्नियम 7)

6. वर्तमान उचित प्रयोग को चालू रहने दिया जायेगा जब तक कि इसको चालू रखने वाली बातों को यह निष्कर्ष निकालने वाली अन्य बातों से रद्द नहीं कर दिया जाता कि प्रतियोगी असंसर्गी प्रयोग के लिए इसमें सुधार किया जाये अथवा इसको समाप्त किया जाए (अन्तर्नियम 8)

भूतान को सहायता

588. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में भूतान को कुल कितनी सहायता दी गई है।

(ख) क्या भूतान ने सहायक अनुदानों के स्थान पर, जो कि इस समय दिये जाते हैं, शीघ्र प्रतिलाभ देने वाली परियोजना का प्रस्ताव रखा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) 1966–67 और 1967–68 के वित्तीय वर्षों के दौरान भारत ने भूतान को लगभग रु० 6,95,83,500 की धनराशि की विकास सम्बन्धी सहायता दी है।

(ख) और (ग). भारत ने भूतान को जो विकास सम्बन्धी सहायता दी है, उसमें से अधिकांश अनुदानों के रूप में दी गई है। किन्तु, भूतान सरकार ने भारत सरकार से हाल ही में अनुरोध किया था कि उसे एक राजकीय कृषि फार्म और एक राजकीय बगीचा स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाए। यह अनुरोध विचाराधीन है।

वाणिज्यिक टेलीविजन सेट

589. **श्री श्रद्धाकार सूपकार :**
श्रीमती सुशीला रोहतगी :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वाणिज्यिक फर्मों ने, जिन्हें वाणिज्यिक स्तर पर टेलीविजन सेट तैयार करने के लिये लाइसेंस दिये गये थे, उत्पादन आरम्भ कर दिया है; और

(ख) प्रत्येक सैट का खुदरा मूल्य क्या होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) लाइसेंसदार आशा है इस वर्ष के अन्त तक उत्पादन शुरू कर देंगे ।

(ख) फर्मों ने अभी कीमतों की घोषणा नहीं की है । तदपि, सेंट्रल इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी रिसर्च इन्स्टीटयूट पिलानी, जिन्होंने टी० वी० सेटों के निर्माण के लिए तकनीकी ज्ञान सप्लाई किया है यह सैट 1500 रुपये प्रति सैट पर बेच रहे हैं ।

Manufacture of Vertical Type Aeroplanes

590. Shri Kameshwar Singh : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are negotiating with Darnia Works Company of West Germany, for manufacturing take-off aeroplanes of vertical type in India and for import of technical know-how in this connection ;

(b) if so, the detailed outline thereof and the terms and conditions of the agreement with the said company ; and

(c) the amount of foreign exchange involved therein ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Defence Publicity Department

591. Shri Kameshwar Singh : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether any steps were taken by Government to organise and strengthen Defence Publicity Department after the Indo-Pak conflict ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the total number of Officers working in the Public Relations Department of the Ministry of Delhi and elsewhere in the country ; and

(d) the number of Honorary Commissioned Officers amongst them ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). The organisation and functioning of the set-up relating to defence publicity has been reviewed since the Indo-Pak Conflict of 1965 and a number of decisions have been taken, as a result of which it is hoped to be able to expand the Defence Publicity set-up in an orderly manner to cope with the requirements of operational publicity. Items like more adequate coverage of operations by official PR. Teams as well as newspaper correspondents, setting up of Base Press Camps, quick security clearance of press material and photographs, and training of personnel required to do the coverage have been provided for.

(c) 42.

(d) 14

राष्ट्रीय छात्र सेना-दल के सीनियर डिवीजन

592. **श्री यशपाल सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय छात्र सेना-दल के सीनियर डिवीजनों के अन्तर्गत छात्र सेना दलों की संख्या कम करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). एन० सी० सी० प्रशिक्षण की अनिवार्य अवधि के 3 वर्षों से घटा कर 2 वर्ष कर देने के फलस्वरूप, एन० सी० सी० के सीनियर डिवीजन की जनशक्ति में उस अधिकाधिक जनशक्ति की तुलना में जो 31–3–1967 को पहुंच गई थी। पहले से कमी आ गई है, ऐसी आशा की जाती है कि 1968–69 से कि जब नेशनल सर्विस कोर और नेशनल स्पार्टस आर्गनाइजेशन पुरस्तावित की जाएगी, और लड़कों को इन दोनों में एक को एन० सी० सी० के विकल्प के तौर पर चुनने का अधिकार होगा, वर्तमान जनशक्ति और भी कम हो जाएगी।

चौथी योजना को तैयार करना

593. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री कं० हाल्दर :
श्री रविराय :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के मुख्य मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार कर लिये गये हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद् ने उन्हें स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मोटी-मोटी बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस मामले में आगे कार्यवाही करने से पहले संसद् की स्वीकृति ली जायेगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी, हां।

(ख) "चौथी पंचवर्षीय योजना का मार्ग निर्धारण" सम्बन्धी दस्तावेज की प्रतियां माननीय सदस्यों में प्रचारित की गई हैं।

(ग) 'मार्ग निर्धारण' दस्तावेज पर संसद् सदस्यों की अनौपचारिक सलाहकार समिति और योजना सम्बन्धी संसद् सदस्यों की प्रधान मन्त्री की समिति की बैठक में विचार-विनिमय हो चुका है।

आकाशवाणी को स्वतंत्र निगम में बदलना

594. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी के वर्तमान ढांचे का पूर्ण अधिकार प्राप्त एक स्वतन्त्र निगम में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर अपने निर्णय को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मामले पर बारीकी से विचार की, और सरकार के अन्य कई मन्त्रालयों से विचार-विमर्श करने की आवश्यकता थी। यह काम हो रहा है।

मद्रास में छात्र सेना-दल पर से प्रतिबन्ध हटाना

595. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बीच मद्रास सरकार द्वारा मद्रास राज्य में छात्र दल पर लगाया प्रतिबन्ध हटा दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह मामला अब किस स्थिति में है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). मद्रास राज्य में एन० सी० सी० पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तदपि, एन० सी० सी० प्रशिक्षण वहीं मद्रास सरकार की प्रार्थना पर तब तक के लिए निलम्बित है कि जब तक राज्य सरकार के प्रस्ताव पर हिन्दी में कमान शब्दों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाता। यह एक ऐसा मामला है कि जो भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच पत्र व्यवहार के अधीन है।

एन० सी० सी० के वैमानिक पक्ष में सीमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसे कि ग्लाईडिंग और पावर उड़ान में, और ओ० टी० एस० (अफसर ट्रेनिंग यूनिट) कैम्प लगाए जा रहे हैं।

भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता

596. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री अंबचेजियान :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह स्वीकार कर लिया गया है कि भारत और रूस शीघ्र ही विश्व समस्याओं पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे;

(ख) यदि हां, तो यह बैठक कब होने की सम्भावना है; और

(ग) भारत प्रति वर्ष कितने देशों से ऐसी वार्तायें कर रहा है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) हां।

(ख) इस वार्ता के लिए अभी तक कोई तारीख निश्चित नहीं हुई है।

(ग) फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, यूगोस्लाविया, जापान, आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब गण-राज्य, श्रीलंका और सिंगापुर की सरकारों के साथ इसी प्रकार की बातचीत करने के बारे में सहमति हुई है।

पाकिस्तान के सैनिक प्रतिनिधि मंडल की रूस यात्रा

597. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री अंबचेजियान :
श्री स० कुन्डू :

श्री चेंगलराया नायडू :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री टी० पी० शाह :
श्री श्रीधरन :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री हेम राज :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के एक सैनिक प्रतिनिधि मण्डल ने रूस की यात्रा की है और पाकिस्तान के लिये रूसी हथियार प्राप्त करने में सफल हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक ठीक है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान को रूस द्वारा हथियारों की सप्लाई पर रूस से विरोध प्रकट किया है जब कि पाकिस्तान चीन की सहायता से भी अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो रूस सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). जी हां । हमको ये संकेत मिले थे कि सोवियत रूस पाकिस्तान को कुछ हथियार देने के लिए सहमत हो गया है ।

(ग) भारत सरकार ने इस मामले को सोवियत रूस के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया था ।

(घ) सोवियत रूस ने हमको सूचित किया है कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जिससे भारत और सोवियत रूस के बीच वर्तमान गहरी मैत्री को चोट पहुंचे ।

निर्वासित नागालैंड सरकार

598. **श्री यज्ञदत्त :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि विद्रोही नागा नेता फिज़ो के भविष्य में एक ईसाई राज्य स्थापित करने के लिये शीघ्र ही एक निर्वासित सरकार स्थापित करने की सम्भावना है जिसका मुख्यालय चीन में होगा और उत्तरी बर्मा के साथ संलग्न क्षेत्र को आधार बना कर वह अपना कार्य करेगी ।

(ख) क्या वहां से न केवल नागाओं के लिये बल्कि आसाम के मिजोओं तथा कुकियों तथा बर्मा के कयिनो के लिये भी स्वाधीनता आन्दोलन चलाया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो देश के इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सही-सही सूचना प्राप्त नहीं हुई है परन्तु चीन लोक गणराज्य के प्रदेश में किसी ईसाई राज्य के मुख्यालय स्थापित होने की बात को वह कुछ असंगत ही समझती है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता में इंजनों का निर्माण

599. **श्री सत्य नारायण सिंह :** **श्री नम्बियार :**
श्री अब्राहम : **श्री रमानी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड के लिये 12,000 अश्व-शक्ति के इंजन बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परिवर्तन पर कितनी राशि खर्च होगी तथा मशीनें खरीदने के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान शिपयार्ड के साथ कोई पूर्व करार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी नहीं। निम्न अश्व-शक्ति इंजनों के अतिरिक्त उच्चतर अश्व-शक्ति इंजनों के निर्माण की भी योजना है।

(ख) निर्माण कार्यक्रम देशीय पोत निर्माताओं की आवश्यकताएं जुटाने के लिए अभिकल्पित किया गया है।

(ग) सन्यन्त्र और मशीनों के लिए उपरोक्त निर्णय लेने के पश्चात् मई, 1968 में ही आर्डर भेजे गए हैं। इसलिए आर्डर की गई मशीनें दोनों प्रकार के इंजनों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं ;

(घ) हिन्दुस्तान शिपयार्ड के सलाह मशविरे के साथ और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार इंजनों के निर्माण के लिए योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

विदेशों में भारतीय राजदूत

600. **श्री सत्य नारायण सिंह :** **श्री उमानाथ :**
श्री प० गोपालन : **श्री एस्थोस :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय राजदूतों तथा उच्च आयुक्तों की संख्या कितनी है; और

(ख) उन राजदूतों तथा उच्च आयुक्तों के नाम क्या हैं, जो नियुक्ति से पूर्व कांग्रेस दल के सदस्य थे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) 7.।

(ख) तीन, अर्थात्, श्री राज बहादुर, नेपाल मे राजदूत; श्री ए० एम० टॉमस, आस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर; और श्री ओ० वी० अलगेसन, इथोपिया मे मनोनीत राजदूत।

आकाशवाणी के माध्यम से संस्कृत का शिक्षा-पाठ

601. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी का संस्कृत कार्यक्रम सलाहकार समिति ने सिफारिश

की है कि संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिये आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से संस्कृत भाषा के शिक्षा-पाठों का प्रसारण पुनः आरम्भ किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी के कई केन्द्रों मे 1967 में संस्कृत में 52 पाठों की एक श्रृंखला प्रसारित की गई थी और ऐसा प्रस्ताव था कि ये पाठ हर वर्ष दोहराये जायेंगे। किन्तु पाठों के दोहराने का कार्य अभी तक पूरा होना सम्भव नहीं हो सका। इसलिये, सलाहकार समिति की सिफारिश पर आकाशवाणी ने यह निर्णय लिया है कि पाठों के दोहराये जाने की प्रतिक्षा न की जाये और इनको पुनः प्रसारित किया जाए। ऐसा जल्दी हो किया जायेगा।

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन (मई, 1968)

602. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1968 में नई दिल्ली में मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ था तथा उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद् की कार्यवाही में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी, हां, राष्ट्रीय विकास परिषद् जिसके सदस्य सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मन्त्री हैं, की बैठक में नई दिल्ली में 17 और 18 मई, 1968 को हुई थी।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् ने योजना आयोग के दस्तावेज "चौथी पंचवर्षीय योजना का मार्ग-निर्धारण" पर विचार किया और इस बात पर सहमति प्रकट की कि मार्ग-निर्धारण के आधार पर आयोग साधनों और कार्यक्रमों का ब्यौरा तैयार करे। परिषद् ने राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के वितरण के सिद्धान्तों और चौथी पंचवर्षीय योजना की केन्द्र से सहायता प्राप्त करने वाली और केन्द्र संचालित स्कीमों को वित्त उपलब्ध करने की प्रणाली पर विचार करने के लिए उपाध्यक्ष योजना आयोग की अध्यक्षता में राज्य मुख्य मन्त्रियों की एक समिति का भी गठन किया।

परमाणु बिजली घर के लिये स्थान

603. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु बिजलीघर की स्थापना के लिये स्थान की सिफारिश करने के लिये अणुशक्ति आयोग ने उत्तरी राज्यों की एक समिति गठित की है;

(ख) क्या उस समिति ने इस बारे में अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस समिति ने किस स्थान का सुझाव दिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्तिमंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं। तथापि, उत्तरी राज्यों में परमाणु बिजलीघर लगाने की गुंजाइश तथा उसके आर्थिक महत्व का अध्ययन करने तथा इस बारे में मशवरा देने के लिए एक स्टियरिंग ग्रुप स्थापित किया गया है जिसमें इन राज्यों के बिजली बोर्डों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

(ख) स्टियरिंग ग्रुप ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिकियांग गिलगित सड़क

604. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री श्रद्धाकार सूपकार :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन और पाकिस्तान ने चीन में सिकियांग से लेकर पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर मे गिलगित तक एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनानी आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी नहीं ।

(ख) पाकिस्तान और चीन की कोई मिली-जुली सीमा रेखा नहीं है, ये दोनों देश जम्मू और काश्मीर में भारतीय प्रदेश द्वारा अलग-अलग हो गए हैं और इस प्रदेश पर पाकिस्तान का अवैध अधिकार है । इसलिए, पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर के बारे में पाकिस्तान का चीन के साथ कोई भी समझौता करना अवैध है, अमान्य है और हमको पूरी तरह से अस्वीकार्य है । हमारी सरकार ने चीन और पाकिस्तान की सरकारों से इसके प्रति घोर विरोध प्रकट किया है ।

इस सड़क के बन जाने से और इस समझौते से उन सांठ-गांठों का और भी प्रमाण मिलता है जो चीन और पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कर रहे हैं । इस सड़क के बन जाने से जिन खतरों के उत्पन्न होने की आशंका है सरकार उनके प्रति जागरुक है और भविष्य में जो भी स्थिति उत्पन्न होगी उससे वह अच्छी तरह निबट लेगी ।

नागाओं के साथ मुठभेड़

605. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा: श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री श्रीधरन : श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री मणिभाई ज० पटेल : श्री अम्बेचेजियान :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री समर गुह : श्री रविराय :
श्री दामानी : श्री शिवचन्द्र झा :
श्री स० कुण्डू : श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा : श्री शिवकुमार शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पूरी : श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री शशिभूषण वाजपेयी : श्री काशीनाथ पाण्डेय :
श्री ओ० प्र० त्यागी : श्री राम सेवक यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन से लौट रहे छिपे नागाओं और सुरक्षा सेना के बीच कोहिमा के निकट जून, 1968 में भारी मुठभेड़ हुई थीं ;

(ख) क्या इन मुठभेड़ों के दौरान सुरक्षा सेना ने नागाओं से ऐसे अनेक हथियार तथा गोला

बारूद जिन पर चीनी निशान थे, और आपत्तिजनक दस्तावेज पकड़े थे जिनमें उनका चीन के साथ छिपे सम्पर्क का सबूत पक्का मिला है;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) इन मुठभेड़ों का ब्यौरा क्या है और सुरक्षा सेनाओं के कितने व्यक्ति हताहत हुए हैं; और

(ङ) इस मामले म क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां। चीन से जोड़े छिपे सशस्त्र नागा दल और हमारी सुरक्षा सेना के बीच 7 जून, 1968 को कोहिमा के कोई छह मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक स्थान पर मुठभेड़ हुई थी।

(ख) और (ग). जी हां। इस मुठभेड़ में जो दस्तावेज पकड़े गए थे वे चीन के साथ छिपे नागाओं के सम्पर्क के निर्णायक प्रमाण हैं। जो हथियार पकड़े गए हैं उन पर या तो निशान हैं ही नहीं या बहुत से हथियारों पर से उन्हें घिस कर मिटा दिया गया है लेकिन वे हैं उसी तरह के जिस तरह चीनी सेना में आम तौर से इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारी सुरक्षा सेना ने निम्नलिखित हथियार, गोला बारूद और उपकरण पकड़े थे :

(क)	60 एम० एम० मोर्टर.	1
(ख)	7.62 एस एल आर (मुड़ने वाली संगीन सहित) . .	2
(ग)	बेरी लाइट पिस्तौल	1
(घ)	303 की राइफल	10
(ङ)	स्टेन गन	1
(च)	भारी मात्रा में गोला बारूद	
(छ)	चीनी वर्दी में और चीनी निर्देशकों के साथ 'नागा सेना' के कर्मचारियों के फोटोग्राफ	
(ज)	चीनी मार्के वाले दवाइयों के डिब्बे	
(झ)	ऐसे कागजात जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि वह गिरोह चीन से लौटा है।	

(घ) 7 जून, 1968 की मुठभेड़ में हमारी सुरक्षा सेना में हताहतों की संख्या इस प्रकार थी :

मारे गए	27
घायल	20

(ङ) बर्मा के साथ लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को और सुदृढ़ करने के लिए समुचित कदम उठाए गए हैं।

समाचार पत्रों को सहायता

606. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार पत्रों को एक पूर्ण उद्योग माने जाने के परिणामस्वरूप जैसा कि उन्होंने 26 जून, 1968 को जालन्धर में एक सम्वाददाता सम्मेलन में घोषणा की थी, उन्हें क्या सहायता देने का विचार है;

(ख) क्या मुद्रण मशीनों का आयात सम्बन्धी व्यवस्था को इस बीच उदार बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) यह निर्णय किया गया है कि किसी भी औद्योगिक संस्था को, जो पुस्तकों या समाचार-पत्रों आदि को छापने के काम में लगी हो या उसका अपना ही छपाई प्रैस लगाने का विचार हो, इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन एक्ट, 1948 की धारा 2(सी) स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन एक्ट, 1951 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया एक्ट, 1964 के अन्तर्गत उद्योग की परिभाषा में औद्योगिक संस्था समझा जा सकता है और अतएव, यह संस्था नया छपाई प्रैस लगाने या वर्तमान छपाई प्रेस का विस्तार करने के लिये मशीन तथा उपकरण अर्जन के लिये इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया, इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन या स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन से वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना कर सकती है। तथापि वित्तीय संस्थानों के स्रोत अवरुद्ध होने के कारण और उन उद्योगों जो अधिक प्राथमिकता रखते हैं, की मांग के कारण वित्तीय संस्थाओं के लिये पुस्तकों या समाचार पत्रों आदि छापने के काम में लगे या लगने वाली संस्थाओं को प्रभावशाली वित्तीय सहायता देना सम्भव न हो सकेगा।

तदनुसार, इस कार्य के लिये समाचार पत्र उद्योग को उच्च प्राथमिकता देने के लिये इस मामले पर योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। छपाई के छोटे प्रेस को उधार गारण्टी योजना के अन्तर्गत "लघु उद्योग यूनिट" मे शामिल करने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

(ख) और (ग). सरकार छपाई की मशीनों के आयात के लिये प्रार्थना पर समाचार-पत्रों की प्रधानता तथा विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के आधार पर विचार करती है। नीति, जिसको उदार बना दिया गया है, के अनुसार सरकार ने मशीनों का पुर्ननिर्माण समेत छपाई की मशीनों को दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र से आयात करने की स्वीकृति भी दे दी है। चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट ने भी आम सूचना के द्वारा लाइसेन्स के आयात के लिये आवेदन पत्र मांगे हैं। आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 1968 है।

शक्तिशाली ट्रांसमिटर

607. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीकिंग रेडियो के प्रचार का मुकाबला करने और सीमा क्षेत्रों में प्रसारण के लिये शक्तिशाली ट्रांसमिटरों को लगाने का काम आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) जालन्धर और कलकत्ता के दो उच्च शक्ति के मीडियम वेव ट्रांसमीटर पहले ही चालू हो चुके हैं और तीसरा डिब्रूगढ़ में चालू किये जाने के लिये तैयार है, और ट्रांसमीटर, अगले दो या तीन वर्षों में क्रमिक रूप से लगाये जायेंगे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग के लिपिक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

608. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : **श्री अनिरुद्धन** :
श्री अ० दिचन : **श्री पी० राममूर्ति** :

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : **श्री नम्बियार :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग के लिपिक कर्मचारियों ने हाल में लन्दन में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल में कितने कर्मचारियों ने भाग लिया था तथा उनकी मांगें क्या-क्या थीं;

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने और उनकी सेवा की शर्तों सम्बन्धी नियमों में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(घ) क्या उच्चायोग के कर्मचारियों ने ऐसी मांग पहले भी की थी; और

(ङ) यदि हां, तो कब तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). जी नहीं । परन्तु स्थानीय रूप से भरती किये हुए नगण्य-संख्यक अस्थायी क्लर्कों ने वेतन और भत्तों में वृद्धि की मांग करते हुए थोड़े समय के लिये एक प्रदर्शन किया था । ह्विटले काउंसिल के कर्मचारियों ने इसमें भाग नहीं लिया ।

(ग) से (ङ). स्थानीय रूप से भरती किये हुए क्लर्कों के वेतन/भत्तों की अपर्याप्तता के बारे में समय समय पर विरोध-प्रदर्शन होते रहे हैं । 1-1-67 से निर्वाह-व्यय भत्ते में तदर्थ वृद्धि की गई थी । अब इस भत्ते में 1-4-68 से पूर्व व्याप्ति सहित और भी वृद्धि कर दी गई है । इन वृद्धियों से स्थानीय रूप से भरती किये हुए क्लर्क काफी संतुष्ट हुए हैं परन्तु उनकी शर्तों में और सुधार करने के प्रश्न की ओर ध्यान दिया जा रहा है ।

आकाशवाणी के प्रसारणों में गड़बड़ी

609. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री अज... खां :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन दिनों आकाशवाणी के प्रसारणों में बार-बार गड़बड़ी होती रहती है, जिसके परिणामस्वरूप श्रोताओं को बड़ी असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी गड़बड़ी न होने देने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) निवारक-अनुरक्षण की सावधानी-पूर्वक योजित एक पद्धति के द्वारा पूरा प्रयत्न किया जाता है कि उपकरण कम से कम त्रुटियां पैदा हों ।

भारत और मलेशिया के बीच बातचीत

610. श्री दामानी : **श्री वि० ना० शास्त्री :**
श्री रा० रा० सिंहदेव : **श्री य० प्र० प्रसाद :**
श्री वीरेन्द्र देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1968 के अन्तिम सप्ताह में भारत और मलेयेशिया सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या क्या बातचीत हुई थी तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) इस बातचीत में इन दोनों देशों के बीच तकनीकी, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सहयोग जैसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई और इनके बारे में समझौता हो गया। भारत ने कृषि, रक्षा, वन-विज्ञान, स्वास्थ्य, सूचना एवं प्रसारण, मानचित्रांकन और सर्वेक्षण के प्रशिक्षण के लिये अधिकाधिक सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखा है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक करारों पर हस्ताक्षर करने के ऊपर भी सैद्धांतिक रूप में सहमति प्रकट की गई। साथ ही दोहरे करारोपण के निवारण पर भी समझौता हो गया। इस बात पर भी सहमति प्रकट की गई कि संयुक्त औद्योगिक उद्यमों और उद्योगपतियों की पारस्परिक यात्राओं को प्रोत्साहन दिया जाये।

इलाहाबाद रेडियो स्टेशन से साम्प्रदायिक दंगों के बारे में प्रसारण

611. श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद के नागरिकों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें 19 अप्रैल, 1968 को इलाहाबाद रेडियो स्टेशन से हुए अत्यन्त आपत्तिजनक प्रसारण की जांच करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उसी दिन इलाहाबाद के दंगों में तीन मृत व्यक्तियों के परिवारों से साक्षात्कार करते समय कुछ उत्तेजक शब्दों का भी उपयोग किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रसारण की किस अधिकारी ने अनुमति दी थी। और ऐसे उत्तेजक शब्दों के प्रसारण के लिये सम्बद्ध जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) प्रधान मंत्री को इलाहाबाद के नागरिकों द्वारा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, इलाहाबाद से एक व्यक्ति ने आकाशवाणी के इलाहाबाद केन्द्र निदेशक को एक शिकायत भेजी थी तथा उसकी एक प्रति प्रधान मंत्री को भी भेजी थी।

(ख) शिकायत यह थी कि 19 अप्रैल, 1968 को इलाहाबाद स्टेशन से साम्प्रदायिक दंगों से सम्बन्धित प्रसारित एक कार्यक्रम स्थिति का विकृत और गुमराह करने वाला वर्णन प्रस्तुत करता था।

(ग) 19 अप्रैल, 1968 को इलाहाबाद स्टेशन से एक कार्यक्रम प्रसारित किया गया था जिसमें साम्प्रदायिक दंगों के कारण पीड़ित एक परिवार के सदस्यों से इन्टरव्यू लिया गया था। इन्टरव्यू में कोई उत्तेजक शब्द नहीं आये परन्तु इसको प्रस्तुत करने के ढंग से, जिसने गलत फ़हमी पैदा कर दी, कार्यक्रम की भावना लुप्त हो गई।

(घ) जूंही हमें इस मामले का पता चला, हमने उन परिस्थितियों की जांच आरम्भ कर दी जिसमें वह विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। भविष्य में ऐसे कार्यक्रम प्रसारित न किये जायें, इस बारे में उचित कदम उठाये गये हैं। जांच समाप्त होने के उपरान्त यदि कोई अनुशासनात्मिक कार्यवाही की आवश्यकता हुई तो वह की जायेगी।

पाकिस्तान में नजरबन्द दिल्ली का एक विद्यार्थी

612. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री रवि राय :
श्री सीताराम केसरी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :
श्री कासी नाथ पान्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा प्रार्थना किये जाने के बावजूद भी पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान की जेल में नजरबंद दिल्ली के एक विद्यार्थी श्री त्रिलोक चंद को अभी तक रिहा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उसकी छोटी बहिन ने इसके बारे में पाकिस्तान के उच्च आयुक्त को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान सरकार ने श्री त्रिलोक चंद के बदले में गुलजार हुसैन शाह अथवा इब्राहीम को छोड़ने के लिये भारत सरकार से कहा है; और

(घ) यदि हां, तो श्री त्रिलोक चंद को छुड़ाने के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) पाकिस्तान सरकार को सूचित कर दिया गया है कि इब्राहीम जेल की अपनी सजा काट लेने के बाद, 1 अप्रैल, 1963 को पहले ही पाकिस्तान चला गया था और गुलजार हुसैन शाह भी जुलाई, 1967 में रिहा होकर पाकिस्तान चला गया था लेकिन वह भारत में पुनः अवैध रूप से घुस आया, जिसके लिए उस पर अभियोग चलाया गया और जनवरी '68 में उसको एक वर्ष की जेल की सजा हो गई। उसने अभी जेल की सजा की अवधि पूरी नहीं की है। पाकिस्तान सरकार ने त्रिलोक चंद के बदले में दो और पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के नाम सुझाये हैं। इन दो व्यक्तियों में से एक से त्रिलोक चंद का बदला कर लेने के प्रश्न पर सरकार अभी विचार कर रही है।

पाकिस्तान द्वारा एक और इच्छोगिल नहर का निर्माण

613. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : श्री निहाल सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण : श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री अजमल खां : श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने छम्ब क्षेत्र में इच्छोगिल की तरह की एक और नहर तथा एक ऊंची दीवार बनानी आरम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्यालकोट क्षेत्र में भी नहर का निर्माण कार्य काफी हद तक पूरा हो चुका है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में छापामार युद्ध प्रशिक्षण केन्द्र भी खोल दिये हैं;

(घ) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ को इसकी सूचना दे दी है; और

(ङ) 1965 के पाकिस्तानी संघर्ष को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार क्या रक्षात्मक उपाय कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). सरकार को पाकिस्तान द्वारा छम्ब और स्यालकोट क्षेत्रों में टैंक विरोधी प्रतिरोधों के निर्माण का ज्ञान है, और विभिन्न स्थानों पर गुरीला ढंग की युद्ध प्रणाली में प्रशिक्षण के लिए केन्द्र चलाने का भी ।

(घ) जब भी आवश्यक हो युद्धविराम करारनामों के उल्लंघनों की ओर संयुक्त राष्ट्रों के सैनिक प्रेक्षकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । देश की सुरक्षा और प्रादेशिक समग्रता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं ।

(ङ) विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

Fur Pyjamas for Jawans

614. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Defence be pleased to state.

(a) whether it is a fact that a decision was taken in 1962 to provide heavy fur pyjamas in place of serge pyjamas to the Jawans stationed at snow-covered mountains and such pyjamas were purchased at a cost of Rs. 2·5 crores ;

(b) whether no prior assessment was made in regard to the suitability of fur pyjamas for the reaction of jawans was obtained thereto and a further lot of fur pyjamas was purchased in 1964 at the cost of Rs. 1 crore ;

(c) whether it is also a fact that fur pyjamas did not prove useful for jawans and serge pyjamas had instead to be supplied and fur pyjamas worth Rs. 2 crores are lying unused with Government ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) A decision was taken in 1962 that Trousers Parka (there is no such nomenclature as heavy Fur Pyjamas) be provisioned at a cost of Rs. 1·83 crores, for the entire Force that was deployed or likely to be deployed in extreme cold regions, in addition to the Trousers Serge already available with troops.

1773 (ai) LSD—4.

(b) The suitability of the item was fully assessed by the technical development authorities as well as the users. A further indent for Trousers Parka was raised in 1964, to cover requirements for three years at an estimated cost of Rs. 1 crore.

(c) and (d). Trousers Parka have been found useful and are considered to be the best available clothing for full protection under extreme cold conditions. Trousers Serge are not issued in lieu of Trousers Parka. The latter are issued as an additional item to troops deployed or likely to be deployed in extreme cold regions. At present Trousers Parka costing Rs. 82.27 lakhs are held in stock for the following reasons :—

(*i*) need in terms of the prescribed scale ;

(*ii*) Army HQ reserve to be retained for issue when required ;

(*iii*) three years maintenance requirements required to be held in accordance with the approved provisioning policy.

Manufacture of Submarines in India

615. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state the progress so far made by Government for the manufacture of submarines in India ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : At present, there is no project for the construction of submarines in India.

गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता में भर्ती

616. **श्री गणेश घोष :**
श्री वि० कु० मोडक :
श्री मोहम्मद इस्माइल :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता में भर्ती उपयुक्त विज्ञापन द्वारा की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पदों के विज्ञापन आपने किये बिना ही बड़ी संख्या में तकनीकी अधिकारी तथा कनिष्ठ पर्यवेक्षक समिति के द्वारा भर्ती कर लिये गये हैं ;

(ग) ऐसी नियुक्तियों की कुल संख्या कितनी है तथा ऐसा करने के क्या कारण थे; और

(घ) क्या सीधी भर्ती करने के लिये सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई थी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तकनीकी अफसरी काडर के स्थानों के लिए साधारणतः इश्तहार किये जाते हैं । जूनियर सुपरवाइजरों, क्लर्कों और कार्मिकों के स्थान उन प्रार्थियों से पुर की जाती हैं, जिनके प्रार्थनापत्र इस उद्देश्य के लिए धृत फाइलों में प्राप्य हों ।

(ख) और (ग). कुछ तकनीकी अफसर बिना इश्तहार दिए सीधे भर्ती किए जाते हैं । जूनियर सुपरवाइजरों के स्थान अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों से पुर किए जाते हैं, प्राथमिकता भूतपूर्व सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व सेविवर्ग को दी जाती है ।

गत तीन वर्षों में तकनीकी काडर की प्रथम श्रेणी में 59 नियुक्तियां की गईं इन अफसरों में से 30 घोषित किए गए स्थानों के विरुद्ध भर्ती किए गए थे, और इन प्रार्थियों में से जिन्होंने सीधे प्रार्थनापत्र भेजे, और जिन्हें अच्छी अर्हता और अनुभव प्राप्त था। शेष में से 5 प्रतिनियुक्त थे, 3 कोनसल आफ इण्डस्ट्रीयल रिसर्च द्वारा और भारत सरकार द्वारा नामित ग्रेजुएट अप्रेंटिसों द्वारा स्पांसर किए गए थे, 9 अन्य राजकीय क्षेत्रों के उपकरणों सरकारी विभागों के थे, और 3 को मेरीन डीज़ल इंजनों के निर्माण का अनुभव प्राप्त था।

जूनियर सुपरवाइजरों के 65 स्थानों में से, 11 इश्तहारों द्वारा पुर किए गए थे, 29 सेवा से विमुक्त सशस्त्र सेनाओं के सेविवर्ग के अतिरिक्त 22 सीधे भर्ती किए गए थे। और 3 व्यक्ति टर्बाइन पम्पों के निर्माण के लिए विशेष प्रशिक्षण सहित।

(घ) सीधे भर्ती के लिए कम्पनी को सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता

617. **श्री गणेश घोष :**
श्री वि० कु० मोडक :
श्री मोहम्मद इस्माइल :
श्री भगवान दास :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता में ओल्ड हल शाप का नवीकरण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) क्या इस नवीकरण से पहले प्रबन्ध निदेशक ने वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों से परामर्श किया था ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ;

(ङ) क्या यह सच है कि जिस प्रयोजन के लिये हल शाप का नवीकरण किया गया था, उसके लिये वह उपयुक्त नहीं पाई गई है ;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) 112177 रुपये।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं। नवीकरण चिर-अवलम्बित विशेष मरम्मत के रूप का था। यह किसी किसी विशेष उत्पादन रेखा के लिए अभिविन्यस्त नहीं किया गया था। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता कि जिस काम के लिए शाप का नवीकरण किया गया था, उसके लिए वह उपयुक्त है या नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता

618. श्री गणेश घोष :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री मोहम्मद इस्माइल :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्रेन डिवीजन के ड्राइंग कार्यालय और एम० ए० एन० परियोजना के कलकत्ता कार्यालय को गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता से अन्यत्र ले जाने के लिये फेयरली प्लेस, कलकत्ता में किराये पर एक कार्यालय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्कशाप के आंगन में काफी जगह खाली पड़ी है ; और

(घ) यदि हां, तो ड्राइंग कार्यालय और एम० ए० एन० परियोजना कार्यालय के लिये इस स्थान का प्रयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). क्रेन्ज डिवीज़न और नए मेरीन डीज़ल इंजन प्रोजेक्ट डिवीजन के डिजाईन तथा ड्राइंग कार्यालय की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए वर्कशाप्स में उपयुक्त स्थान प्राप्त न था । मेरीन डीजल इंजनों समेत कम्पनी के उत्पादनों के विक्रय के लिए एक सेल्ज डिवीज़न का केन्द्रक शुरू करने की भी आवश्यकता थी ।

रूस के साथ करार

619. श्री वि० कु० मोडक :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री नम्बियार :
श्री नायनार :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री पं० राममूर्ति :
श्री रमानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या 30 अप्रैल, 1968 को भारत और रूस के बीच अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में कोई करार हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). परमाणु ऊर्जा के शान्तिमय उपयोगों के क्षेत्र में तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 30 अप्रैल, 1968 को भारत तथा रूस ने एक करार पर हस्ताक्षर किए। इस करार के अनुसार दोनों देशों के परमाणु ऊर्जा अधिकारियों की रजामंदी

से तैयार की गई वार्षिक योजनाओं के अनुरूप दोनों देश वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे ।

नेफा और नागालैंड में विमानों से रसद गिराना

620. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड और नेफा में सैनिक टुकड़ियों को विमानों से रसद गिराई जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब से किया जा रहा है तथा कितने प्रतिशत खाद्य सामग्री सैनिकों के पास नहीं पहुंचती है और बेकार जाती है ;

(ग) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में सैनिक टुकड़ियों को खाद्य पदार्थ सप्लाई करने के अधिक अच्छे साधन ढूंढ़ निकालने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो उपायों का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) नागालैंड और उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी के नियुक्त स्थानों में सेवा कर रही सेना यूनिटों के लिए उनकी स्थिति और सड़क संचार की प्राप्य सुविधाओं पर निर्भर केवल या अंशतः अंतरिक्ष से गिरा कर खाद्य सामग्री सप्लाई की जाती है ।

(ख) ऐसा 1956 से किया जा रहा है । अन्तरिक्ष से विभिन्न द्रव्यों के गिराने से पूर्वी क्षेत्र में क्षति, भार के संबंध में, अप्रैल से सितम्बर, 1966 की अवधि में 4 प्रतिशत से कम थी ।

(ग) जी हां ।

(घ) इन क्षेत्रों में सेना यूनिटों को खाद्य वितरण करने के अधिक अच्छे ढंग निकालने के लिए समय-समय पर पग उठाए जाते हैं । इन में शामिल हैं पाईलाटों और एयर डिस्पैच सेविवर्ग को भारी प्रशिक्षण के अतिरिक्त सड़कों का निर्माण और सप्लाई गिराने के क्षेत्रों, सामान गिराने के साजसामान, सामान पैक करने में सुधार ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में सलाहकार समितियां, बोर्ड आदि

621. श्री प्रेम चंद वर्मा : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध विभिन्न सलाहकार समितियों, बोर्डों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों और उनके सदस्यों के नाम क्या हैं और उन में से प्रत्येक को क्या कार्य सौंपे गये हैं ;

(ख) प्रत्येक समिति या बोर्ड के कितने सदस्य सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं और कितने अधिकारी हैं ;

(ग) क्या सदस्यों को केवल एक ही कार्य काल के लिये मनोनीत किया जाता है और यदि नहीं, तो एक सदस्य को कितनी बार मनोनीत किया जा सकता है और एक कार्यकाल की अवधि क्या है; और

(घ) वर्ष 1967-68 में इन संगठनों पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) विदेश मंत्रालय में इस प्रकार की तीन समितियां हैं; यथा (1) केंद्रीय हज

समिति; (2) हज समिति, बंबई: और (3) अंतर्राष्ट्रीय मानव-अधिकार वर्ष, 1968 के अखिल भारतीय, समारोहों का समन्वय करने वाली राष्ट्रीय समिति ।

इन समितियों के सदस्यों के नाम और उनके कार्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) और (ग). जानकारी सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1404/68**]

(घ) 1967-68 के वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रीय हज समिति पर कुल खर्चा रु० 7370 आया ।

हज समिति, बंबई को चलाने पर भारत सरकार कोई खर्चा नहीं करती, क्योंकि अपना काम चलाने के लिए समिति के अपने निजी आय-स्रोत हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय मानव-अधिकार वर्ष के समारोह की राष्ट्रीय समिति पर अभी तक कोई भी खर्चा नहीं किया गया है ।

विदेश गये प्रतिनिधि मंडल तथा अधिकारी

622. **श्री प्रम चंद वर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष उन के मंत्रालय के अनुरोध पर, सरकारी खर्च पर कितने प्रतिनिधि मंडल, मंत्री, अधिकारी अथवा अन्य विशेषज्ञ विदेश गये ;

(ख) उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया और उनके दौरे की अवधि क्या थी;

(ग) प्रत्येक दौरे पर कितना खर्च किया गया और उस में विदेशी मुद्रा का अंश कितना था; और

(घ) प्रत्येक दौरे के फलस्वरूप सरकार को किस प्रकार का यथार्थ लाभ हुआ, कितने समझौते किये गये तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Industrial Undertakings under Defence Ministry

623. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6831 on the 10th April, 1968 and state

(a) whether information in regard to the amount spent on each of the industrial undertakings has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the reasons for the delay ; and

(d) when a decision is likely to be taken about the replies to parts (b) and (c) referred to in the question ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c). The information has been collected and is being placed on the Table of the House.

(d) The final decision is likely to take some more time.

समाचार पत्रों के लिये वित्त निगम

624. **श्री धीरेश्वर कलिता : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तथा पूर्वी समाचारपत्र संस्था के अध्यक्ष ने मांग की है कि समाचारपत्रों की सहायता करने के लिये एक वित्त निगम स्थापित किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) जी, हां।

(ख): साधनों की कमी के कारण निगम स्थापित करना संभव नहीं हो सका। तथापि, यह निर्णय किया गया है कि किसी भी औद्योगिक संस्था को, जो पुस्तकों या समाचार पत्रों आदि को छापने के काम में लगा हो या उसका अपना ही छपाई प्रैस लगाने का विचार हो, इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन एक्ट 1948 की धारा 2 (सी), स्टेट फाइनेंसियल कारपोरेशन ऐक्ट, 1951 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ़ इण्डिया ऐक्ट, 1964 के अन्तर्गत उद्योग की परिभाषा में औद्योगिक संस्था समझा जा सकता है और अतएव यह संस्था नया यूनिट स्थापित करने या वर्तमान यूनिट का विस्तार करने के लिये मशीन तथा उपकरण प्राप्त करने के लिये इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ़ इण्डिया, इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन या स्टेट फाइनेंसियल कारपोरेशन से वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना कर सकता है। तथापि, वित्तीय संस्थानों के स्रोत अवरुद्ध होने के कारण और उन उद्योगों, जो अधिक प्राथमिकता रखते हैं, की मांग के कारण, वित्तीय संस्थाओं के लिये पुस्तकों या समाचारपत्रों आदि छापने के काम में लगे या लगने वाली संस्थाओं को प्रभावशाली वित्तीय सहायता देना सम्भव न हो सकेगा। तदनुसार, इस कार्य के लिये समाचारपत्र उद्योग को उच्च प्राथमिकता देने के लिये, इस मामले पर योजना आयोग के साथ विचार-विमर्ष किया जा रहा है। छपाई के छोटे प्रेस को उधार गारंटी योजना के अन्तर्गत "लघु उद्योग यूनिट" में शामिल करने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान

625. **श्री धीरेश्वर कलिता : श्री वासुदेवन् नायर : श्री हेम राज : श्री काशीनाथ पाण्डेय :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने परमाणु अस्त्र अप्रसार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में भाग नहीं लिया ; और

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा मतदान में भाग न लिये जाने के क्या कारण थे ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) (क) जी हां ।

(ख) हमने संधि की सिफारिश करने वाले प्रारूप प्रस्ताव पर मत देने से स्वयं को अलग रखा क्योंकि हम इस संधि को असंतोषजनक और वैषम्यपूर्ण समझते हैं । समर्थन के अभाव को सूचित करने का, परहेज एक मान्य तरीका है ; निषेधात्मक मत डालना आवश्यक नहीं है ।

1964 का भारत–श्री लंका करार

626. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 के भारत-श्री लंका करार के आधार पर श्री लंका में भारत मूलक व्यक्तियों की समस्या को हल करने में कितनी प्रगति हुई है ।

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जो व्यक्ति भारत लौट आए हैं उन्हें बसाने में कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) भारत और श्री लंका की सरकारों की ओर से 24 अप्रैल, 1968 को सार्वजनिक नोटिस निकाले गए थे जिन में 1964 के भारत/श्री लंका करार के अंतर्गत आने वाले लोगों से भारतीय । श्रीलंका नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र मांगे गए थे । दो वर्ष की समयावधि निश्चित कर दी गई है जिसमें ये प्रार्थना पत्र लिए जाएंगे और यह अवधि 30 अप्रैल, 1970 को समाप्त होती है । यह करार होने की तारीख से अर्थात् 30 अक्तूबर 1964 से 30 जून, 1968 तक, इसके अंतर्गत आने वाली 23432 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी थी । इन में से 5542 भारत लौट आए हैं। इन देश-प्रत्यावर्तियों ने भारत सरकार से किसी तरह के पुनर्वास लाभ की याचना नहीं की है । देश-प्रत्यावर्तियों को फिर से बसाने के सिलसिले में जो कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में जिन प्रस्तावों पर विचार हो रहा है उनका एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1. श्री लंका से वापस आने वाले भारत मूलक लोगों को रोजगार कार्यालयों द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जाती है ।

2. रोजगार कार्यालयों की मार्फत केन्द्रीय सरकार में नियुक्ति के लिए आयु की अधिकतम सीमा को 45 वर्ष कर दिया गया है ; (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए 50 वर्ष) ।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं द्वारा नियुक्तियों के लिए अधिकतम आयु में 3 वर्ष तथा परीक्षा शुल्क में रियायतें भी दी गई हैं ।

4. विशाखापटनम तथा मद्रास में नियुक्त किये गये विशेष रोजगार सम्पर्क अधिकारी स्वदेश लौटने वालों को रोजगार दिलाने में सहायता करेंगे ।

5. श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले भारत मूलक लोगों को निम्नलिखित ऋण तथा रियायतें देने का भी निर्णय किया गया है ।

1. व्यापार अथवा व्यवसाय अथवा धन्धा चलाने के लिए ऋण।

2. मकान तथा व्यापार गृहों के निर्माण के लिए ऋण और।

3. शैक्षिक रियायतें तथा वजीफे।

6. बागान मजदूरों को यथासम्भव हद तक वर्तमान बागान में लगाने की सम्भावनाओं का दक्षिण भारत की युनाइटिड प्लांटर्स एस्सोसिएशन द्वारा पता लगाया जा रहा है ।

7. मैसूर राज्य के दक्षिण कनारा जिले में 8000 एकड़ भूमि पर रबड़ के बागान स्थापित करने संबंधी योजना की मंजूरी दे दी गई हैं । इस से 2668 मजदूरों को रोजगार मिलेगा। तथा इस पर 2.75 करोड़ रुपये लागत आयेगी।

8. कटचल द्वीप में 6000 एकड़ भूमि पर रबड़ के बागान लगाने संबंधी एक योजना की भी मंजूरी दी गई है । इस से लगभग 2400 मजदूरों को रोजगार मिलेगा तथा इस पर 4.50 करोड़ रुपये लागत आयेगी।

9. मैसूर में 5000 एकड़ भूमि पर लगभग 1000 परिवारों को 97.80 लाख रुपये की लागत से पुनः बसाने संबंधी योजना की भी मंजूरी दी गई है । इस क्षेत्र का कुछ भाग श्री लंका से स्वदेश लौटे लोगों को पुनः बसाने के लिए उपलब्ध किया जायेगा ।

10. नीलगिरीज़ जिले (मद्रास) में 750 एकड़ वन भूमि पर 92.71 लाख रुपये की लागत से चाय के नये बागान लगाने संबंधी एक योजना की मंजूरी दी गई है । इससे 800 मजदूरों को रोजगार मिलेगा ।

11. मद्रास, मैसूर और आंध्र प्रदेश राज्यों में चाय, रबड़ तथा काफी के और अधिक बागान लगाने सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । स्वदेश लौटने वालों को पुनः बसाने के लिए कृषि भूमि का पता लगाने तथा उनको रोजगार देने के लिए उद्योग स्थापित करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

टेलिविजन केन्द्रों का विस्तार

627. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री अगाड़ी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने टेलिविजन के विस्तार के प्रस्ताव की जांच की है जिसके अनुसार सभी राज्यो की राजधानियां तथा पांच लाख से अधिक जन संख्या वाले नगरों में टेलिविजन केन्द्र स्थापित किये जाने हैं ?

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) अब यह मामला किस प्रक्रम पर है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) मामला अभी विचाराधीन है ।

ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन

628. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय के विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय ने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के लिये उनके मंत्रालय से कहा है क्योंकि उसे उत्तरोत्तर घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) वर्ष 1967-68 में ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन को कितना घाटा हुआ ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) यह सुझाव देते हुए कि रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन में हिस्सेदार के तौर पर सरकार के हितों की रक्षा का उत्तरदायित्व हस्तगत कर ले औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्यों के मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) पता चला है कि 1967 के दौरान कारपोरेशन को 130.74 लाख रूपये की हानि हुई है ?

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का दूसरा कारखाना

629. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक उपकरणों का निर्माण करने के लिये भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का दूसरा कारखाना स्थापित करने के संबंध में स्थान चुन लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) से (ग) जी नहीं । मामला अभी विचाराधीन है

1967–68 योजना लक्ष्य में कमी

630. **श्री अब्राहम :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967–68 में योजना लक्ष्य में कोई कमी हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या योजना आयोग ने इस कमी का कोई अनुमान लगाया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) से (घ). विस्तृत समीक्षा जिस में अपेक्षित सूचना भी शामिल होगी 1967–68 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन में दी जायेगी। तैयार होने पर इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा । जहाँ तक सम्भव हो सका है 1967–68 वर्ष के दौरान प्रगति की वार्षिक योजना 1968–69 के दस्तावेज में समीक्षा की गई है । यह दस्तावेज इस समय छप रहा है और इसे शीघ्र ही सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

हिन्द महासागर में सैनिक अड्डे

631. **श्री वासुदेवन् नायर :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री जुगल मण्डल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत द्वारा विरोध के बावजूद ब्रिटेन तथा अमरीका हिन्द महासागर में सैनिक अड्डों की शृंखला स्थापित करने की अपनी योजना को क्रियान्वित करने में अग्रसर हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि हिन्द महासागर के क्षेत्र में सैनिक अड्डे स्थापित न होने पाएं, सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) और (ख). यूनाइटेड किंगडम और संयुक्तराज्य अमेरिका, दोनों ही देशों की सरकारों ने इसे अस्वीकार किया है और नवम्बर, 1967 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि अवमूल्यन के परवर्ती उपाय के रूप में उसने अलडवरा की अपनी योजना छोड़ देने का निर्णय किया है ।

2. भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को उसकी कथित योजनाओं के विषय में अपनी चिंता समय-समय पर उसके समक्ष व्यक्त की है तथा इस मामले में रुचि रखने वाले विभिन्न देशों से सम्पर्क भी बनाए हुए हैं । स्थिति पर बराबर ध्यान रखा जा रहा है ।

नागाओं के साथ बात-चीत

632. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा विद्रोहियों द्वारा युद्ध विराम के कई बार उल्लंघन को देखते हुए भी अब भी सरकार का उनके साथ बातचीत जारी रखने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका उद्देश्य क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि नागालैण्ड के मुख्य मंत्री ने नागा विद्रोहियों के साथ अग्रेतर बातचीत जारी रखने का विरोध व्यक्त किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) छिपे नागाओं के साथ इस समय बातचीत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता

नागाओं तथा चीन और पाकिस्तान के बीच सहयोग

633. **श्री जार्ज फरनेंडीज :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री सीताराम केसरी :
श्री मे० ला० सौंधी :
श्री हेम राज :
श्री के० कृ० दास चौधरी :
श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही के महीनों में नागा विद्रोहियों तथा चीन और पाकिस्तान के बीच निकट सहयोग के बारे में कोई जानकारी मिली है ;

(ख) क्या भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप के विरुद्ध चीनी तथा पाकिस्तानी सरकारों से विरोध प्रकट किया ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी हां ।

(ख) से (घ). चीन लोक गणराज्य की सरकार को 19 जून, 1968 को एक विरोधपत्र भेजा गया था ? अभी तक चीन लोक गणराज्य की सरकार से कोई उत्तर नहीं आया है ।

जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है सदन को इस वर्ष 8 मई को अतारांकित प्रश्न संख्या 10110 के उत्तर में यह सूचना दी गई थी कि 16 अगस्त, 1968 को पाकिस्तान सरकार के पास एक विरोधपत्र भेजा गया था और यह भी की पाकिस्तान सरकार ने आरोपों को मानने से इन्कार किया है ।

पाक सैनिक शक्ति

634. श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री टी० पी० शाह :
श्री अजमल खां :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों तथा चीन से जो नये तथा आधुनिक हथियार प्राप्त किये हैं, इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये सरकार ने पाकिस्तान की समूची सैनिक शक्ति का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान के साथ 1965 में हुये संघर्ष के दौरान जो स्थिति थी उसकी तुलना में यह कैसी है ;

(ग) क्या यह सच है कि हाल के महीनां में रूस पाकिस्तान को सैनिक सामान बेचता रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस उपमहाद्वीप में नाजुक सैनिक स्थिति पर ऐसी बिक्री के प्रतिकूल प्रभावां के बारे में रूस सरकार से अभ्यावेदन किये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां । यह सामान्य प्रक्रिया है ।

(ख) 1965 के संघर्ष के पश्चात् पाकिस्तान ने लगभग अपनी सेना में फील्ड फोर्स की शक्ति दुगनी कर ली है, अपने लड़ाका विमानां की शक्ति दुगनी कर ली है और अपने नौसैनिक बेड़े में पनडुब्बियों की संख्या बढ़ा रहा है । पैरा मिलिटरी सेनाओं के आकार में भी बढ़ोतरी हुई है ।

(ग) पाकिस्तान को यू०एस०एस०आर० द्वारा मदों जैसे कि जीपों, सैनिक ट्रकों और हैलोकाप्टरों की सप्लाई का सरकार को ज्ञान है । पाकिस्तान को सैनिक साज-सामान के लिये यू०एस०एस०आर० के निर्णय के सम्बन्ध में सदन में 22 जुलाई, 1968 को एक वक्तव्य दिया गया है ।

(घ) जी, हां ।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट

635. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में काम कर रहे स्टाफ आर्टिस्टां के ठेके की शर्तों तथा सेवा की शर्तो को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या आल इन्डिया रेडियो ब्राडकास्टर्स एण्ड टेलीकास्टर्स गिल्ड द्वारा की गई कुछ ऐसी मांगें हैं जिन्हें अभी निपटाया जाना शेष है; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं और उन्हें निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) और (ख). 5 वर्ष के करार, जिसको फिर से किया जा सकता था, के स्थान पर स्टाफ आर्टिस्टों के साथ 55 वर्ष की अवस्था तक लम्बी अवधि के करार करने के आदेश 7 मई, 1968 को जारी किये गये । आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी है । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1405 68**] ।

(ग) और (घ). स्टाफ आर्टिस्टों की कुछ और मांगों पर विचार किया जा रहा है । वास्तव में आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टो के समूचे ढांचे के प्रश्न पर पुनर्विलोकन किया जा रहा है । यह एक जटिल मामला है जिसमें प्रोग्राम स्टाफ की अन्य श्रेणियां भी अन्तर्गस्त हैं और अतएव, इसको निपटाने में कुछ समय लगेगा ।

गंगटोक में "इण्डिया हाउस"

636. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगटोक स्थित "रेजीडेंसी" का नाम हाल में बदल कर "इण्डिया हाउस" रख दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नाम परिवर्तन स्वयं किया गया है अथवा सिक्किम सरकार की प्रार्थना पर किया गया है; और

(ग) भारत सिक्किम सम्बन्धों की दृष्टि से यदि इस नाम परिवर्तन का कोई महत्व है तो क्या ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी, हां ।

(ख) यह पुननमिकरण भारत की अपनी पहल पर किया गया न कि सिक्किम सरकार के अनुरोध पर । यह अनुभव किया गया था कि नया नाम "भारत भवन" (इण्डिया हाउस) ही इस बात का अधिक उपयुक्त परिचायक है कि यह सिक्किम में भारत के प्रतिनिधि का स्थान है ।

(ग) भारत एवं सिक्किम के बीच सम्बन्ध 1950 की भारत सिक्किम संधि के आधार पर जारी है ।

परमाणु आक्रमण से सुरक्षा की घोषणा

637. **श्री उमानाथ:**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री एस्थोस :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका, रूस तथा ब्रिटेन की इस घोषणा की ओर दिलाया गया

है कि परमाणु अस्त्रविहीन देश परमाणु आक्रमण होने तथा परमाणु आक्रमण का खतरा होने पर सुरक्षा परिषद् द्वारा उसकी सहायता के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां। परमाणु अस्त्र निरोध संधि के पक्षधर गैर-परमाणु अस्त्रों वाले किसी ऐसे राज्य को तत्काल सहायता देने या उसका समर्थन करने की मंशा की एकपक्षीय घोषणायें की गई हैं जो कि किसी ऐसी कार्यवाही का, अथवा किसी ऐसी धमकी का या आक्रमण का शिकार हो जिसमें परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल किया जाए।

(ख) सरकार का विचार है कि परमाणु अस्त्रों से विहीन किसी देश पर परमाणु अस्त्रों से आक्रमण करने से अथवा इस तरह के आक्रमण की धमकी देने से ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जिसमें सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप कार्य करना होगा ।

Harijans in Pakistan

638. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Harijans in Pakistan are being meted with inhuman treatment and 15 persons have taken shelter in Randhirpur area of Jammu as a result thereof ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Government are aware of the unhappy lot of the minorities, including Harijans, in Pakistan. The Government, however, have no information about the reported emigration of 15 persons from Pakistan to Randhirpur in Jammu.

(b) The Government have, from time to time, drawn the attention of the Pakistan Government to the discriminatory treatment being meted out to the minorities in Pakistan. The Pakistan Government have also been reminded of their obligations towards the minorities under the Nehru-Liaquat Pact of 1950.

करनाल में ट्रांसमिटर लगाया जाना

639. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल, हरयाणा में ट्रांसमिटर लगाये जाने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है और कब तक ट्रांसमिटर लगाये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक निर्णय होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रसारण विकास के बारे में चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में हरयाणा राज्य में एक रेडियो केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है। यह प्रोजेक्ट पर्याप्त साधनों के उपलब्ध होने पर और केन्द्र किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा, इसके निर्णय के उपरान्त ही कार्यान्वित किया जायेगा।

पीकिंग स्थित भारतीय दूतावास

640. श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास में कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या उस दूतावास में कुछ चीनी भी काम कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वहां काम कर रहे भारतीय और चीनी कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है तथा हमारे दूतावास में चीनी लोग किन-किन पदों पर काम कर रहे हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 44.

(ख) जी, हां ।

(ग) (1)	भारत आस्थानी	23
	चीनी	21
(2)	चीनियों द्वारा रक्षित पद	1
	सामान्य सहायक	1
	अनुवादक	1
	टंकक	3
	ड्राइवर	2
	सन्देशवाहक	10
	बायलरमैन . . .	1
	माली . . .	1
	बायलरमैन एवं माली .	2

चीन के साथ भारत के संबंध

642. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजनयिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु व्यापार और वाणिज्यिक क्षेत्र में भी जापान और चीन के बीच सम्बन्धों के सुदृढ़ होने की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने चीन के साथ सम्बन्धो के मामले में, जो अमैत्रीपूर्ण चले आ रहे हैं ; भारत अकेला न पड़े, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जापान और चीन लोक गणराज्य के बीच कथित व्यापार प्रबन्धों का हाल ही में पुनर्नवीकरण तो हुआ था लेकिन सरकार को किसी ऐसी महत्वपूर्ण घटना के विषय में मालूम नहीं है, जिसे दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने का प्रतीक माना जाए ।

(ख) भारत और जापान के बीच सौहार्दपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों को देखते हुए चीन—जापान गतिविधियों को लेकर भारत को अलग कर लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी से विज्ञापनों का प्रसारण

643. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री अगाड़ी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास केन्द्रों से भी विज्ञापनो का प्रसारण आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से विज्ञापनों के प्रसारण के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) किन अन्य केन्द्रों से ये प्रसारण आरम्भ करने का विचार है ; और

(ङ) इन प्रसारणों के आरम्भ किये जाने से चालू वर्ष में कितनी आय होने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय केवल बम्बई, पूना और नागपुर के केन्द्रों से विविध भारती सेवा से वाणिज्यिक प्रसारण 'स्पाट घोषणाओं' के रूप में प्रसारित किये जाते हैं । ग्राहकों की ओर से दिये गये वाणिज्यिक कार्य प्रसारित नहीं किये जाते ।

(घ) कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद और बंगलौर ।

(ङ) लगभग 90 लाख रुपये (कुल) जिसमें बम्बई की वर्तमान सेवा की आय भी शामिल है ।

राष्ट्रमण्डल के प्रधान मन्त्रियों का सम्मेलन

644. श्री हिम्मतसिंहका :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस वर्ष संभवतः अक्तूबर में होने वाले राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह बैठक किस स्थान पर होगी तथा उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा होने की संभावना है ; और

(ग) क्या सरकार ने किन्हीं विशेष विषयों को बैठक की कार्य-सूची में रखने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

1773 (ai) LSD—5.

प्रधान मंत्री, प्रणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमति इंदिरा गांधी : (क) से (ग). राष्ट्रमंडल प्रतिनिधियों की एक हाल की बैठक में, यह बात सर्व सम्मति से मान ली गई थी कि आगामी राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन 7 से 15 जनवरी, 1969 तक लन्दन में होना चाहिए। इस समय तो हमारा विचार इस सम्मेलन में भाग लेने का है।

2. कार्य सूची को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। सम्मेलन सम्बन्धी बातचीत अनौपचारिक और गोपनीय थी। कार्य-सूची को पहले से ही प्रकाशित कर देने का रिवाज नहीं है।

नई दिल्ली-वाशिंगटन-मास्को हाट लाइन

645. श्री अ० क० गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रतिरक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्था की इस सिफारिश की ओर दिलाया गया है कि चीन की परमाणु शक्ति का सामना करने के लिये भारत को जिस सामरिक नीति को अपनाने की आवश्यकता है, नई दिल्ली से वाशिंगटन तथा मास्को के बीच हाट लाइन उसका एक अनिवार्य अंग है ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) रक्षा अध्ययनों और विश्लेषण के लिए नई दिल्ली के इन्स्टीट्यूट द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई, परन्तु इंस्टिट्यूट द्वारा प्रकाशित एक योगदत्त लेख में, जिसका शीर्षक है "किसी नाभिकीय प्रति पक्षी के विरुद्ध एक विश्वसनीय स्थिति के लिए भारत के लिए युद्धनीति", लेखक ने एक सुझाव दिया है।

(ख) और (ग). उपरोक्त लेख में भारत की नाभिकीय युद्धनीति के सम्बन्ध में कुछ विचार व्यक्त किए गए हैं। यह लेख के लेखक की अपनी व्यक्तिगत रायें हैं। नाभिकीय निरस्त्रीकरण और नाभिकीय आयुधों के भारत द्वारा उत्पादन के प्रश्न पर, सदन सरकार के विचारों से पूरी तरह परिचित है।

गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन

646. श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री वेदव्रत बरूआ :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष तटस्थ राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन करने के लिये तैयारियां आरम्भ हो गई है ;

(ख) क्या सम्मेलन के स्थान तथा कार्य सूची के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) इस सम्मेलन में किन देशों के भाग लेने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). भारत सरकार कई गुटमुक्त देशों की सरकारों से सम्पर्क बनाए रही है। उनकी सामान्य प्रतिक्रिया गुटमुक्त देशों के एक और सम्मेलन बुलाने के पक्ष में है और वे इस पक्ष में भी हैं कि इसके प्रबन्धों पर काहिरा में पिछली बार के गुटमुक्त देशों के भागीदारों की तैयारी बैठक में विचार विमर्श किया जाना चाहिए और वहीं ये तय किए जाने चाहिएं। मंशा यह है कि तैयारी बैठक में कार्यसूची पर, सम्मेलन के स्थान और समय पर तथा भाग लेने के मानदण्ड पर भी विचार किया जाए।

पाकिस्तान के लिये अमरीकी हथियार

647. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री रवि राय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका अब भी पाकिस्तान को प्रत्यक्ष अथवा तीसरे पक्ष के द्वारा हथियार दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर, 1965 से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को किस प्रकार के हथियार और उपकरण दिये गये तथा ऐसे सामान की मात्रा तथा मूल्य क्या है;

(ग) क्या भारत ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बारे में अमरीका को विरोध पत्र भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो अमरीकी अधिकारियों से सरकार को क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). पाकिस्तान और भारत को हथियार बेचने की अमरीकी नीति उस घोषणा से संचालित होती है जो उन्होंने अप्रैल, 1967 में की थी। इसके अन्तर्गत दोनों में से किसी भी देश को मामलेवार आधार पर हथियार बेचे जा सकते हैं। ऐसा समझा जाता है कि अमरीकी सरकार ने कतिपय यूरोपीय देशों के माध्यम से पाकिस्तान को 100/200 पैटन टैंक बेचने का अधिकार दे दिया था लेकिन बाद में कुछ अड़चन आ गई और ऐसा लगता है कि यह सप्लाई अभी तक नहीं हुई है। 1965 के भारत-पाक संघर्ष के बाद, जहां तक हमें मालूम है पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की बिक्री की मात्रा और मुल्य बहुत नहीं रहा है।

(ग) और (घ). पाकिस्तान को हथियारों की बिक्री के बारे में हम अमरीकी सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं। हमने अमरीकी सरकार को बता दिया है कि इस तरह की हथियारों की सप्लाई हमारे लिए गम्भीर चिन्ता की बात है क्योंकि पाकिस्तान भारतीय प्रदेश के हिस्से पर बराबर कब्जा किए हुए है और शक्ति का प्रयोग न करने पर सहमत होने के लिए तैयार नहीं है।

परमाणु अस्त्र विहीन देशों का सम्मेलन

648. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री क० लकप्पा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ शीघ्र ही परमाणु अस्त्र विहीन देशों का एक सम्मेलन बुला रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन की कार्य-सूची क्या है; और

(ग) क्या भारत उस सम्मेलन में भाग लेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) अन्तिम कार्यसूची की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । सम्मेलन में इसे अन्तिम रूप दिया जाएगा [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1406/68**]

(ग) जी हां ।

नाइजीरिया में राष्ट्रमण्डलीय शांति सेना

649. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री क० लकप्पा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने मत व्यक्त किया है कि नाइजीरिया को राष्ट्रमण्डलीय शान्ति सेना भेजी जाये;

(ख) क्या भारत से कहा गया है कि वह प्रस्तावित शान्ति सेना में सैनिक दे; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधानमंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गान्धी) : (क) ऐसा समझा जाता है कि ब्रिटिश सरकार, राष्ट्रमण्डली सचिवालय और इन नाइजरियाइयों के बीच बातचीत में राष्ट्रमण्डल शान्ति रक्षक सेना के प्रश्न पर विचार किया गया था ।

(ख) नाइजीरियाई संघ सरकार ने अभी तक हम से कुछ नहीं कहा है, हालांकि राष्ट्रमण्डल महासचिव और ब्रिटिश सरकार, दोनों ही ने इस मामले में अनौपचारिक रूप से हमारे विचार जानने की कोशिश की है ।

(ग) सरकार का विचार यह है कि सबसे पहले सम्बद्ध पक्ष युद्ध-विराम के लिए सहमत हों । हम इस प्रस्ताव पर किसी ऐसे उचित समय पर विचार कर सकते हैं जबकि दोनों पक्ष युद्ध-विराम करने के लिए तैयार हो जाएं और हमारी सहायता तथा सहयोग के लिए निश्चित प्रस्ताव रखें ।

Vietnam Peace Talks in Paris

650. Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :

Shri Prakash Vir Shastri :
Shri M. L. Sondhi :
Shri B. N. Shastri :
Shri Y. A. Prasad :
Shri D. N. Deb :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the further progress made so far in Vietman Peace talks being held in Paris ; and

(b) whether Government have been making any special efforts for a peaceful solution of the problem ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Representatives of the USA and the DRVN are still continuing their talks in Paris. These talks seem to have enabled the two sides to understand each other's points of view at first hand, though little progress seems to have been made regarding the basic issues of the conflict. The Government of India continues to keep in touch with all parties concerned.

भारतीय वायु सेना के डकोटा विमानों की दुर्घटना

652. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घटिया किस्म के ईंधन के कारण भारतीय वायु सेना के दो डकोटा विमान फरवरी, 1968 में दुर्घटनाग्रस्त हो गये थे;

(ख) क्या इन डकोटा विमानों में भारतीय तेल निगम के बरौनी तेल शोधक कारखाने द्वारा तैयार किया गया तथा सप्लाई किया गया ए०टी० एफ० (एवी टर्बाइन) का प्रयोग किया गया था; और

(ग) क्या दोनों डकोटा विमान कानपुर में बने हुए थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

काश्मीर के बारे में उत्तरी वियतनाम द्वारा पाकिस्तान का कथित समर्थन

653. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बलराज मधोक :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शारदा नन्द :
श्री ओ० प्र० त्यागी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी वियतनाम के एक दूत ने मई, 1968 में किसी समय लाहौर में भाषण देते हुए कहा था कि उत्तरी वियतनाम काश्मीर के बारे में पाकिस्तान का पूरा समर्थन करता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें अखबार में देखी हैं ।

(ख) हमने उत्तर वियतनाम के प्रधान कौंसल से कह दिया है तथा हनोई में भी इस सवाल को उठाया है । उत्तर वियतनाम के प्रधान कौंसल ने कहा है कि वे समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान को सौहार्दपूर्ण तरीक़े से इस सवाल को हल कर लेना चाहिए । लेकिन उत्तर वियतनाम से हमें कोई आधिकारिक उत्तर नहीं मिला है और उसकी प्रतीक्षा है ।

रोपड़ (पंजाब) में छोटे हालीवुड स्टूडियो

655. **श्री मणिभाई ज० पटेल :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार की प्रेरणा पर बम्बई के कुछ फिल्म निर्माता रोपड़ पंजाब में छोटे हालीवुड स्टूडियो स्थापित करने के लिये सहमत हो गये हैं;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने इस उद्देश्य के लिये केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां । राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Evacuation of Indians from Kenya

656. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Surya Prakash Puri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether evacuation of Indians of British origin is still continuing from Kenya ;

(b) whether it is a fact that those people have sent some memorandum or letters to Government wherein they have mentioned their difficulties ; and

(c) if so, the attempts made so far by Government in this regard and the extent to which they have been successful ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning, and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No Sir, there is no exodus of these people from Kenya at present.

(b) We have received letters and memoranda from individuals and associations mainly urging entry into India on permanent basis.

(c) The Government of India have already on humanitarian and compassionate grounds permitted a number of families holding British passports to come to India for permanent settlement. Cases of many others are still under consideration.

परमाणु राष्ट्र के रूप में चीन

657. श्री म० ला० सोंधी : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु अस्त्र अप्रसार सन्धि की शर्तों के अनुसार चीन को परमाणु राष्ट्र माना जायेगा तथा क्या उसे इस कारण एक विशेष दर्जा प्राप्त है;

(ख) क्या परमाणु राष्ट्रों ने भारत को कोई ऐसा आश्वासन दिया है कि वे परमाणु अस्त्रों के अपने भंडारों को कम करने अथवा कम से कम उनको नहीं बढ़ायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) इस सन्धि के मुताबिक चीन एक "परमाणु अस्त्रों वाला राज्य" है क्योंकि उसने 1 जनवरी, 1967 से पहले परमाणु विस्फोट किया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तिब्बत संबंधी भारतीय नीति

658. श्री म० ला० सोंधी : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विश्व के लोग तिब्बती लोगों की कठिनाइयों के बारे में चिन्तित हैं क्योंकि उनकी कठिनाइयां इस कारण से बढ़ गई हैं कि जिन चीनी सेनाओं ने तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है उनके विभिन्न गुटों में आपस में संघर्ष हो रहा है;

(ख) क्या नई घटनाओं को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत के प्रश्न पर सरकार ने अपनी नीति का पुनरीक्षण किया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी अधिवेशन में तिब्बत का प्रश्न उठाने के बारे में कोई पहल करने का है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस सवाल पर विचार किया जा रहा है।

आल इण्डिया डिफेंस एम्प्लाईज फैडरेशन द्वारा सांकेतिक हड़ताल

659. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया डिफेंस एम्पलाइज फैडरेशन ने अगस्त 1968 में एक सांकेतिक हड़ताल के लिये आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ का निम्नलिखित मुख्य मांगों के लिये 16-8-1968 को हड़ताल करने का प्रस्ताव है :

(1) प्रतिरक्षा मंत्रालय में स्थायी बातचीत व्यवस्था पुनः स्थापित की जाये।

(2) छंटनी को रोका जाये।

(3) मंहगाई भत्ता आदि में वृद्धि की जाये।

(4) 50 वर्ष की आयु पर अथवा 25 वर्ष की सेवा के पूरी होने के बाद सरकारी कमचारियो को सेवानिवृत्त न किया जाये।

(5) आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी दी जाये।

2. उपरोक्त प्रत्येक मांग के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

(1) प्रतिरक्षा मंत्रालय में स्थायी बातचीत व्यवस्था का पुनः स्थापित किया जाना

सरकार ने संघ की इस मांग पर सावधानी से विचार किया था। सरकार के विचार में स्थायी बातचीत व्यवस्था को पुनः आरम्भ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि संघ स्थायी बातचीत व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए बहुत उत्सुक था, सरकार ने कम से कम कुछ औपचारिक तरीके से विभागीय परिषद की बैठकों के लिए नियत तारीखो से कुछ दिन पूर्व संघ के प्रतिनिधियों से संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की विभागीय परिषद की बैठकों संबंधी कार्यसूची पर औपचारिक ढंग से बातचीत करना स्वीकार कर लिया है। ऐसी बातचीत मंत्रालय स्तर पर ही होगी। संघ के प्रतिनिधियों से संयुक्त अनौपचारिकवार्ता की सुविधा इस शर्त पर दी जायेगी कि अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के सभी स्तरो पर शामिल होने के लिए सहमत है।

(2) छंटनी का रोका जाना

प्रतिरक्षा संस्थानों में बड़े पैमाने पर छंटनी करने का विचार नहीं है न ही निकट भविष्य में छंटनी किये जाने की सम्भावना है। संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या में कमी करने तथा प्रशिक्षित सैनिकों के आ जाने पर सिविल कर्मचारियो को बदलने आदि जैसे सामान्य परिवर्तनों आदि के फलस्वरूप वायु सेना संस्थापनो में कुछ सौ सिविल कर्मचारियों के फालतू हो जाने की सम्भावना है। ऐसे फालतू कर्मचारियों की छंटनी को इस बीच रोक दिया गया है।

(3) महंगाई भत्ते में वृद्धि

(4) 50 वर्ष से तथा 25 वर्ष की सेवा पूरी होने पर कर्मचारियों का सेवानिवृत्त न किया जाना

(5) आवश्यकता पर आधारित मजूरी

ये सामान्य मामले हैं जोकि सभी सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं। अतः इन मामलो में प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा एक पक्षीय निर्णय लेना सम्भव नहीं है।

बी० बी० सी० रेडियो पर मदर टैरेसा की इन्टरव्यू

660. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि बी०बी० सी रेडियो के एक प्रसारण में यह कहा गया था कि मदर टैरेसा की जानकारी के अनुसार कलकत्ता में 10 प्रतिशत औरतें वेश्यावृत्ति से अपना गुजारा करती हैं ;

(ख) यह प्रसारण कब किया गया था;

(ग) क्या इस बारे में कोई विरोध पत्र भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) ज्ञात हुआ है कि 12 मई, 1968 को बी० बी० सी० ने कलकत्ते में मदर टैरेसा के कार्य के बारे में एक धार्मिक कार्यक्रम प्रसारित किया था, जिसके दौरान प्रस्तुतकर्ता ने यह बात कही बताई जाती है। परन्तु वह कथन मदर टैरेसा द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित नहीं था।

(ग) और (घ) कलकत्ते के महापौर ने बी० बी० सी० से विरोध प्रकट किया था। ज्ञात हुआ है कि बी० बी० सी० ने उनसे क्षमा-याचना की है और उनको यह आश्वसान दिया है कि इस कार्यक्रम में से आपत्तिजनक अंश निकाल दिया जाएगा, ताकि भविष्य में कहीं इसकी पुनरावृत्ति न हो।

सीमा सड़क, संघठन में 'पायनियर'

661. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा सड़क संघठन में काम करने वाले 'पायनियरों' को कुल मिलाकर केवल 90 रु० मासिक दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस काम के लिये व्यक्तियों के उपलब्ध न होने का यह भी एक कारण है; और

(ग) उनकी मजूरी को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इस समय एक पायनियर को 90 रुपये मासिक नकद समेकित वेदन दिया जाता है । इसके अतिरिक्त विशिष्ट क्षेत्रों में सेवा के दौरान वह द्रव्यों के रूप में जैसे कि निश्शुल्क राशन, वास्य स्थान इत्यादि विभिन्न रियायतें प्राप्त करता हैं। इन रियायतों की लगभग लागत 75 रु० मासिक है।

(ख) अभी तक पायनियरों की भर्ती में जो अकुशल संविवर्ग होते हैं कोई कठिनाई नहीं हुई।

(ग) जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के सबार्डिनेट संविवर्ग को समेकित दर पर वेतन की उपलब्धियों के संयुक्तिकरण का प्रश्न निरीक्षणधीन हैं।

जम्मू तथा काश्मीर में सैनिक इंजीनियरी सेवा के कर्मचारीरियों को फील्ड एरिया भत्ता

662. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर, उधमपुर और जम्मू के सैनिक इंजीनियरी सेवा के कर्मचारियों को फील्ड एरिया भत्ता, जो वापस ले लिया गया था, इस बीच पुनः देना आरम्भ कर दिया गया है;

ख) यदि नहीं, तो इस बीच कोई अन्य भत्ता मंजूर किया गया है तथा दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं जबकि अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को उन्होंने उस समय आश्वासन दे दिया था जब वह उनसे मिले थे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री म० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). उन अराजपत्रित असैनिकों को जो 1 मार्च, 1968 से पहले फील्ड सेवा रियायतें प्राप्त कर रहे थे स्थानीय भत्ते, (अर्थात् पर्वतीय प्रतिकर भत्ता, जलभत्ता और मकान किराया भत्ता, जहां वह साधारण नियमों के अनुसार देय हों) या द्रव्यों में शक्तिमान के आधे के बराबर, 1 जुलाई, 1968 से बारह मासों के लिए निःशुल्क प्राप्त करने का चुनाव दिया गया है. और 1-7-1969 से और अधिक बारह मासों के लिए स्थानीय भत्तों और शक्तिमान के चौथाई के बराबर द्रव्यो में निःशुल्क राशन के बीच एक और चयन का अधिकार दिया गया है । यह रियायत कर्मचारी से चयन की प्राप्ति पर दी जाएगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

शहजादपुर में टैगोर के निवास स्थान पर पूर्वी पाकिस्तान की सरकार द्वारा कब्जा

663. श्री श० ना० माइती :
श्री समर गुह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के पबना जिले में शहजादपुर स्थान पर रवीन्द्रनाथ टैगोर के ऐतिहासिक निवास स्थान पर पूर्वी पाकिस्तान की सरकार द्वारा कब्जा कर लिया गया है;

(ख) क्या उस महान कवि द्वारा कभी प्रयोग में लाई जाने वाली बहुत सी घरेलू वस्तुओं तथा उनके प्रिय पुस्तकालय जिसमें लगभग 3000 चुनीं हुई पुस्तकें हैं, पर भी पाकिस्तान सरकार ने बलात् कब्जा कर लिया है और टैगोर की याद दिलाने वाली वस्तुओं के प्रदर्शन पर पाबन्दी लगा दी है;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों द्वारा टैगोर का घर अब डाक बंगले के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है और उनकी बैठक को शौचालय में तबदील कर दिया गया है;

(घ) क्या पूर्वी पाकिस्तान के साहित्यकारों ने इस घृणित कार्य के प्रति भारी विरोध प्रकट किया था; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेजा है और क्या शाहजादपुर में टैगोर के ऐतिहासिक निवास स्थान की पवित्रता पुनः बहाल करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). ऐसा समझा जाता है कि टैगोर के शाहजादपुर-स्थित निवास स्थान "काचारीबाड़ी" में पाकिस्तान सरकार ने पूर्व पाकिस्तान राजस्व विभाग का कार्यालय बना रखा है । ऐसा भी समझा जाता है कि इस मकान की पहली मंजिल का इस्तेमाल डाक बंगले के रूप में किया जा रहा है । कुछ अखबारी खबरों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि पहली मंजिल के एक कमरे का, जो कविवर का

अध्ययन कक्ष हुआ करता था, दुरुपयोग किया जा रहा है। पाकिस्तान ही के एक अखबार में प्रकाशित खबरों के अनुसार टैगोर का निवास स्थान पूर्णतः उपेक्षित पड़ा हुआ है। इस मकान की छत गिरने वाली है और छज्जा उपस्कर पोर्सेलेन का सामान तथा अन्य कलाकृतियां या तो क्षति ग्रस्त हो गई हैं या लापता हैं अथवा टूट गई हैं। टैगोर के कोई 3,000 ग्रन्थों के पुस्तकालय का कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है।

(घ) पूर्व पाकिस्तान के एक समाचार पत्र ने अपने सम्पादकीय लेख में अधिकारियों की इस उपेक्षा की निंदा की है। इसके अलावा, पूर्व पाकिस्तान के साहित्यकारों का कोई और विरोध भारत सरकार की निगाह में नहीं आया हैं। बहरहाल, पूर्व पाकिस्तान में टैगोर-विरोधी नीति के प्रति सामान्य विक्षोभ के बारे में सरकार को ज्ञात है।

(ङ) पूर्व पाकिस्तान सरकार से कहा गया है कि वे टैगोर के निवास स्थान के बारे में और ब्यौरा हमें दें। पाकिस्तान के अधिकारियों से अभी हमें कोई उत्तर नहीं मिला है। पाकिस्तान सरकार से औपचारिक रूप से कोई विरोध प्रकट नहीं किया गया है।

आयुध कारखानों द्वारा निर्मित छोटे हथियारों की खुली बिक्री

664. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय आयुध कारखानों में निर्मित छोटे हथियार शीघ्र ही बिक्री के लिये खुले बाजार में आयेंगे; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन हथियारों को निर्यात करने का भी कोई प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) आर्डनेंस फैक्ट्रियों में निर्माण की गई 12 बोर की डी० बी० बी० एल० शाटगन कुछ समय से बाजार में बिक रही है। आर्डनेंस फैक्ट्रियों में निर्माण की गई .22 और .315 राईफलें आशा है एक वर्ष की अवधि में बाजार में बिकने लगेंगी। आर्डनेंस फैक्ट्रियो में पिस्तौलों के उत्पादन की योजना बनाई गई है, और आशा है 2 वर्षों की अवधि में वह बाजार में आ जाएंगे।

(ख) शाटगनों के निर्यात की संभावनाओं की गवेषणा की जा रही है।

अनपेक्ष पड़े आयातित ट्रांसमिटर

665. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी द्वारा कई वर्ष पूर्व आयात किये गये कुछ ट्रांसमीटर अब तक बिना खोले पड़े हैं जिसके फलस्वरूप उपकरण को क्षति पहुंची है; और

(ख) यदि हां, तो इन सभी वर्षों में इन ट्रांसमीटरों को क्यों नहीं लगाया जा सका ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Children's Film Society

666. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a five member committee, set up to study the organisation of Children's Film Society, has suggested revolutionary changes therein including the suggestion for the constitution of an autonomous unit for this purpose ; and

(b) if so, the extent to which and the date from which these suggestions are proposed to be implemented by Government ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b). Report of the Study Team appointed by the Chairman of the Chidlren's Film Society was submitted in April and is being examined by the Executive Council of the Society. Action at Government level will be considered when the Children's Film Society make a reference.

Prime Minister's Visit to Australia

667. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no joint Communique was issued by the Prime Minister of India and Australia after the Indian Prime Minister's tour of Australia ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) The general approach followed regarding the issuing of joint Communiques was that a Communique was issued where the host Government wished to have one.

Indians in Kenya

668. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that consequent on the settlement of heads of Indian families residing in Kenya in U.K., and other foreign countries, they are not able to call their families due to secarcity of funds, housing and employment ;

(b) if so, whether Government propose to allow such families to settle in India till such time the heads of these families are not able to call them there ; and

(c) if not, whether Government propose to take up with the Government of Kenya the question of allowing such families to remain in Kenya of these families are able to call them there ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) According to our information the British Government are prepare to give entry permits to members of families whose heads have already proceeded to U.K. to join them in order to avoid the bardship of split families.

(c) Does not arise.

परमाणु अस्त्र अप्रसार सन्धि

669. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री वि० ना० शास्त्री : **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री देवब्रत बरूआ **श्री काशीनाथ पाण्डेय :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आणविक शक्ति के शान्ति पूर्ण प्रयोग करने, इंजीनियरी कामों के लिये आणविक विस्फोट तथा तत्सम्बन्धी अन्य तकनीकी सहायता देने के लिये एक नई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हेतु अमरीका और रूस ने परमाणु अस्त्र अप्रसार सन्धि में कुछ परिवर्तन किया है;

(ख) क्या उस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था में परमाणु अस्त्र विहीन देशों को समुचित प्रतिनिधित्व देने की पेशकश की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख).इस संधि के निम्नोद्धृत अनुच्छेद 4 और 5 का सम्बन्ध इन मामलों से है।

अनुच्छेद 4

1. इस संधि में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि जिससे इस संधि में सम्मिलित उन सभी पक्षों के उस असंक्राम्य अधिकार पर कोई असर पड़े जिसके अनुसार वे बिना किसी भेदभाव के और इस संधि के अनुच्छेद 1 और 2 के अनुरूप, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान, उत्पादन और उपयोग का विकास कर सकते हैं।

2. परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए उपकरण, सामग्री और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय जानकारी के अधिकाधिक विनिमय में भाग लेने का अधिकार इस संधि में सम्मिलित सभी पक्षों का होगा, और इसके लिये सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व भी उन्हीं का होगा। संधि में सम्मिलित जो पक्ष ऐसा करने की स्थिति में होंगे, वे या तो अकेले, या अन्य राज्यों के साथ, या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ, विश्व के विकासशील प्रदेशों की आवश्यकताओं का समुचित ध्यान रखते हुए, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के प्रयोगों के अग्रेतर विकास में योगदान देने में विशेषतः परमाणु-अस्त्र-विहीन उन राज्यों के प्रदेशों में जो इस संधि के सदस्य हैं, सहयोग भी करेंगे।

अनुच्छेद 5

इस संधि का प्रत्येक सदस्य इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त क़दम उठाने का दायित्व लेता है कि इस संधि के अनुसार, उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षणों और उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अंतर्गत, परमाणु विस्फोटों के किन्हीं शांतिपूर्ण प्रयोगों से उत्पन्न

होने वाले लाभों को उन सभी परमाणु-अस्त्र-विहीन राज्यों के लिये बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध बनाया जायेगा जो संधि के सदस्य हैं और इन सदस्य राज्यों से इन विस्फोटात्मक युक्तियों के लिये न्यूनतम शुल्क लिया जायेगा, जिसमें अनुसंधान एवं विकास का कोई शुल्क शामिल नहीं होगा। एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय समझौते या समझौतों के अनुसार, वे परमाणु-अस्त्र-विहीन राज्य जो इस संधि के सदस्य हैं, ऐसे लाभ एक ऐसी उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें परमाणु-अस्त्र-विहीन राज्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा। इस संधि के लागू होने के बाद इस विषय पर बातचीत यथाशीघ्र प्रारम्भ हो जायेगी। वे परमाणु-अस्त्र-विहीन राज्य जो इस संधि के सदस्य हैं यदि चाहें तो इस प्रकार के लाभ द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार भी प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) इस संधि के विषय में सरकार के विचारों से सदन को पहले ही अवगत करा दिया गया है।

ईरान को अमरीकी शस्त्रों का सम्भरण

670. श्री हरदयाल देवगुण : श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री देवेन सेन : श्री क० प्र० सिंहदेव :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ईरान को 60 करोड़ डालर के मूल्य के आधुनिक शस्त्र देने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके परिणामस्वरूप ईरान जिन शस्त्रों को फालतू करार दे रहा है, वह पाकिस्तान को भेजे जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) हमारी जानकारी के अनुसार ईरान ने अमरीका से एक लम्बी अवधि के लिए 600 करोड़ डालरों के ऋण देने के लिए अनुरोध किया है ताकि वह उनसे हथियार और उपकरण खरीद सके।

(ख) और (ग). सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ये हथियार पाकिस्तान पहुंच रहे हैं।

चीन द्वारा हथियारों का विकास

671. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिरक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्था के अध्यक्ष को हाल में दिये गये शोध पत्र का अध्ययन किया है, जिसमें यह कहा गया है कि हथियारों के विकास में चीन

भारत से आगे है और आगामी 8-10 वर्षों के बाद भारत अपनी शक्ति से चीन का मुकाबला नहीं कर सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह केवल लेख के लेखकों की व्यक्तिगत रायें हैं। सदन नाभिकीय निरस्त्रीकरण और भारत द्वारा नाभिकीय आयुधों के निर्माण के प्रश्न पर सरकार के विचारों से पूरी तरह परिचित है।

नागाओं के बारे में "आबजर्वर" लन्दन में लेख

672. **श्री अजमल खां :**
श्री रा० कि० अमीन :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन के दैनिक समाचार पत्र "आबजरबर" में उसके विशेष संवाददाता माईकेल रास ने जो दावा करता है कि वह भारत सरकार की जानकारी के बिना एक माह तक नागा लोगों के साथ रहा, एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें उसने नेफा में हमारी सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान 18 जून, 1968 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस लम्बे लेख की ओर दिलाया गया है जो "आबर्जवर" में प्रकाशित लेख पर आधारित था; और

(ग) इस लेख के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). इंग्लैंड में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र "आबजर्वर" के 16 जून, 1968 के अंक में माइकेल रास के लेख को और 18 जून, 1968 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उसके डिस्पैच को भी, सरकार ने देख लिया है।

इस लेख में ऐसे कई कथन हैं जिनकी पुष्टि नहीं हुई है और जो असंगत भी हैं। यह बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि इस लेख में छिपे नागाओं का पक्ष लिया गया है और इसका स्पष्ट उद्देश्य यह है कि उनके ह्रासमान मनोबल को भड़काया जाये। हमारी सुरक्षा सेना पर सामग्र रूप से जो आरोप लगाये गये हैं उनमें कोई सत्य नहीं है। कोई सात या आठ वर्ष पहले, सरकार का ध्यान इस प्रकार के एक-दो अलग-अलग अशिष्ट व्यवहारों की ओर आकर्षित किया गया था।

दरभंगा में रेडियो स्टेशन

673. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिये वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है, तथा अन्य प्रारम्भिक कार्यवाही पूरी कर ली गई है; और

(ख) इस रेडियो स्टेशन के कब तक चालू होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गई है परन्तु प्रारम्भिक सर्वे कर लिया गया है और इस प्रायोजना को चौथी पंच वर्षीय योजना के मसौदे में शामिल कर लिया गया है ।

(ख) इस समय निश्चित संकेत देना सम्भव नहीं है ।

भारत-पाक सम्बन्धों पर रूस के प्रधान मंत्री से बातचीत

674. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों में प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों को रूस के प्रधान मंत्री के साथ हुई बैठकों में भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों के बारे में कोई बातचीत हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रूस ने दोनों देशों के विचार के लिये कुछ ठोस प्रस्ताव किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). सोवियत प्रधान मंत्री पिछले बार अप्रैल, 1968 में जब भारत की यात्रा पर आये थे तब उन्हें भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों को धीरे-धीरे सामान्य बनाने की दिशा में भारत की ओर से निरंतर किये जाने वाले प्रयासों के विषय में और हमारे साथ सहयोग करने में पाकिस्तान की जानकारी के विषय में बताया गया था । भारत और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के प्रधान मंत्रियों के बीच हुए पत्राचार में भी भारत–पाकिस्तान संबंधों का उल्लेख आया है । भारत सरकार ने हमेशा यही चाहा है कि पाकिस्तान के साथ उसके सम्बन्ध सामान्य हो जायें और इस सिलसिले में उसने पाकिस्तान सरकार के समक्ष कुछ सुझाव भी रखे हैं ।

वियतनामी प्रकाशनों पर प्रतिबन्ध

675. **श्री भोगेन्द्र झा**: क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 24 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8355 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम के बारे में 28 पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इस अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इन 28 पुस्तकों के प्रवेश पर प्रतिबंध को वापस लेने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ). प्रकाशनों को प्रवेश करने की अनुमति इसलिये नहीं दी गई है क्योंकि इनको भारत सरकार के उस प्रतिबंध का उल्लंघन करके आयात किया जा रहा था जिसके अनुसार ऐसी प्रचार-सामग्री का किसी भी माध्यम से वितरण नहीं किया जाना चाहिये, जिसका उद्देश्य या परिणाम किसी ऐसे तीसरे देश के प्रति दुर्भावना उत्पन्न करना हो, जिसके साथ भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण हैं, अथवा जिससे किसी भी प्राप्त करने वाले राज्य के हितों को आंतरिक रूप से आघात पहुंचता हो।

दक्षिण अफ्रीका तथा रोडेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को सहायता

676. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 8 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10111 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका तथा रोडेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को दी गई वास्तविक सहायता का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

	1967-68	1968-69
	रु०	रु०
दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस, दिल्ली कार्यालय को . .	67,300	67,700
दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को दवाई और कपड़े आदि . .	—	10,500 (भेजा जा रहा है)
रोडेशिया (जेड०ए० पी० यू०) की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को दवाई, कपड़े आदि	—	20,500 (भेजा जा रहा है)

आकाशवाणी के केन्द्र

677. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री 17 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7512 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं जिन्हें 1968-69 में हाथ में नहीं लिया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): आकाशवाणी के नये केन्द्रों को स्थापित करने की सात प्रायोजनाओं, जिनको 1968-69 के दौरान कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था, को साधनों की कमी के कारण स्थगित करना पड़ा।

तारापुर परमाणु बिजली घर में दरार

678. **श्री सु० कु० तापड़िया** :　　**श्री प० गोपालन**:
श्री गार्डिलिगन गौड़ :　　**श्री न० कु० सांघी** :
श्री चक्रपाणि :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि तारापुर परमाणु बिजली घर "प्रैशर वैसल" में एक दरार आ गई है;

1773 (ai) LSD—6.

(ख) यदि हाँ तो इससे कितनी क्षति पहुंची है ; और

(ग) क्या इससे उस बिजलीघर को चालू करने में देरी हो जायेगी तथा उसे चलाने में देरी होने के कारण कितना नुकसान होगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) (क) और (ख) जी हाँ। तारापुर बिजली घर के रिएक्टर पात्रों के धातु से बने भागों में बाल जैसी बारीक कुछ दरारें पाई गई हैं। इंटरनेशनल जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी जिन्हें इस बिजलीघर को पूरी तरह बना कर चालू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ने इन दरारों की मरम्मत का काम अपने खर्च पर शुरू कर दिया है।

(ग) इस बिजलीघर के चालू होने में चार छः महीने की देरी होने की सम्भावना है।

बिजली घर के देर से चालू होने से जो हानि होगी उसमें शामिल मद हैं—प्रायोजना के एस्टब्लिशमेंट पर होने वाला खर्च, प्रायोजना में लगी पूंजी पर विलम्ब की अवधि के लिए व्याज तथा बिजलीघर चालू होने की अवस्था में इसी अवधि में जो मुनाफा कमाया जाता उसके बराबर राशि। सरकार को जो हानि होगी उसका ठीक अनुमान अभी लगाया जा रहा है।

रोडेशिया

679. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोडशिया में श्री इयान स्मिथ का अल्पसंख्यक सरकार को अपदस्थ करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् तथा संयुक्त राष्ट्र के अन्य निकायों में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों द्वारा गत तीन महीनों में और क्या प्रस्ताव रख गये थे और संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक निकाय की उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया थी; और

(ख) इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये विभिन्न संयुक्त राष्ट्र निकायों ने गत तीन महीनों में क्या उपाय अपनाए हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) भारत ने इस बात का बराबर आग्रह किया है कि रोडशिया में अवैध स्मिथ शासन को को अपदस्थ करने के लिए सभी आवश्यक उपायों को काम में लाया जाए, जिनमें प्रशासकीय सत्ता के रूप में यू० के० द्वारा बल प्रयोग शामिल है। जब मई, 1968 में सुरक्षा परिषद् ने इस प्रश्न पर विचार किया तो भारत ने अपनी नीति फिर दोहराई और अवैध शासन की सहायता करने के लिए पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीकी सरकारों की निन्दा की। सुरक्षा परिषद् ने उस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया जिसमें रोडेशिया के ऊपर व्यापक प्रादेशात्मक आर्थिक प्रतिबन्ध थोपने का अनुमोदन किया गया था।

जाम्बिया की सरकार द्वारा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

680. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जाम्बिया की सरकार का अपने देश में अधिकांश उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो उस देश में भारतीय तथा भारत मूलक व्यक्तियों के कितने औद्योगिक कारखाने हैं और इस प्रस्ताविक कदम से इन हितों पर कहाँ तक प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) जाम्बिया सरकार की इस कार्यवाही के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं। किन्तु आर्थिक सुधारों के एक अंश के रूप में जाम्बिया सरकार ने यह निर्णय किया

है कि वह 26 विदेशी फर्मों को अधिकांश ईक्विटी संपत्ति को ले ले, जिसमें भारत-मूलक व्यक्तियों का एक चेन–स्टोर भी शामिल है। विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभ की रकम भेजे जाने पर यह पाबन्दी लगा दी गई है कि यह कुल लाभ का 50 प्रतिशत होगी और ईक्विटी पूंजी का अधिक से अधिक 30 प्रतिशत होगी। गैर-नागरिक–निवासियों को जाम्बिया सरकार के केवल 10 नगरों में व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी और भविष्य में गैर-नागरिकों को कोई और व्यापार लाइसेंस नहीं दिए जायेंगे। गैर-निवासियों के कर्ज़ा लेने पर भी पाबन्दियाँ लगा दी गई हैं।

(ख) नए प्रस्तावित कदमों का असर उन लोगों पर नहीं पड़ेगा जो थोक व्यापार कर रहे हैं अथवा जो इन निर्दिष्ट नगरों के प्रथम श्रेणी व्यापार क्षेत्रों में खुदरा व्यापार कर रहे हैं। परन्तु इसका असर उन सभी व्यापारियों पर पड़ेगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में और उन नगर क्षेत्रों में व्यापार कर रहे हैं जो दस नगरों की इस निर्धारित सूची में शामिल नहीं है। चेन-स्टोर के अलावा इन पाबंदियों का असर भारतीय मूल के शायद उन 800 से 1000 व्यापारियों पर भी पड़ेगा जिनमें लगभग सभी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है।

(ग) यह जेम्बिया की सरकार का आंतरिक मामला है किन्तु भारत सरकार को यह आशा है कि इन विभिन्न सुधारों से उन लोगों को अत्याधिक कठिनाई नहीं होगी जिन पर इनका असर पड़ेगा।

रूस तथा यूरोपीय साम्यवादी देशों को भारतीय पर्यटक

681. श्री टी० सी० शाह :

श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1967 से अब तक विश्राम तथा उपचार के लिए भारत से कितने लोग रूस तथा अन्य यूरोपीय साम्यवादी देशों को गये हैं और उन्हें कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी गई है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है जिनका व्यय साम्यवादी देशों ने वहन किया; और

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने उपरोक्त अवधि में इन देशों की कई बार यात्रा की?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचनाएं संग्रहीत की जा रही हैं और प्राप्त होते ही ये सदन की मेज पर रख दी जायेंगी।

पाकिस्तान जेट विमानों का भारत पर से उड़कर जाना

682. श्री बाबू राव पटेल :

श्री समर गुह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी सरकार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में ढाका और पश्चिमी पाकिस्तान में सरगोधा के बीच हवाई मार्ग की अनुमति दिये जाने के बाद से पाकिस्तानी वायु सेना के विमानों जैसे सैवर जेट और हरक्यूलिस इत्यादि ने लखनऊ में बख्शी का तालाब हवाई अड्डे पर तैल भरवाने और नीचे उतरने के लिये किस-किस तिथि को तथा कितनी बार प्रयोग किया;

(ख) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तानी वायुसेना के इन विमानों के साथ सी०–130 हरक्यूलिस परिवहन विमानों द्वारा भी उड़ानें भरी जाती हैं जिनमें कैमरे, फोटोग्राफर हवाई अड्डे

के कर्मचारी (एयरमैन), इंजीनियर तथा उत्तर में हमारी सीमान्त प्रतिरक्षा व्यवस्था के फोटो लेने तथा उनका पर्यवेक्षण करने में समर्थ आधुनिक प्रकार के उपकरण मौजूद होते हैं;

(ग) क्या विश्व के किसी अन्य देश ने भी अपने माने हुए शत्रु को सुदृढ़ बनाने के लिए और अपने देश में बरबादी लाने के लिए एसी सुविधायें प्रदान की हैं; और

(घ) पाकिस्तान को हवाई मार्ग की अनुमति देने के कारणों को भारत की जनता से गुप्त क्यों रखा गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). पाकिस्तान की विशेष प्रार्थना पर भारत सरकार लखनऊ के असैनिक वैमानिक अड्डे अर्थात् अमौसी में 7 सैबर विमानों की क्रमशः 4 और तीन की टुकड़ियों में ईंधन के लिए रूकने सहित 12 मई और 28 मई, 1968 को उड़ान के लिए सहमत हुई। इन विमानों को पहले से निर्धारित सिविल एयर मार्ग के साथ साथ उड़ान की अनुमति दी गई थी। हर अवसर पर अमौसी में पी० ए० एफ० सैबरों को सेवा सुविधा के लिए पश्चिमी पाकिस्तान से आते हुए एक सी--130 विमान को उतारने की अनुमति दी गई थी और काम पूरा करके पश्चिमी पाकिस्तान को लौटने की भी, इन दो हालतों में उसे पहले से निर्धारित सिविल एयर लाइन्स मार्ग का अनुसरण करना होगा जो गुप्त नहीं है। विमान को निरोक्षण करना होगा, जो किया गया उन पर केवल ग्राउंड तकनीकी व्यक्ति सवार थे, और वह सैबरों के लिए सेवा साजसामान लिए थे।

दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को दिये गये वचन

683. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री की हाल की यात्रा से पूर्व, उसके दौरान तथा उस के बाद श्रीलंका, थाईलैंड, मलयेशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों को क्या क्या तथा कितने संयुक्त वचन दिये गये ; और

(ख) इन वचनों को पूरा करने में अनुमानतः कितना धन खर्च होगा तथा इन वचनों को कितनी अवधि में पूरा किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) हमने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से टेक्निकल सहायता की पेशकश की है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

1--(क) मई 1968 में प्रधान मंत्री की यात्रा से पूर्व प्रस्तावित सहायता ।

देश	कोलंबो योजना के अन्तर्गत प्रारंभ से 30 जून, 1967 तक की सहायता (हजार रुपयों में)	तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत 1964 से 30 जून, 1968 तक की सहायता (हजार रुपयों में)
1	2	3
बर्मा	94	24

1	2	3
कम्बोडिया .	663	75
श्रीलंका	3796	8
इन्डोनेशिया .	2	
कोरिया .	161	..
लाओस .	106	29
मलयेशिया .	913	181
फिलिपीन्स . .	372	..
सिंगापुर	44	77
थाईलैंड	797	..
वियतनाम	20	..

1—ख. भारत द्वारा दिया गया सरकार से सरकार को ऋण

(1) श्रीलंका : फरवरी, 1966 में 2 करोड़ रु. का ऋण दिया गया। अगस्त 1967 में दिया गया 5 करोड़ रुपया का ऋण।

(2) इन्डोनेशिया : सितम्बर, 1966 में दिया गया 10 करोड़ रु० का ऋण।

2. मई, 1968 में प्रधान मंत्री की मलयेशिया यात्रा के दौरान प्रस्तावित सहायता :

(1) 3 लाख रु० मूल्य के कृषि उपकरणों का उपहार।

(2) मलयेशिया में भारत द्वारा तकनीकी —आर्थिक सहयोग का बचन —लागत अनुमानत: 1 लाख रु०

(3) इन्स्टीट्यूट आफ़ टैक्नालौजी को 1.24 करोड़ रुपए के मूल्य के उपकरणों और मशीनों का उपहार।

(4) भारत ने प्रारम्भ में इन्स्टीट्यूट आफ़ टैक्नालौजी को चलाने के लिए छह महीने से 3 वर्ष की अवधि के लिए 83 अनुदेशक प्रतिनियुक्ति करने का वचन भी दिया है। इसके अतिरिक्त हमने मलयेशिया के 23 अनुदेशकों को भारत में प्रशिक्षण करना भी स्वीकार किया है जो भारत लौटने पर इन्स्टीट्यूट आफ़ टैक्नोलौजी का का प्रबंधन करेंगे।

(5) अगले तीन वर्षों में मलयेशियाईयों को भारत के विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक सस्थाओं में 500 जगहें देने की पेशकश की गई है।

(6) भारतीय उद्योगपति मलयेशिया में वहां के उद्योगपतियों के साथ मिलकर कई सम्मिलित उद्योग चला रहे हैं।

3. प्रधान मंत्री की यात्रा के बाद प्रस्तावित सहायता :

नई दिल्ली में 26 जून से 2 जुलाई, 1968 तक भारतीय और मलयेशियाई अधिकारियों के शिष्ट मंडलों की बातचीत हुई थी जिस में दोनों देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग के

विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया था। भारत ने कृषि, रक्षा, शिक्षा, वन-विज्ञान, स्वास्थ्य, मानचित्रण एवं सर्वेक्षण आदि के क्षेत्रों में मलयेशिया सरकार को प्रशिक्षण की सुविधाएं देने की पेशकश की है।

(ख) प्रधान मंत्री की मलयेशिया यात्रा के दौरान हमारी तकनीकी सहायता के अद्यतन प्रस्ताव पर अनुमानतः जो लागत आएगी वह इस प्रकार है :

(मूल्य लाखों में)

1968–69 . . .	9.00
1969–70	29.07
1970–71	81.06
1971–72	44.03
1972–73	18.79
1973–74	6.72

चीन में चले गये नागा नेता

684. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विनू सेले नामक एक प्रमुख भूमिगत नागा नेता, जिसे फरवरी, 1968 के आरम्भ में मोकोकचुंग में देखा गया था, पुनः चीन चला गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वह चीन से हथियार लाया है तथा उन्हें नागालैंड में जमा कर दिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सुईजे नामक दूसरा नागा नेता भी इसी प्रकार गायब हो गया है ;

(घ) ऐसे कितने नागा नेता बिना किसी रुकावट या बाधा के नागालैंड में आते हैं तथा वहां से बाहर जाते हैं ;

(ङ) क्या सरकार उन के वर्तमान ठौर ठिकानों का पता लगा सकी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन विद्रोहात्मक गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) सरकार को छिपे नागाओं की गुप्त गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त है परन्तु यह जानकारी वर्गीकृत है।

(च) नागालैंड की राज्य सरकार विद्रोही गतिविधियों का प्रतिरोध करने और विधि एवं व्यवस्था की स्थापना करने के लिए अधिकाधिक प्रभावी कार्रवाई कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमांत की रक्षा करने के लिए सुरक्षा सेनाएं हर मुमकिन कदम उठा रही हैं।

पश्चिम जर्मनी और इटली द्वारा पाकिस्तान को टैंकों की सप्लाई

685. **श्री मधु लिमये : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी विदेश सम्बन्ध समिति ने पश्चिम जर्मनी और इटली द्वारा पाकिस्तान को पुनर्गठित पैटन टैंकों अथवा अन्य टैंकों के दिए जाने की जांच करने के लिए एक उप-समिति स्थापित की है ;

(ख) क्या यह वाईमिंगटन उप-समिति इसलिये स्थापित की गई है क्योंकि विदेश सम्बन्ध समिति इस बात से संतुष्ट नहीं थी कि अमरीका ने न केवल मूल करार को "एंड यूज" शर्तों के अधीन अपनी स्वीकृति दी थी अपितु इस करार को वस्तुतः प्रायोजित किया था; और

(ग) अमरीका की सरकार ने किन कारणों से इस करार को प्रायोजित किया था ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) वाईमिंगटन उप-समिति निकट पूर्वी और दक्षिण एशियाई मामलों की सीनेट वैदेशिक-संबंध समिति की उप-समिति है । जैसाकि इसके नाम में ही निहित है, इसका कार्य निकट पूर्व और दक्षिण एशिया संबंधी नीति के सभी पहलुओं की देखभाल करना है ।

(ग) अमरीकी सरकार की इस नीति के पीछे चाहे जो भी कारण हों, यह सौदा अभी पूरा नहीं हुआ है ।

मुंघेर–भागलपुर सड़क पर बेकार पड़ी मशीनें

686. **श्री मधु लिमये :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि मुंघेर जिले के नावगढ़ी में कालिया स्थान के निकट मुंघेर-भागलपुर सड़क पर कुछ मशीनें पड़ी हुई हैं ;

(ख) क्या ये मशीनें प्रतिरक्षा विभाग अथवा किसी अन्य सरकारी विभाग द्वारा मंगाई गई थीं अथवा उन्हें सहायता के रूप में दी गई थी,

(ग) इन मशीनों को इतने अधिक समय तक वहां पर खराब होने, जंग लगने तथा उनके पुर्जों के चोरी हो जाने के लिए क्यों पड़े रहने दिया गया है ; और

(घ) मंगाई गई अथवा विदेशों द्वारा सहायता के रूप में दी गई इन मशीनों का मूल्य कितना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). मामले की भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकार के सलाह मशविरे से जांच की जा रही है , और आवश्यक सूचना जभी प्राप्य हुई सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी उपक्रम ब्यूरो

687. **श्री रवि राय : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उनका ध्यान सरकारी उपक्रम ब्यूरो के बारे में 5 जून, के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश इस विषय में सरकार के विचाराधीन है ।

मलयेशिया में राष्ट्रमण्डल देशों की बैठक

688. **डा० रानेन सेन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जन. 1968 के दूसरे सप्ताह में मलयेशिया में पांच राष्ट्रमण्डलीय देशों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या भारत को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था ; और

(ग) क्या भारत को उन विषयों की कोई जानकारी है जिन पर इस सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) बातचीत के बाद जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति को सरकार ने देख लिया है

Border Violations Committed by Pak.

689. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of border violations committed so far by Pakistan on our borders after the last conflict with that country ;

(b) whether it is a fact that our jawans are not permitted to chase the Pakistani intruders into the territories of Pakistan and they are permitted to adopt defensive measures only ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Between the 1st January 1966 and the 30th January 1968, Pakistani Armed personnel committed 109 violations of international border, including 75 air violations. During the same period, there were also 178 violations of the Cease Fire Line, including 12 air violations.

(b) and (c). Chasing these intruders into Pakistan would involve crossing the border and as such constitute a major escalation of the dispute which is not generally in keeping with the nature of intrusion. However, all necessary steps for safeguarding the territorial integrity of the country are continuously taken.

Upkeep of Tyres of Military Vehicles

690. **Shri Ram Swarup Viidyarthi :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that in the military cantonments in various parts of the country, the wheels of the military tanks, motor vehicles and other means of transport when not in use are neither kept above the ground nor wrapped in canvas, etc. ;

(b) if so, whether it is a fact that tyres worth crores of rupees thus become usele every year ; and

(c) if so, whetler Government propose to follow the rules relating to upkeep of tyres strictly to prevent such a loss ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Military vehicles equipped with tyres, when not in current use, are normally jacked up to prevent wheels resting on the ground. In addition, the tyres of such vehicles as are stored in the open are normally protected by means of screens of suitable material. In the case of military tanks equipped with steel tracks, exposure of the wheels to atmospheric conditions does not result in any deterioration thereof.

(b) and (c). Do not arise.

Anti-Indian Propaganda by China

691. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Chinese Troops indulge in anti-Indian propaganda in Hindi near Sikkimese border ;

(b) if so, whether Government a'so carry out anti-Chinese propaganda in the Chinese language ; and

(c) if not, whether Government propose to recruit persons well conversant with Chinese language in the Army in the near future ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Appropriate counter-broadcasts in Chinese are directed towards the Chinese troops in the same area.

(c) Does not arise.

पाकिस्तान के लिये फ्रांसीसी टैंक

692. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान फ्रांसीसी टैंक खरीद रहा है ;

(ख) क्या फ्रांस सरकार का ध्यान इस प्रकार के सौदे के भारतीय उप-महाद्वीप में शांति तथा आक्रमण की सम्भावनाओं के संतुलन पर सम्भव प्रभाव की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

नेपाल—पाकिस्तान व्यापार के लिये पारगमन सुविधायें

693. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नेपाल-पाकिस्तान व्यापार के लिये पारगमन सुविधायें देने का आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) कौन सी सरकार भारत-पाकिस्तान सीमा से भारत-नेपाल सीमा तक पारगमन कार्य करेगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं। परन्तु, सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के साथ लगने वाले भारतीय सीमांत के निकट राधिकापुर के भारतीय रेल-छोर तक नेपाली माल ले जाने के लिए सुविधाएं देने का आश्वासन दिया है ।

(ख) कोई विशेष शर्तों की मांग नहीं की गई है । भारतीय प्रदेश में से गुजरने वालेने पाली माल पर सामान्य रेल तथा अन्य परिवहन शुल्क लगेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तान द्वारा जम्मू में हीरानगर तहसील में भूमि पर कब्जा

694. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताशकंद घोषणा के बाद पाकिस्तान ने जम्मू की हीरानगर तहसील में कुछ भूमि पर बलात् कब्जा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा परमाणु अस्त्र विहीन देशों के सम्मेलन का आयोजन

695. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निकट भविष्य में जेनेवा में आयोजित किये जाने वाले परमाणु विहीन देशों के सम्मेलन में निमंत्रित किये जाने के किसी प्रयास की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) बताया जाता है कि चीन ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है ।

Diplomatic Passports for Non-officials

696. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of non-officials granted diplomatic passports last year ;

(b) the number of such passports granted to non-official ex-Rulers ;

(c) whether any complaints were received regarding the abuse of such passports by some non-officials ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) 42 (during the calendar year 1967).

(b) 10.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Diplomatic Passports

697. **Shri Sashi Bhushan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that diplomatic passports are given to members of the families of former rulers of the Indian States ;

(b) whether it is also a fact that a diplomatic passport has again been given to Maharani Vijay Raje Scindia of Gwalior, M.L.A. (Madhya Pradesh) ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir. Diplomatic Passports have been issued to certain former rulers and their wives.

(b) and (c). Yes, Sir. The Diplomatic Passports of Maharani Vijay Raje Scindia of Gwalior have been revalidated upto 10-9-1968 in view of her position as the spouse of the former Ruler of Gwalior.

Issue of Diplomatic Passports

698. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that diplomatic passports have been granted to the son and daughter in-law of Shrimati Vijay Raje Scindia, M.L.A. (Madhya Pradesh) ; and

(b) whether such passports facilities would be extended to parents of other former rulers apart from the Rajmata of Gwalior ?

The Prime Minester , Minister of Atomatic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Information is being gathered and will be placed on the Table of the House.

(b) Diplomatic passports are issued to certain former rulers and their family members under the provisions of the Passport Rules, 1967.

भारतीय फिल्म उद्योग में संकट

699. **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फ़िल्म उद्योग में जो संकट उत्पन्न हो गया था वह दूर हो गया है ;

(ख) क्या निर्माताओं तथा फिल्म उद्योग के अन्य वर्गों की शिकायतों का कोई स्थाई हल ढूंढ लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) सम्बन्धित दलों में बातचीत के परिणाम स्वरूप , ऐसा प्रतीत होता है कि फ़िल्म उद्योग में उत्पन्न संकट के हाल ही के कारण दूर हो गये हैं ।

(ख) और (ग). फ़िल्म उद्योग की समस्याओं का स्थाई हल ढूंढने के प्रयत्न जारी हैं ।

प्रतिरक्षा योजना

700. **श्री हेमराज** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री 13 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 608 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान प्रतिरक्षा योजना 1966–71 का इस बीच पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसका अनुमानित परिव्यय क्या होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) रक्षा प्रायोजना 1966–71 का संशोधन अभी हस्तगत है ।

(ख) और (ग). सेवाओं की आवश्यकताएं निरीक्षणाधीन हैं । इसलिए उसकी सामान्य रूपरेखा या अनुमानित व्यय इस प्रावस्था पर इंगित कर पाना संभव नहीं है ।

Statement of Food Minister Regarding use of Beef in Vedic Era

701. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government have received resolution from various institutions protesting against the statement of the Food Minister made by him in Parliament in May, 1968 to the effect that beef used to be consumed in Vedic era ;

(b) if so, the number and names of such institutions ;

(c) whether Government would clarify their stand in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomatic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c). Yes, Sir. The Prime Minister has received about one hundred communications from institutions and individuals.

The Minister of Food and Agriculture did not express his personal or Government's opinion on this issue. What he explained was that opinion on this point was divided amongst scholars.

702. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the names of items given to vegetarian military personnel as nutritive diet ;

(b) whether it is a fact that skimmed milk is given to the vegetarian military personnel in place of meat ; and

(c) if so, whether Government propose to give to the vegetarian military personnel milk, ghee and butter whose value is equal to the value of the quantity of meat given to the nonvegetarian military personnels ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) The list of items issued to vegetarian military personnel is given below :—

STATEMENT

List of items authorised to vegetarian military personnel

1. Atta or rice and atta.
2. Dal.
3. Oil Hyderogenated.
4. Sugar.

5. Milk Fresh/Standard/Blended/tinned whole milk powder/skimmed milk powder.
6. Vegetables Fresh/dehydrated/tinned.
7. Potatoes Fresh.
8. Fruit Fresh Citrus/Non-Citrus.
9. Onions Fresh.
10. Tea.
11. Salt Evaporated.
12. Condiment Powder.
13. Butter.
14. Dalia
15. Sago.
16. Baison.
17. Copra.
18. Raisins.
19. Pickles.
20. Jam.
21. Rum or Tea or Coffee and Sugar and Milk Tinned or whole milk powder.
22. Vitamin 'C' Tablets.
23. Milk Toffee or Boiled Sweets.
24. Pappad.

(b) In lieu of meat, the normal substitutes issued are milk fresh, milk standard, milk blended, milk tinned or whole milk powder. Though Skimmed milk powder is also authorised as a substitute for meat to troops in field areas, it is not normally issued.

(c) Does not arise.

संसद् सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में समाचार

703. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ सत्याग्रह में 3 मई, 1968 में खावड़ा स्थान पर गिरफ्तार किये गये संसद्-सदस्यों के नाम आकाशवाणी से घोषित हुए थे :—

(ख) यदि हां, तो उक्त घोषणा किस किस समय की गई थी और उन संसद् -सदस्यों के नाम क्या थे, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). जी, नहीं, आन्दोलन के प्रथम तीन दिन, अर्थात् 21 अप्रैल से 23 अप्रैल, 1968 तक गिरफ्तार किये गये संसद् सदस्यों सहित प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम आकाशवाणी के बुलेटिनों से घोषित किये गये थे। बाद में नाम घोषित करने की यह प्रथा छोड़ दी गई।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के मामले

704. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल से 30 जून, 1968 तक की अवधि में उन के मंत्रालय में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरी तथा अन्य दाण्डिक अपराधों के कितने मामले पकड़े गये और उन में से कितने कर्मचारी (श्रेणीवार) तथा गैर-सरकारी व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त थे ;

(ख) कितने मामलों में मुकदमे दायर किये गये और कितने मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गये ;

(ग) वर्ष 1967-68 में कितने मामले पकड़े गये, उन में से कितने मामलों में सजा दी गई और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) ऐसे मामले न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1407/68] । इन में वे मामले शामिल नहीं हैं जिन पर प्रारंभिक जांच पूरी नहीं हुई है ।

(घ) भ्रष्टाचार या दुराचार को दूर करने के लिये मंत्रालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा विभिन्न विभागों में सतर्कता अधिकारी बराबर देखभाल करते रहते हैं। सब शिकायतों की जांच की जाती है और यदि प्रारम्भिक जांच से किसी प्रकार के दुष्कर्म का बोध होता है तो कर्तव्य-च्युत कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये मामला सेन्ट्रल ब्यूरो आफ़ इनवैस्टिगेशन स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेन्ट या सैन्ट्रल विजिलैन्स आयोग को भेज दिया जाता है ।

श्री फिजो के साथ बातचीत

705. **श्री वी० ना० शास्त्री** : क्या वैदेशिक-कार्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं ने भारत सरकार के साथ अन्तिम बातचीत करने के लिये निर्वासित नागा नेता श्री ए० फिजो को अधिकार दे दिया है ; और

(ख) क्या भारत सरकार ने श्री फिजो के नागाओं की ओर से बातचीत शुरू करने के दावे को मान लिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) छिपे नागाओं के साथ इस समय बातचीत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

P.M.'s Talks with Maharaja of Sikkim

706. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that talks were recently held between the Prime Minister and the Maharaja of Sikkim in Gangtok ; and

(b) if so, the subjects discussed and the outcome thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) During her goodwill visit to Sikkim from 5-6 May, 1968, the Prime Minister had talks with His Highness the Chogyal of Sikkim.

(b) The talks related generally to the problems of economic development of Sikkim and of the working of the development schemes which are under progress with Indian assistance. The Prime Minister was impressed by the progress achieved in Sikkim through Indian assistance and assured the Chogyal of India's keenness to help Sikkim to the best of our ability. The Chogyal expressed his gratitude for India's help.

Retrenchment in Indian Air Force

707. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 2,100 civilian employees of the Indian Air Force are being retrenched ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna): (a) Over 200 civilian personnel and not 2,100 of different trades are likely to be retrenched from the Indian Air Force in the near future.

(b) The retrenchment is due, among other factors, to reduction of establishment and availability of trained airmen to fill vacancies which had hitherto been held by civilians pending the availability of such airmen.

(c) Efforts are being made to absorb these surplus personnel to the extent possible against vacancies that might exist elsewhere in the Defence Services.

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार के नये अवसर

708. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान लगभग 22000 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय से 1 करोड़ 80 लाख से अधिक नये रोजगार मिलने की संभावना नहीं है, जबकि जन संख्या की वर्तमान वृद्धि की दर पर देश के श्रमिकों में 2 करोड़ 70 लाख से अधिक व्यक्तियों की वृद्धि होगी ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके बारे में सरकारी अनुमान क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 98 लाख थी, चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में बढ़कर 2 करोड़ 30 लाख हो जायेगी ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या समस्या को सुलझाने का सरकार का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अतः अभी इस बात का अनुमान लगाना कठिन है कि चौथी योजना अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को नये रोजागर मिलने की, तथा योजना अवधि के अंत में कुल कितने व्यक्तियों के बेरोजगार रहने की संभावना है।

रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस

709. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी 1968 में रेडियो मास्को के 'रेडियो पीस एन्ड प्रोग्रेस कार्यक्रम में भारतीय राजनैतिक दलों तथा उनके कार्य प्रणाली के विरुद्ध प्रसारण और इस प्रकार भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तब से अब तक ऐसे कितने प्रसारणों की सरकार को जानकारी है ;

(ग) रेडियो मास्को के इस निरन्तर अमैत्रीपूर्ण रवैये के बारे में सरकार का क्या स्पष्टीकरण है और सरकार का विचार इस स्थिति से किस प्रकार निबटने का है क्योंकि भारत रूस से पहले भी कई बार इस बारे में विरोध प्रकट कर चुका है ; और

(घ) भारतीय विरोध पर रूस की संतोषजनक प्रतिक्रिया न होने के कारण सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

प्रधान मंत्री, अनु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी हां। ऐसे कई प्रसारणों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट हुआ है।

(ग) जब कभी इस प्रकार के प्रसारण हुए हैं तो मास्को स्थित हमारा राजदूतावास उनकी असंतोषजनक प्रकृति की ओर सोवियत अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करता रहा है।

(घ) इसके उत्तर में कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है परन्तु कुछ और कदम उठाने के प्रश्न पर विचार होता रहेगा ।

प्रेस सूचना विभाग द्वारा नोवोस्ती को सप्लाई किये गये लेख

710. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 21 फरवरी, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1413 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1968 तक प्रेस सूचना विभाग द्वारा नोवोस्ती को सप्लाई किये गये उन्नीस प्रसंग लेखों में से कितने और किन लेखों को नोवोस्ती द्वारा रूस में परिचालित किया गया है और किन लेखों को परिचालित नहीं किया गया है उनके परिचालित न किये जाने के क्या कारण दिये गये हैं; और

(ख) नोवोस्ती को फरवरी, 1968 से लेकर अब तक और कितने प्रसंग लेख सप्लाई किये गये हैं, और उनमें से अब तक कितने प्रसंग लेखों को नोवोस्ती द्वारा परिचालित किया जा चुका है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) उल्लिखित 29 लेखों के बारे में अपेक्षित जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है । नोवोस्ती से इस सूचना के लिए अनुरोध किया गया है। तथापि, नोवोस्ती ने पत्र सूचना कार्यालय द्वारा पहले दिये गये फीचर लेखों के आधार पर सूरतगढ़ फार्म, तेल की प्रगति, बिजली तथा इस्पात उद्योग आदि भारत से सम्बन्धित सामग्री परिचालित की है और इस बारे में सोवियत समाचार पत्रों में छापी गई सामग्री की कतरनें मिली हैं ।

(ख) फरवरी, 1968 से पत्र सूचना कार्यालय ने नोवोस्ती को 20 फीचर लेख सप्लाई किये हैं । नोवोस्ती से इनके परिचालन के बारे में सूचना की इन्तजार है ।

भारत में समाचारपत्रों के लिये स्वैच्छिक आचार संहिता

711. **श्री रा० रा० देव :**
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन में भाषण करते हुए उन्होंने सुझाव दिया था कि समाचारपत्रों के सम्पादकों को भारत में समाचारपत्रों के लिए एक स्वैच्छिक आचार संहिता बनानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सम्पादकों की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) : जी हां।

(ख) अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन ने स्वैच्छिक आचार संहिता बनाई है ।

समाचारपत्र सम्पर्क समिति

712. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार-पत्रों के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ करने से पहले उनसे परामर्श करने के लिए सरकार केन्द्र तथा राज्यों में समाचारपत्र सम्पर्क समितियां स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) औ (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

1968–69 के लिये वार्षिक योजना

713. **श्री अदिचन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968–69 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां तो कब और अर्थ-व्यवस्था के भिन्न क्षेत्रों पर कितना-कितना परिव्यय होगा और आर्थिक विकास की मुख्य मदों के लिए क्या लक्ष्य नियत किये गये हैं ;

(ग) योजना के अन्तर्गत गैर-विकास व्यय कितना होगा और विभिन्न बड़ी-बड़ी योजनाओं के बारे में व्यय का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) योजना के अन्तर्गत विकास दर क्या होगी ?

1773 (ai) LSD—7.

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ). वार्षिक योजना 1968–69 को अन्तिम रूप दे दिया गया है और वह छप रही है। यह दस्तावेज शीघ्र ही सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

पूर्व जर्मनी के साथ सम्बन्ध

714. **श्री अदिचन :**
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी जर्मनी के साथ बढ़ते व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों तथा जर्मनी के पुनः एकीकरण की बहुत कम सम्भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार ने उस देश के साथ आर्थिक संबंध स्थापित करने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया और यदि हां, तो इस बारे में सरकार का पुनरीक्षित रवैया क्या है;

(ख) क्या उस देश के साथ व्यापार करने के लिये पूर्वी जर्मनी स्थित राज्य व्यापार निगम के कार्यालय की अक्षमता को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने उस देश में एक व्यापार आयोग बनाने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बार में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जर्मन संघीय गणराज्य के प्रकृति और सीमा के विषय में सरकार की नीति इस सदन में बार-बार बताई जा चुकी है।

इस समय हमारी स्थिति यह है कि जर्मन संघीय गणराज्य के साथ भारत के संबंध इस तरह विकसित होते रहे है कि जिससे दोनों को फायदा हो।

जल्दबाजी में कोई काम करना ठीक नहीं होगा क्योंकि इससे हो सकता है वर्तमान तनाव और बढ़ जाए और संतुलन बिगड़ जाए। यूरोप की विकासमान राजनीतिक स्थिति की रोशनी में तथा परस्पर लाभदायक संबंधों का और आदान-प्रदान का क्षेत्र विस्तार करने के लिये, जो विविध रूपों में प्रकट होता है, हम जर्मन संघीय गणराज्य के साथ अपने संबंधों पर बराबर विचार करते रहते हैं।

प्रतिरक्षा उत्पादन

715. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 में भारत-चीन संघर्ष के बाद से भारत का प्रतिरक्षा उत्पादन कई गुना बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रगति का स्वरूप तथा आकार क्या है;

(ग) आधुनिक तथा नवीनतम हथियार बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : विभागीय और रक्षा उत्पादन विभाग के अन्तर्गत राजकीय क्षेत्र की उत्पादन

यूनिटों में सेवाओं के लिये उत्पादन का मूल्य 1961-62 में लगभग करोड़ रूपयों से, 1967-68 में बढ़ कर लगभग 175 करोड़ रूपये हो गया है। मिग कारखानों को छोड़कर 6 नई उत्पादन यूनिटों ने इस समय उत्पादन आरंभ कर दिया है और 5 स्थापनाधीन हैं। पुराने कारखानों के पुनरावास और आधुनिकीकरण की योजनायें काफी हद तक सम्पूर्ण हो चुकी हैं, उत्पादन की कई नई मदें जैसे कि कारबाईन, अर्धस्वचालित राईफल, पर्वतीय गन, मझोलें तथा भारी मार्टर, मझोले टैंक इत्यादि और इनके लिये गोला बारूद स्थापित किए गए हैं। सेवाओं के लिये साजसामान और स्टोरेज मदों की एक बड़ी संख्या के लिये हम अब विदेशी साधनों पर निर्भर नहीं रहे। तीन वृहत प्रायोजनाएं अर्थात टैंक, मिग और फ्रिगेट प्राय: शिडूल के अनुसार प्रगति कर रही हैं।

(ग) आधुनिक और प्रभावी आयुधों और अम्युनिशन उत्पादन करने के लिये आधुनिक संयंत्र और मशीनें स्थापित करके उत्पादन सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं। रडार और माईक्रोवेव साजसामान के निर्माण के लिये एक एलेक्ट्रोनिकी फैक्टरी, और असेसरियों के उत्पादन के लिये हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स की एक नई यूनिट की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं कि इलेक्ट्रानिकी और एरोनाटिकी साजसामान के निर्माण में सहायता मिल सके।

नाइजीरिया में भारतीय राष्ट्रजन

716. श्री अगड़ी : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी नाइजीरिया में संघर्ष छिड़ जाने के बाद से अब तक नाइजीरिया से भारतीय राष्ट्रजनों को बचा कर निकालने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया है ;

(ख) नाईजीरिया में भारतीय राष्ट्रजनों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) क्या राष्ट्र मंडल के किसी देश ने उन की सुरक्षा तथा उनको बचा कर निकालने का दायित्व अपने ऊपर लिया है ;

(घ) अब तक कितने व्यक्तियों को बचा कर निकाल लिया गया है ;

(ङ) क्या यह सच है कि नाइजीरिया में संघर्ष छिड़ने के बाद से अब तक भारत सरकार का कोई भी प्रतिनिधि पूर्व नाइजीरिया में नहीं गया है ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं। लड़ाई शुरू होने पर पूर्वी नाइजीरिया के गड़बड़ी वाले इलाकों से भारतीय राष्ट्रिकों को निकालने का प्रबन्ध लागोस-स्थित भारतीय हाई कमीशन ने ही किया था। अब जो लोग वहां हैं वे अपनी इच्छा से ही वहां रूके है। उन्हें निकालने की भी कोशिशें जारी हैं।

(ख) सारे नाइजीरिया में कोई 2500 भारतीय राष्ट्रिक हैं जिसमें से कोई 200 पूर्वी नाइजीरिया में है जिनमें कोई 200 पूर्वी नाईजीरिया में थे।

(ग) ऐसा समझा जाता है कि लागोस-स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन ने और वहां के इतालवी राजदूतावास ने भी कई भारतीयों को भाड़े के विमान और जहाजों से लाने में हमारे हाई कमीशन की सहायता की थी।

(घ) भारतीय हाई कमीशन ने 123 व्यक्तियों को निकाल कर लाने का प्रबन्ध किया था। ऐसा समझा जाता है कि कैमरून और स्पेन के प्रदेश के रास्ते कुछ और लोग भी पूर्वी नाइजीरिया से चल पड़े हैं।

(ङ) और (च) जी नहीं। हमारा हाई कमीशन लड़ाई शुरू होने से पहले और उसके बाद भी गड़बड़ी वाले इलाकों में भारतीय राष्ट्रिकों के साथ संपर्क बनाए रहा था। हमारे हाई कमीशन का एक प्रतिनिधि जून, 1967 में पोर्ट हरकोर्ट गया था और लोगों को निकालने के लिये प्रबन्ध किया था। लेकिन अब बहुत समय से पूर्वी नाइजीरिया का शेष संसार से पूरी तरह संबंध विच्छेद हो गया है क्योंकि संघीय सरकार ने वायु मार्ग की और समुद्री मार्ग की नाकेबंदी कर दी है। इसलिये, निजी यात्रा तो सम्भव नहीं है लेकिन अपने राष्ट्रिकों के साथ टेलिफोन और वायरलैस पर बराबर संपर्क रखा जाता है और जो रिपोर्ट मिली है उन से पता चलता है कि वे सभी सुरक्षित हैं।

टेलीविजन सेवा

717. **श्री अगड़ी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन सेवा आरम्भ करने के पश्चात आज तक देश में इस सेवा पर कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ख) देश में कितने टेलीविजन सेट लगाये गये हैं ; और

(ग) इससे प्रति वर्ष कुल कितना राजस्व प्राप्त होता है और इसका आवर्ती व्यय कितना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) देश में टेलीविजन चालू करने पर मार्च, 1968 के अन्त तक सरकार द्वारा 30.54 लाख रुपये पूंजीगत व्यय किया गया।

(ख) 31 दिसम्बर, 1967 तक लाइसेंस प्राप्त टेलीविजनों की कुल संख्या 6,184 थी।

(ग) टेलीविजन सैटों के लाइसेंस से 1967 में 1,36,626.50 रुपये राजस्व प्राप्त हुआ। दिल्ली टेलीविजन केन्द्र पर 1967–68 में 27,71,900 रुपये आवर्ती व्यय हुआ।

चौथी योजना में सामंजस्य स्थापित करना

718- **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग अपनी योजना का रूस की योजना

साथ सामन्जस्य स्थापित करने के उपायों पर बातचीत करने के लिये रूस को एक प्रतिनिधि मण्डल भेजने का प्रस्ताव कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इण्डियन मर्चेंटस चेम्बर ने इस प्रस्तावित दौरे के बारे में बड़ा संशय और शंका व्यक्त की है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) दिनांक 28 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है। उसमें संदर्भित निर्णय का अनुसरण करते हुए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा आगामी सितम्बर में मास्को जाने वाले शिष्ट-मण्डल का नेतृत्व करने की सम्भावना है।

(ख) इण्डियन मर्चेंटस चेम्बर ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है।

विद्रोही नागा नेता श्री खुगातो सुखई का वक्तव्य

719. **श्रीमती सुशीला रोहतगी**: क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विद्रोही नागाओं के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री खुगातो सुखई के वक्तव्य की ओर गया है, जिसमें उन्होंने चीन तथा बर्मा के साथ निकट संबंध स्थापित करने की बात कही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी हां। भारत सरकार ने वह बयान देखा है जो खुगातो सुखई का बताया जाता है और जिसमें उन्होंने "बाहर से साज-सामान और नैतिक सहायता लेने के छिपे नागाओं के प्रयासों का" समर्थन किया है।

(ख) छिपे नागाओं ने चीन के साथ जो सम्पर्क स्थापित किया है उसके बारे में भारत सरकार को मालूम है और इन सम्पर्कों को रोकने के लिये वह यथाशक्ति उपाय बरत रही है। नागालैंड राज्य भारत का एक अभिन्न अंग है और सरकार इस ओर से दृढ़ संकल्प है कि वह देश के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप नहीं होने देगी।

नौसेना के अधिकारियों के कब्जे में धनराज महल बम्बई का उसके मालिक को दिया जाना

720. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "धनराज महल" अपोलो बन्दर रोड बम्बई में स्थित 48 फ्लेटों का कब्जा, जो 1942 से नौसेना के अधिकारियों के कब्जे में थे, मालिक मकान को हाल ही में दे दिया गया है ;

(ख) बम्बई जैसे नगर में एक ही इमारत में इतनी बड़ी संख्या में फ्लैटों को खाली करा कर उनका कब्जा मालिक को देने का आधार अथवा औचित्य क्या था ;

(ग) धनराज महल के फ्लैटों में क्या किराया दिया जा रहा था और नई इमारत के लिये क्या किराया दिया जायेगा ;

(घ) क्या नई इमारत खरीदी गई अथवा किराये पर ली गई है; और

(ङ) बम्बई और अन्य नगरों में प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्य सभी फ्लैटों या कार्यालयों को खाली करके मालिकों को सौंपने की क्या योजना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). धनराज महल में 51 फ्लैटों में से केवल 12 को जो नौसेना द्वारा किराये पर धारण की गई थी, विमुक्त किया गया है। तदपि, सरकार अन्यों को भी एक प्रावस्थित ढंग से विमुक्त कर देने का विचार रखती है; यह सरकार की इस नीति के अनुरूप है कि पुराने से पुराने अधिग्रहण को प्राथमिकता देते हुए, सभी अधिगृहीत सम्पत्तिएं या तो क्रमशः अर्जित कर ली जाएं या विमुक्त करदी जाएं ।

(ग) और (घ) : समस्त अधिगृहीत हिस्से के देय पनरावर्ती मुआवजा लगभग 122685, रुपये वार्षिक हुआ ।

कोई नई सम्पत्ति अर्जित नहीं की गई है, या किराये पर ली ही गई ।

(ङ) सरकार ने सभी अधिगृहीत सम्पत्तियों को, जो स्थाई तौर पर आवश्यक हैं एक प्रावस्थित ढंग से अर्जित सम्पत्तियों में तब्दील करना मान लिया है, और ऐसी सम्पत्तियों को विमुक्त कर देना, कि जिनकी आवश्यकता नहीं है । एक वार्षिक कार्यक्रम बनाया जा रहा है ।

फिल्मी कलाकारों की सहायता

721. श्री क० लकप्प : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फिल्मी कलाकारों को सहायता देने के लिये एक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उस का स्वरूप क्या है ; और

(ग) प्रस्तावित योजना कब लागू की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):) : (क) और (ख) एक ट्रस्ट स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें फिल्मी कलाकार सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में धन जमा करायेंगे और वह धन 10 या 15 वर्षों के बाद उचित किश्तों में लौटाया जा सकेगा ।

(ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध

722. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 18 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4737 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों को मान्यता दिये जाने के बावजूद प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताये गये देशों के साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध न होने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : पहले की सूची में गिनाये गये देशों के साथ भारत के कोई राजनयिक संबंध न होने के कारण निम्नलिखित हैं :

(1) **अल्वानिया** : भारत के प्रति अमित्रतापूर्ण रवैये को देखते हुए राजनयिक संबंधों को निलंबित कर दिया गया है।

(2) **इसराइल** : यद्यपि भारत इसरायल को मान्यता देता है, तथापि हमारे समग्र राष्ट्रीय हितों को देखते हुए कोई राजनयिक संबंध स्थापित नहीं हुए हैं।

(3) **पुर्तगाल** : उसकी अत्याचार पूर्ण औपनिवेशिक नीतियों के विरोध में राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया गया।

(4) **दक्षिण अफ्रीका** : इस देश की पृथग्वासन नीति के विरोध में राजनयिक सम्बन्धों को तोड़ दिया गया।

(5) **बोट्स्वाना, चाड, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वादोर, एल साल्वादोर, गुआतेमाला, हाइती, होंडुरास, आइसलैण्ड, लिसोथो, निकारागुआ नाइजर** : बित्तीय कठिनाई के कारण अभी तक संबंध स्थापित नहीं हो पाए हैं।

दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में भारत के विरुद्ध प्रचार

723. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ निहित स्वार्थों ने हाल में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वहां पर हमारी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने के लिये अनाज की कमी तथा अन्य समस्याओं के बारे में हमारे विरुद्ध द्वेषपूर्ण और बढ़ा चढ़ा कर प्रचार किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रचार का स्रोत क्या है ;

(ग) विरोधी लोगों द्वारा अपनाए गये हथकंडों के विरोध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इस क्षेत्र में हमारे देश की सही और उज्जवल तस्वीर पेश करने के लिये हमने इस समय क्या तरीके अपनाए हैं?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). हाल के महीनों में दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में कुछ ऐसे लेख देखने में आए हैं जिनमें भारत को आलोचना की गई है। पता चला है कि इनका स्रोत चीनी तथा अन्य समाचार एजेंसियां है।

(ग) और (घ): हमारे मिशनों ने संबद्ध समाचार-पत्रों के संपादकों को सही स्थिति से अवगत करा दिया था। हमारे मिशन अपने बुलेटिनों में प्रमाणिक सूचना प्रचारित-प्रकाशित करके भारत के विषय में वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं।

तारापुर अणु बिजली संयंत्र का चालू होना

724. श्री नारायण रेड्डी : क्या **प्रधान-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारापुर अणु बिजली संयंत्र को चालू करने में देरी के क्या कारण हैं और इस संयंत्र को चालू करने की संभावित तिथि क्या है ;

(ख) महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को बिजली की सप्लाई के बारे में इस देरी के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस संयंत्र में "मामूली खराबी" है जिसे ठीक करने की जानकारी भारत के पास नहीं है ।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख). तारापुर परमाणु बिजली घर के रिऐक्टर पात्र में बाल जैसी बारीक कुछ दरारें पाई गई हैं । इनकी मरम्मत का काम अमरीका की इन्टरनेशनल जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी जिसको इस बिजली घर के निर्माण का ठेका दिया गया था, द्वारा शुरू किया जा चुका है । बिजलीघर में व्यावसायिक पैमाने पर बिजली के उत्पादन में लगभग चार से छः महीने की देरी होने की सम्भावना है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता । ठेके की शर्तों के अनुसार बिजली में पैदा हुई सब खराबियों को दूर करने की पूरी जिम्मेदारी प्रधान ठेकेदार की है ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

726. श्री क० हाल्दर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग को भारतीय साँख्यिकी संस्था से पृथक् करने का सरकार का विचार है

(ख) यदि हाँ, तो क्या फालतू कर्मचारियों को अन्य रोजगार दिलाया जायेगा ; और

(ग) इसे पृथक करने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ग). भारतीय साँख्यिकीय संस्थान विषयक समीक्षा समिति की सिफारिश के परिणाम स्वरूप इस संबंध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) संस्थान के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव उपाय किया जायेगा ।

Civilian Employees in Indian Air Force

727. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(*a*) the present number of civilian employees in the Indian Air Force ;

(*b*) the amenities provided to the civilian employees by Government ;

(*c*) the expenditure which Government incur every year on the pay and allowances of the civilian employees and also on providing them other amenities ;

(*d*) whether Government have under consideration any scheme to employ military personnel in place of civilian employees ; and

(*e*) if so, the date from which this scheme would be implemented and the number of civilian employees whose services would have to be terminated as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M.R. Krishna) : (*a*) Approximately 35,500.

(*b*) The amenities include provision of canteens, drinking water, newspapers, periodicals, journals, sports goods, musical instruments, etc. The Workers Education Scheme has also been extended to civilians working in the Air Force establishments.

(*c*) Expenditure on pay and allowances for the last two years was as given below :

1966-67	Approx, Rs. 785 lakhs
1967-68	Approx. Rs. 866 lakhs

Expenditure incurred for providing amenities is not readily available.

(*d*) *and* (*e*) No. However, a certain number of civilian employees, employed against vacancies of airmen due to non-availability of trained airmen, are likely to be rendered surplus, as and when trained airmen become available. Efforts are being made to provide these civilian with alternative employment.

Training to Ex-Servicemen

728. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(*a*) whether Government have under consideration any scheme to give training to the handicapped ex-servicemen in the Industrial Training Institutes so as to provide them with more employment opportunities ; and

(*b*) if so, the details of the amenities that would be made available to them and the masimum and minimum period of their training ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M.R. Krishna) : (*a*) *and* (*b*) : A statement giving the required information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

A special Institution viz., the Queen Mary's Technical School, Kirkee (Poona) already exists to impart training to disabled ex-Servicemen in the following trades :—

Oil Engine Driving ; Tailoring ; Hosiery and Knitting ; Hand and Powerloom Weaving and Electrical (Wiremen, Linesmen, Switchboard attendants, Armature Winders) ; and Dyeing and Printing.

The duration of training varies between 8 months and 18 months depending on the particular trade in which training is given. A maintenance allowance is given to the Institution by the various States and the Centre at the rate of Rs. 60/- p.m. per trainee. Out of this amount the trainee gets a pocket allowance of Rs. 12/- per month, the rest being spent on this training board and lodging and other facilities like medical, railway fare, bedding etc.

2. In addition to this Institution, arrangements for training exist at the Industrial Training Institutes located all over the country where the following facilities are given during the period of training to ex-Servicemen :

Free training ; Single hostel accommodation where available ; Medical facilities ; and Workshop clothing.

The training period is 12 months for non-Engineering trades, and 18 months followed by apprenticeship for six months for Engineering trades. A stipend of Rs. 35/- p.m. is given to each Ex-servicemen trainee. However, disabled ex-Servicemen trainees of the Chinese and Pakistani aggressions are given an enhanced stipend of Rs. 75 - p.m.

Statement By Czechoslovakian Ambassador To Pakistan Re Kashmir

729. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Nath Pai :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in a statement appearing in the Pakistani newspapers, the Ambassador of Czechoslovakia to Pakistan is reported to have said that the people of Kashmir should be given the right of self-determination;

(b) whether the said statement is in conformity with the foreign policy of Czecholovakia;

(c) if not, whether Government have sought any clarification from that Government in this regard; and

(d) if so, the nature of their reply and Government's reaction thereto?

The Prime Ministers, Minister of Atomic energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira (Gandhi) : *(a)* Yes, Sir. Government have seen Pakistani newspaper reports to this sffect.

(b) to *(d)* Clarification was sought in this regard from the Czechoslovak authorities. The Czechosolovak Ambassador in Pakistan informed us that he had made no such statement. The Czechoslovak Foreign Office has reaffirmed that there was no change in the policy of the Government of Czechoslovakia on the Kashmir issue. The Czechoslovak Ambassador in India also made a statement to pressmen to this effect. Obviously this was a case of Pakistani mis-reporting.

Goodwill Missions To Foreign Countries

730. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs be** pleased to state :

(a) the names of the Ministers including the Prime Minister, who went on goodwill missions to foreign countries during the months of May, June and July, 1968 and also the names of those foreign countries where they went;

(b) the amount of foreign exchange in rupees spent by Government in connection therewith ; and

(c) the amount earmarked to be spent on such missions during 1968-69 ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) The Prime Minister visited the following countries during the months of May, June and July, 1968 ;

1. Singapore	3. Australia
2. New Zealand	4. Malaysia

In May 1968 the Prime Minister also visited Sikkim and Bhutan which are in special treaty relations with India. No other Minister visited foreign countries on goodwill missions sponsored by the Ministry of External Affairs.

(*b*) Information is not available, as details from some Missions have not yet been received.

(*c*) No funds are earmarked for goodwill missions as such, Expenditure on such missions is met from the general provisions under deputations/delegations and travelling allowances.

Radio Sets For Children

731. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(*a*) the number of Radio Broadcasts Listener's Centres for Childern set up in the country during the last three years; and

(*b*) the number of Radio Broadcasts Listeners' Centres for Childern proposed to be set up by the Government during the current financial year?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (*a*) The number of Children's listening clubs formed in the country during 1965-66, 1966-67 and 1967-68 is given below :—

Year	No. of Children's listening clubs
1965-66	4163
1966-67	6927
1967-68	9110

(*b*) No target has been fixed. The formation of Children's listening clubs depends on the opening of new Child Welfare Centres having radio sets.

फिल्म परिषद्

732. श्री क० लकप्पा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का प्रस्ताव एक फ़िल्म परिषद् स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस परिषद् की विशेषताएं तथा कार्य क्या होंगे और इसकी स्थापना पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) यह फ़िल्म उद्योग की किस प्रकार सहायता करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). सम्पूर्ण फिल्म उद्योग के समन्वित विकास की प्रगति के लिये एक उच्च-स्तरीय साँविधिक संगठन स्थापित करने की सम्भावना पर फिल्म उद्योग के परामर्श से विचार किया जा रहा है । उसका संगठनात्मक विवरण तथा कार्य अभी तय नहीं किये गये हैं ।

उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र

733. श्री अ० दीपा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के फूलबनी और कालाहांडी जिले के पहाड़ी क्षेत्र बहुत ही पिछड़े हुए और अब भी अविकसित हैं ;

(ख) क्या वहां की दशा की प्रत्यक्ष जानकारी के लिये उन्होंने अथवा किसी अन्य मंत्री ने इन क्षेत्रों का दौरा किया है अथवा करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस क्षेत्र तथा वहां की जनता का विकास करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ग). दिनांक 13 मार्च, 1968 को लोक-सभा में प्रश्न संख्या 3863 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है। आशा है कि नई चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार इन क्षेत्रों के विकास की ओर समुचित ध्यान देगी।

(ख) प्रधान मंत्री ने मई, 1966 में उड़ीसा के कालाहांडी और चार निकटस्थ क्षेत्रों का दौरा किया। मंत्री आवश्यकतानुसार समय-समय पर राज्यों का दौरा करते हैं।

प्रतिरक्षा सेवाओं में धन का गोलमाल

734. **श्री श० ना० माइती :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सेवाओं के एक न्यायाधीश महाअधिवक्ता (जज-एडवोकेट जनरल) जिसे प्रतिरक्षा सेवा के व्यक्तियों में बाँटने के लिये 20 लाख रुपये दिये गये थे तथा जिस पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने 4 लाख से अधिक रुपये की राशि का गोलमाल किया है, के मामले की जाँच केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो जाँच के दौरान किन-किन तथ्यों का पता चला है;

(ग) सरकार को कितनी हानि हुई है तथा उसे किस प्रकार पूरा किया गया है ; और

(घ) दोषी अधिकारी को क्या दंड दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इस मामले में सेंट्रल व्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन ने अपनी जाँच सम्पूर्ण कर ली है।

(ख) से (घ). यद्यपि सेंट्रल व्यूरो आफ इन्वैस्टीगेशन की पूरी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय में प्रतीक्षित है, ऐसा लगता है कि जाँच के परिणामस्वरूप नौसेना के एक भूतपूर्व जज एडवोकेट जनरल ने पराईजमनी फण्ड से 8 लाख रुपये से ऊपर निकाल लिए और उस का दुष्प्रयोग किया। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपराधी को दण्ड देने और दुष्प्रयुक्त राशि को लौटाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की आलोचना

736. **श्री श० ना० माइती :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातित विदेशी चलचित्रों को सेंसर करने के लिये केन्द्रीय फिलम सेंसर बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली संहिता की विदेशी चलचित्र निर्माताओं तथा वितरकों ने यदि कोई आलोचना की है तो उसका मोटा व्यौरा क्या है ;

(ख) भारत में और कोई चलचित्र समारोह आयोजित करने के मार्ग में भारत में अपनाई जाने वाली वर्तमान सेंसर संहिता किस तरह बाधक हो रही है ;

(ग) क्या निकट भविष्य में वर्तमान सेंसर संहिता में कोई परिवर्तन करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) विदेशी चल-चित्र निर्माताओं और वितरकों से आयातित विदेशी चलचित्रों को मसर करने के लिए केन्द्रीय फ़िल्म सेंसर बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली संहिता के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) वर्तमान सेंसर संहिता भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह करने में बाधक नहीं है ।

(ग) और (घ) : राज्य सभा के एक प्रस्ताव के अनुसार सरकार ने फ़िल्म सेंसर पर एक जाँच समिति बनाई है जिसके विचारार्थ विषय सरकार के संकल्प संख्या 14/35/64–एफ़पी. तारीख 28 मार्च, 1968 में दिये गये हैं । इसकी एक प्रति सभापटल पर रखी गयी । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1408/68]** यह बताना कि समिति किस कारवाई की सिफारिश करेगी, समय से पूर्व होगा ।

Casual Labour In Cantonment Boards Under The Central Command

737. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of DEFENCE be pleased to state

(a) whether it is a fact that the Chief Engineer, Central Command issued a Circular on the 16th January, 1968 ordering the Cantonment Boards that those casual or regular labourers who have completed three months of their Service should not be removed from service and their names should be forwarded to the Chief Engineer, Defence Establishment for being absorbed in other works;

(b) if so, whether the said orders have been defied and six casual labourers of the Muzaffarpur (Bihar) working under G.E. Danapur Cantonment have been removed from Service from 1st July, 1968; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House in the due course.

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड

738. **श्री नीति राज सिंह चौधरी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के विस्तार के लिये कोई कार्यवाही की गई है ताकि शेष आर्डरों को पूरा किया जा सके ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो लगभग 49 करोड़ रुपये के शेष आर्डर कैसे पूरे किये जायेंगे जब कि लगभग 6 करोड़ रुपये की विनियोजित पूंजी का वर्तमान वार्षिक उत्पादन लगभग 20 करोड़ रुपये का है ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). जी हाँ । बी० ई० एल० प्रसार प्रावस्था में है, और उस में अतिरिक्त उत्पादन सुविधाएं

स्थापित की जा रही हैं । बी० ई० एल० में इक्विपमेंट डिवीज़न की चरम उत्पादन क्षमता 1970–71 तक 22 करोड़ रुपये वार्षिक तक हो जाने की आशा है, और कम्पोनेंट डिवीज़न में 1972–73 तक 12 करोड़ रुपयेकी । इसके अतिरिक्त साफिस्टिकेट रडारों और मईक्रो वेव साज़सामान की फौरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बी० ई० एल० एक सेटेलाईट फैक्ट्री स्थापित करने की योजना भी बना रहा है ।

(ग) इलैक्ट्रानिकी साज़सामान के निर्माण के लिए आवश्यक समय को देखते हुए, निलम्बित आर्डरों की मात्रा सामान्य है । निलम्बित आर्डरों के लिए अगले 3-4 वर्षों में फैक्ट्री पर प्रत्याशित भार का ध्यान करते हुए पहले से उठाए गए पर्याप्त समझे जाते हैं ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन समितियां

739. श्री जुगल मंडल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन कई समितियों को समाप्त करने का निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 42 समितियों में से 15 को समाप्त कर दिया गया है ।

(ख) यह कार्य इन समितियों के काम की ध्यानपूर्वक समीक्षा करने के बाद और मंत्रालय की कार्यक्षमता में सुधार करने की दृष्टि से किया गया है ।

चीन से आने वाले नागाओं के बारे से जांच पड़ताल

740. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्मा सरकार से कहा है कि वह बर्मा सीमा से होकर चीन से प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत में आने वाले नागाओं की जांच पड़ताल करे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस मामले से सफलता मिली है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) . 27 मार्च, 1968 को तारांकित प्रश्न सं० 877 के उत्तर में, सदन को सूचित किया गया था कि हम दोनों की सरकारें पारस्परिक हित के सभी मामलों पर स्वभावत: ही एक दूसरे से परामर्श लेंगी । इस सहयोग में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है ।

ब्रिटिश उच्चायुक्त के कार्यालय में भारतीय कर्मचारी

741. श्री मु० न० नाघनूर : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश उच्चायुक्त के कार्यालय तथा ब्रिटिश कौंसिल में कार्य कर रहे भारतीय कर्मचारियों की सेवा की शर्तें वैसी ही हैं जैसी उक्त कार्यालयों में भारत में कार्य कर रहे ब्रिटिश राष्ट्रजनों की हैं;

(ख) यदि नहीं, तो सेवा की शर्तों में क्या असमानतायें हैं; और

(ग) भारतीय कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करने के लिये तथा उन्हें भारत में कार्य कर रहे ब्रिटिश राष्ट्रजनों के समान लाने के लिये सरकार क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधानमंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) ब्रिटेन के हाई कमिश्नर के कार्यालय में काम करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की नौकरी की शर्तों के बारे में भारत सरकार को मालूम नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जो कि 1961 में राजनयिक संबंधों पर वियना सम्मेलन में संहिताबद्ध किए गए थे—यह भारत सरकार प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में नहीं आता ।

जहां तक ब्रिटिश कौंसिल का प्रश्न है, सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी ।

(ख(और (ग). ब्रिटेन के हाई कमीशन के बारे में तो यह सवाल ही नहीं उठता । ब्रिटिश कौंसिल के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

Nuclear Non-Proliferation Treaty

742. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the names of countries who have signed the Nuclear Non-Proliferation Treaty so far; and

(b) whether Government are determined not to sign the said treaty or propose to change their present policy?

The Prime Minister , Minister of Automic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) A list showing the names of countries that have signed the Non-Proliferation Treaty so far is placed on the Table of the House. [*Placed in Library, See No. LT*--1409/68.]

(b) There is no change in the Government's decision not to sign the Treaty.

गीत तथा नाटक डिवीजन में भर्ती किये गये स्टाफ आर्टिस्ट

743. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से 1 जुलाई, 1968 की अवधि में गीत तथा नाटक डिवीजन में कितने स्टाफ आर्टिस्ट भर्ती किये गये;

(ख) भर्ती का तरीका क्या था; और

(ग) प्रत्येक आर्टिस्ट को कितना वेतन दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में 114 :—

संगीतकार–1, मंच नृत्यकार–1, दृश्य रचयिता (सीनियर डिजायनर)–1, अभिनेता तथा अभिनेत्रियां—16, नर्तक 6, गायक–9, वादक–20, रंगमंच सजाने वाला (स्टेज डेकोरेटर) –1, मेक-अप मैन कम ड्रेसर–6, रंगमंच सहायक –1, इन्स्ट्रक्टर–9, कलाकार (परफोर्मिंग आर्टिस्ट)– 42, प्रशिक्षण सहायक–1 ।

(ख) पदों को अखबार में विज्ञापित किया गया था, आवेदन पत्र मांगे गये और विभिन्न समितियों द्वारा स्वर परीक्षा तथा इन्टरव्यू लेने के बाद चयन किया गया ।

(ग) प्रत्येक कलाकार को निम्न फीस देने की पेशकश की गई :—

(1) संगीतकार, मंच नृत्यकार—700 रुपये तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते ।

(2) सीनियर डिजायनर—350 रुपये आम भत्तों के साथ ।

(3) अभिनेता तथा अभिनेत्रिया; नर्तक गायक, वादक, स्टेज डेकोरेटर—215 रुपये तथा आम भत्ते ।

(4) मेक-अप-मैन कम ट्रेमर—210 रुपये तथा आम भत्ते ।

(5) इन्सट्रक्टर—कुल मिलाकर 200 रुपए ।

(6) कलाकार कुल मिलाकर 150 रुपए ।

(7) रंगमंच सहायक कुल मिलाकर 133 रुपए ।

(8) प्रशिक्षण सहायक कुल मिलाकर 100 रुपए ।

उपमंत्री द्वारा उड़ीसा सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

744. **श्री प्र० के० देव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण उप-मंत्री ने जून, 1968 में उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके दौरे का समाचार अकाशवाणी से प्रसारित किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रसारित किये गये समाचार की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रसारण किये गये स्क्रिप्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1410/68**]

उड़ीसा सम्भरण मंत्री के इस्तीफे के बारे में समाचार

745. **श्री प्र० के० देव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1968 में आकाशवाणी, दिल्ली ने अपने "स्पाट लाइटफोर टुडे" कार्यक्रम अथवा किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत उड़ीसा के सम्भरण मंत्री के इस्तीफे का समाचार प्रसारित किया था; और

(ख) क्या ऐसे महत्वपूर्ण समाचारों के प्रसारण के मामले की सत्यता की कोई जांच की जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 14 जून, 1968 के 'स्पाट लाइट फोर टुडे' कार्यक्रम के अन्तर्गत एक प्रसारण में यह प्रसंग था कि ऐसी खबर है कि उड़ीसा के सम्भरण मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है ।

(ख) जी, हां । आकाशवाणी के प्रसारणों में जो खबर होती है उसकी प्रमाणिकता का पता करने का पूरा यत्न किया जाता है । इस मामले में कमेन्ट्री एक पत्रकार द्वारा लिखी गई थी और क्योंकि त्यागपत्र की खबर कुछ प्रसिद्ध समाचार-पत्रों में छपी थी, इसकी प्रमाणिकता पर सन्देह करने का कोई कारण न था । तथापि, उन्होंने केवल 'त्यागपत्र देने की खबर' है का उल्लेख किया था ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यवसायिक प्रशिक्षु

747. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री 13 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यवसायिक प्रशिक्षुओं के बारे में आवश्यक सूचना इस बीच में प्राप्त कर ली गई है–

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) सूचना इस प्रकार है :—

(1) 1-7-1968 से भर्ती किए गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित कबीलों के अप्रेण्टिसों की संख्या–12

(2) (उन समेत आर्टिजन जिन्होंने ट्रेनिंग स्कूल में कुशलकारीगरों और सुपरवाईजरी प्रशिक्षण के लिए तबदील होने के पश्चात, प्रशिक्षण पूरा कर लिया है) प्रशिक्षण सम्पूर्ण करने वाले अप्रेण्टिसों की संख्या 185 ।

(3) रिक्त स्थानों के अभाव के कारण उन सभी अप्रेण्टिसों को काम दे पाना संभव नहीं हो सका कि जिन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है । ट्रेड अप्रेण्टिस, अप्रेण्टिस एक्ट 1961 के उपबंधों के अनुसार प्रशिक्षण के लिए भर्ती किए जाते हैं, न कि फैक्ट्रियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के विरुद्ध । ट्रेनिंग फैक्ट्रियें सफल अप्रेंटिसों के लिए रोजगार देने के लिए पाबन्द नहीं हैं, और न ही उन द्वारा ऐसी पेशकश पर अप्रेंटिस उसे स्वीकार करने के लिए । तदापि, जहां तक रिक्त स्थान प्राप्य हों निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार ऐसे अप्रेंटिसों को खपाने के लिए हर प्रयत्न किया जाता है ।

185 अप्रेंटिसों में से कि जिन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, अभी तक 69 को रोजगार की पेशकश की गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण

748. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या प्रतिरक्षा मंत्री 13 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3935 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के संबंध में यार्डी समिति की सिफारिश पर इस बीच कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) अप्रेंटिसों के प्रशिक्षण के संबंध में श्री एम० आर० यार्डी के अधीन वर्किंग ग्रुप द्वारा की गई सिफारिश के संदर्भ में स्थिति यह है कि अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को प्रशिक्षण र्थी नियुक्तियों के लिए $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत और अनुसूचित कबीलों के उम्मीदवारों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण के बारे में सिफारिश आर्डनेंस फैक्ट्रियों के लिए स्वीकार कर ली गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सशस्त्र सेना के जवान

749. श्री नीतिराज सिंह चौधरी: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से नागाओं के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है तब से अब तक नागाओं द्वारा अथवा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप सशस्त्र सेना के कितने जवान जख्मी हुए, मारे गए अथवा लापता हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : आवश्यक सूचना नीचे दी गई है :--

घायल 135

निधन प्राप्त 267

गुम, समझा गया है कि वह मारा गया है 1

परमाणु बम तथा प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण

750. श्री नीतिराज सिंह चौधरी: क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका, चीन और अब रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के फलस्वरूप सरकार परमाणु बम तथा प्रक्षेपणास्त्रों के निर्माण के प्रश्न पर पुनर्विचार करेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो भविष्य में देश की प्रतिरक्षा को कैसे संगठित करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) सदस्य महोदय का ध्यान नाभिकीय आयुधों के संबंध में भारत सरकार की नीति स्पष्ट करते लोक सभा में 24 अप्रैल, 1968 को दिए गए वक्तव्य की ओर आकर्षित किया जाता है । यू० एस० एस० आर० से पाकिस्तान द्वारा कुछ अतिरिक्त सैनिक सामान की प्राप्ति पर हमारी नाभिकीय नीति में कोई अन्तर नहीं आता । तदपि,

भारत सरकार पाकिस्तान की शक्ति में वृद्धि के कारण संकटों के प्रति सजग है और वह देश की सुरक्षा की रक्षा करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी।

India's Border with Neighbouring Countries

752. **Shri Bibhuti Mishra**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that since India attained Independence, no agreements regarding the Indian borders have been concluded with China, Burma and Nepal;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that some of these countries have forcibly occupied some areas of Indian territory; and

(d) if so, the steps being taken by Government in this regard?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b) A border agreement was concluded in 1967 between India and Burma. The Indo-Nepal border is well defined and established by treaties and agreements. India's border with China is also well defined and is in conformity with accepted geographical principles relating to international borders. Furthermore, it has been confirmed by international agreements in the course of the last 300 years.

As a successor State, India inherited boundaries which were unambiguous and no dispute has arisen with either Burma or Nepal. In the case of the India-China border, the Chinese Government did not question the border depicted on our maps until 1959.

(c) China is in illegal occupation of approximately 14,500 sq. miles of Indian territory in Ladakh. They also occupy a little over 2,000 sq. miles of Indian territory in Pakistan occupied Kashmir as a result of their so-called border agreement with Pakistan.

(d) Government do not recognise the illegal occupation of Indian territory by the Chinese and have been endeavouring to recover the territory through negotiations and other peaceful means consistent with our national honour and sovereignty. The Chinese Government however have adopted a totally negative attitude in the matter.

Security of Eastern Borders

753. **Shri Onkar Lal Bohra**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether security of Eastern Borders of the country have been threatened as a result of the Naga rebels getting Chinese arms and other facilities from them;

(b) if so, the measures adopted by Government from the security point of view;

(c) whether it is a fact that Government propose to take over the administration of the eastern borders; and

(d) if so, the details in this regard?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) The supply of arms by China to hostile Nagas has introduced a new element in the problem of security of the country in the Eastern Region. Government is aware of this threat and is fully prepared to meet it.

(b) Appropriate measures have been taken by Government to deal with the situation.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

पाकिस्तान सरकार द्वारा गिरफ्तार किये गये भारतीय

754. **श्री चक्रपाणि :**
श्री पं० गोपालन :
श्री न० कु० सांघी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने मई, 1968 में पाकिस्तान के जल प्रांगण में प्रवेश करने वाले लगभग 36 भारतीयों को गिरफ्तार किया था; और

(ख) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां । पाकिस्तान सरकार ने 29 अप्रैल को 36 भारतीयों को गिरफ्तार किया था । ये लोग भारतीय जलयान 'रत्नगिरि' से यात्रा कर रहे थे जो कि, जैसा कि बताया गया है, मशीनी खराबी के कारण कराची के पास तट से जा लगा था ।

(ख) भारत सरकार ने इस मामले को पहले ही पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है और उस पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वह इन व्यक्तियों को रिहा कर दे ताकि इन्हें जल्दी भारत ले जाया जा सके ।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

755. **श्री प० गोपालन :**
श्री चक्रपाणि :
श्री न० कु० सांघी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष एक फिल्म समारोह करने का है;

(ख) सरकार ने ऐसे कितने समारोहों का पहले आयोजन किया था; और

(ग) ऐसे समारोहों से क्या लाभ होते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां । अगले वर्ष एक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) भारतवर्ष में 1952, 1961 और 1965 में पहले भी तीन अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हो चुके हैं ।

(ग) संसार के सिनेमा के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी (फोरम) का अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त, यह मेजबान देश को अपने चलचित्रों को दिखाने का मौका देता है और हमारे कलाकारों, निर्देशकों, निर्माताओं तथा सिनेमा-जगत में काम करने वाले अन्य व्यक्तियों को कलात्मक और व्यापार सम्बन्धी सम्पर्क स्थापित करने का बेजोड़ मौका देता है ।

भारतीय ऊर्जा सर्वेक्षण समिति

756. **श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय ऊर्जा सर्वेक्षण समिति, 1965 द्वारा की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या इस समिति की सिफारिशों के अनुसरण में दूसरा सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसमें कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो अगले सर्वेक्षण को शीघ्र कराने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) इस प्रतिवेदन में देश में ऊर्जा के आयोजन से सम्बन्धित विविध विषयों का समावेश किया गया है। इसकी कतिपय सिफारिशें पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं और अन्य सिफारिशों का आगे और अध्ययन और जांच-पड़ताल की जा रही है। इन पर कार्रवाई की जा रही है।

(ख) से (घ) : नई चौथी योजना की विकास योजनाओं के बारे में निर्णय हो जाने के बाद, देश की ऊर्जा आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अगला सर्वेक्षण किया जायेगा। इस दौरान, 1962–63 के बाद विभिन्न क्षेत्रों द्वारा ऊर्जा की खपत के बारे में कतिपय आधार-भूत आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

निजी थैलियों का समाप्त किया जाना

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"देशी रियासतों के भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियां तथा अन्य विशेषाधिकार समाप्त करने के प्रश्न पर उनके साथ हाल ही में हुई बातचीत का परिणाम।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैंने भारतीय रियासतों से भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने के सम्बन्ध में सरकार के इरादे के अनुसार 3 नवम्बर, 1967, 26 दिसम्बर, 1967 और 29 मई, 1968 को उनके प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। मैंने पहले उन्हें यह बताया था कि मैं सदभावना के साथ किसी समझौते पर पहुंचने का कोई साझा आधार ढूंढने के लिये उनसे बातचीत कर रहा हूं। दूसरी बैठक में मैंने उन्हें बताया कि सरकार का इरादा उनकी निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने और संक्रमणकालीन व्यवस्था करने का है और इसी सम्बन्ध में उनके साथ बातचीत करने का सरकार ने निर्णय किया है। मैंने उनसे यह भी कहा कि मैं संक्रमणकालीन व्यवस्था के सम्बन्ध में एक योजना उनके सामने रख सकता हूं, परन्तु शायद वे इस सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव देना चाहें। उन्होंने

कहा कि वे सरकार के इरादे को अन्य नरेशों को बता देंगे और उनकी प्रतिक्रिया देखेंगे। मई, 1968 में इन शासकों की बातचीत हुई थी। इस बैठक में उनकी ओर से यह ब्यौरेवार बताया गया कि निजी थैलियां और विशेषाधिकार क्यों समाप्त नहीं किये जाने चाहिये। मैंने उन्हें केन्द्रीय सरकार का निर्णय फिर बताया। मैंने देखा कि वे बातचीत करने में कुछ अन्यमनस्क दिखाई देते हैं, परन्तु उन्होंने एक टिप्पण भेजने का वचन दिया था और वह टिप्पण हमें अभी तक नहीं मिला। तब से सरकार इस सम्बन्ध में कानून बनाने और संक्रमण-कालीन व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही को अन्तिम रूप देने से पहले भूतपूर्व शासकों के साथ बातचीत करने का हमारा विचार है।

श्री रा० बरुआ : इस सम्बन्ध में जब पहले ही निर्णय किया जा चुका है तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकार कब तक कोई निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लिया है कि निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को समाप्त किया जायेगा। यह निर्णय किया गया है परन्तु हम इस सम्बन्ध में भूतपूर्व शासकों की सद्भावना चाहते हैं। हम कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं परन्तु अन्तिम निर्णय करने से पहले हम उनसे बातचीत कर लेना चाहते हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): There does not seem to be any progress in this matter. Nothing has been added to what had been stated a year before. In view of this I would like to know whether hon'ble Minister will give a particular date by which the privy purses would be abolished?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निश्चय ही मैंने अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया। हमारा निश्चित उत्तर यही है कि सरकार ने सिद्धान्त रूप में निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है। परन्तु मैं इस सम्बन्ध में कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकता क्योंकि इस मामले में संतोष और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है।

उप-प्रधानमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE DEPUTY PRIME MINISTER

अध्यक्ष महोदय : उप-प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के विरुद्ध मुझे विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस मिला है। मैं इस विषय के सम्बन्ध में कुछ जानकारी चाहता हूं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I am going to raise an important issue and wish that if it be referred to the Privilege Committee. During the Course of discussion on Finance Bill on 30th April and 1st May, 1968 my friend Shri Umanath and myself had made certain allegations in our speeches which related to the son and private Secretary to the Deputy Prime Minister. At that time Deputy Prime Minister had denied that "he is not in business; he has

gone out of business." He further stated that his son had given up business since 1964 and not now. He joined him when he was not in the Ministry. Since then he is continuing to work as his private Secretary but he is not borne on Government estalblishment. Moreover he is not paid anything by the Government.

We were charged by the Deputy Prime Minister that we have perverted mentality. He told me that I have a diseased mind. He had further stated. "I have greated regard for proprieties than any of them. I have made inquiries through police against my son whenever some papers have come like that; I have not let it alone......"

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने के लिये कारण पूछे थे। परन्तु वह लम्बा भाषण दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह भाषण देने की बात नहीं है, मैंने उन्हें तथ्य स्पष्ट करने की अनुमति दी है। वह केवल वक्तव्यों में से उद्धरण दे रहे हैं। इसके दौरान व्यवधान नहीं डाले जाने चाहिये।

Shri Madhu Limaye: Shri Morarji had further stated that his son was always found to be far away from any kind of these things.

I may state that his son has contacts with Deodsal Private Limited Company since 1956. There was an agreement between the Managing Director of the above said Company and Shri Kantilal and he has been in receipt of certain Commission according to that agreement. In 1960 Shri Kantilal was given a letter that he is being employed. According to article 3(A) of that agreement Shri Kantilal was to get monthly salary of Rs. 1650 payable on the last working day of every month subject to deduction of taxes the Comany shall be bound to deduct. After completion of twelve months of service, the monthly salary shall be increased to Rs. 2050 (Rupees two thousand and fifty only).

I want to state that there was an agreement made on 8th day of July, 1965 between Dodsal Private Limited and Shri Kantilal *i.e.*, after joining the Deputy Prime Minister as a private secretary. The following is a very important portion of the agreement:—

"The Company shall pay him Rs. 2050 per calendar month subject to deduction of such taxes therefor as may be applicable for a period of three years, with effect from 1st April, 1965. That means Shri Kantilal was in receipt of Rs. 2050 per calendar month upto 1st April, 1968. This document proves that there has been continuous contact between Dodsal Private Company.

I want to say that Shri Morarji Desai was fully aware of this fact and he deliberately mislead the House. After Shri Kantilal's exit this Company was raided several times.

Now in 1963, the House resolved that in making a personal statement which contained words which he later admitted not to be true, a former member has been guilty of grave contempt.

Now let him deny that he was not aware of these things. It is a deliberate lie, if it can be substantiated, that would certainly bring the offence within the meaning of breach of privilege. If the hon'ble Member proves that these documents are not true, action may be taken against me.

In view of above I demand that Shri Morarji Desai should resign and this matter may be referred to the Privileges Committee.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : दस्तावेजों को अस्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता। व स्टाम्प कागज पर रजिस्टर्ड वैध दस्तावेज हैं वे किसी प्रकार भी गुप्त समझौते नहीं हैं। वे सब औपचारिक और वैध समझौते हैं। इनके लिये किसी के द्वारा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। वे बिल्कुल स्पष्ट हैं।

मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि मैंने 30 अप्रैल, 1968 को यह वक्तव्य देकर सभा को भुलावा दिया है कि मेरे पुत्र ने सन् 1964 में व्यापार से सम्बन्ध तोड़ दिया था, इस अभियोग के समर्थन में श्री लिमये यह दावा करते हैं कि उनके पास उन समझौतों की फोटो प्रतियाँ हैं जो मेरे पुत्र और मैसर्स डोडसाल प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए थे। मेरे पास मूल दस्तावेज हैं। वास्तव में तथ्य इस प्रकार हैं :

मैसर्स डोडसाल प्राइवेट लिमिटेड ने जो उस समय भारतीय संगठन नहीं था मेरे पुत्र को दिसम्बर 1956 से कमीशन एजेंट के रूप में नियुक्त किया। दिसम्बर 1960 में इस संगठन ने मेरे पुत्र को विक्रय निदेशक के रूप में वेतन और कमीशन के आधार पर नियुक्त किया जिसका जोड़ नौकरी के दूसरे वर्ष से 4 000 रुपये मासिक से कुछ अधिक था। पहले 12 महीनों के दौरान वेतन भाग 1 650 रुपये था और एक वर्ष के पश्चात् 2,050 रुपये। शेष राशि कमीशन का परिणाम था जो उसे वर्ष में मिलता था।

इन दोनों समझौतों पर यूरोपीय मैनेजर द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे जो कि (समझौते) छः महीने के नोटिस द्वारा समाप्त किये जा सकते थे। दिसम्बर 1960 का समझौता 31 मार्च, 1965 तक लागू रहा जिसमें नोटिस की अवधि भी शामिल है। मेरे पुत्र ने जून 1964 के बाद इस कम्पनी के लिये कार्य करना बिलकुल छोड़ दिया था।

अन्तिम समझौते में सेवांत लाभ के रूप में 2050 रुपये मासिक पारिश्रमिक की व्यवस्था थी लेकिन 1 अप्रैल 1965 से तीन वर्ष तक कोई कमीशन की व्यवस्था नहीं थी। जैसा कि फोटो प्रतिलिपि से पता चलेगा यह समझौता कोई व्यापारिक आधार पर आरोपित नहीं करता केवल इसके कि जिस अवधि में मेरा पुत्र उस संगठन में एक एजेंट के रूप में काम करता था अथवा उस संगठन की सेवा में था उस अवधि में हुए सौदों के बारे में कोई भी बात बाहर प्रकट नहीं करेगा। यह एक स्पष्ट हिदायत है और इसे व्यापारिक सम्बन्ध नहीं समझा जा सकता। कमीशन फीस के जो एक अच्छी रकम थी, रोक दिये जाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस अवधि के दौरान किसी प्रकार के व्यापार की अपेक्षा नहीं की गई। सेवांत लाभ मूल्यवान सेवाओं के लिए दिया गया। यह व्यापारिक मूल्यांकन पूर्णतः संगठन के निर्णय के अन्तर्गत आता है और सभा के माननीय सदस्यों को इसके और व्यापारिक क्षेत्र में अन्य ऐसे ही सौदों के ब्यौरे में जाने की मुझसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

आखिरी समझौता जिसका उपयोग मेरे वक्तव्य का खंडन करने के लिये किया गया है उस अवधि से सम्बन्ध रखता है जब मैं किसी पद पर नहीं था। ऐसा कहना और कुछ नहीं केवल कल्पना है कि सार्वजनिक जीवन में मेरे प्रभाव के कारण यह सब कुछ हुआ।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मारे गये छापे के समय को समझौते की समाप्ति के साथ सम्बद्ध करना तथा यह आक्षेप लगाना कि जाँच कार्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है विवेकहीनता का सूचक है। जाँच कार्य कानून के अनुसार आगे चल रहा है और प्रवर्तन निदेशालय तथा मंत्रालय में नियमित प्रगति-प्रतिवेदनों पर ध्यान दिया जा रहा है।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, a hasty decision should not be taken. This matter should go before the Committee.

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर अब आगे चर्चा नहीं हो सकती । इस पर काफी चर्चा हो चुकी है । ऐसा नहीं कि यों ही निर्णय दिया जा रहा हो । यदि कुछ मतभेद हैं और कुछ छानबीन करनी है तो की जा सकती है । यह कार्य विशेषाधिकार समिति का होगा । विशेषाधिकार समिति केवल तभी इस पर विचार कर सकती है अगर तुम जो कुछ श्री मोरारजी देसाई ने कहा है उस से सहमत न होता अथवा श्री मोरारजी उस बात से सहमत न हों जो आपने (श्री मधु लिमये) कहा हो ।

लेकिन कोई भी असहमत नहीं है । कोई भी ऐसा विशेषाधिकार नहीं है जिसे समिति के पास निर्दिष्ट किया जाय । अतः यह समाप्त किया जाता है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय सांख्यिकीय संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मती इंदिरा गांधी) : मैं भारतीय सांख्यिकीय संस्था कलकत्ता के वर्ष 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—1396/68]

शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के बारे में सरकारी संकल्प

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): I beg to lay on the Table on behalf of Dr. Triguna Sen, a copy of Government Resolution No. F 30–60/67-IU of 24th July, 1968. on National Policy on Education. [*Placed in Library See No. LT—1397/68*]

नौसेना के अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : मैं (1) नौसेना अधिनियम 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) नौसेना (अनुशासन तथा विविध उपबन्ध) (संशोधन) विनियम 1968 जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ०—3 ई में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) नौसैनिक समारोह सेवा की शर्तें तथा विविध (दूसरा संशोधन) विनियम, 1968 जो दिनांक 30 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ— 4–ई में प्रकाशित हुए थे । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—8–74/68]

(तीन) नौसेना समारोह सेवा की शर्तें तथा विविध (तीसरा संशोधन) विनियम 1968 जो दिनांक 19 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

एन० आर० ओ० 5–ई में प्रकाशित हुए थे ।
[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—1108/68]

(2) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना (अनुशासन तथा विविध उपबन्ध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1968 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 8 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 8–ई में प्रकाशित हुए थे । (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—1398/68]

भारत सरकार तथा चीन सम्बन्धी श्वेत पत्र संख्या XIV

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं श्वेत पत्र संख्या XIV की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जिसमें फरवरी, 1967 से अप्रैल, 1968 तक भारत तथा चीन की सरकारों द्वारा एक दूसरे को भेजे गये नोट, ज्ञापन तथा पत्र दिये गये हैं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—1399/68]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTION

बत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री खाडिल कर : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का बत्तीसवाँ प्रतिवेदन उपस्थपित करता हूं ।

याचिका का प्रस्तुत किया जाना

PRESENTATION OF PETITION

दिल्ली में प्रथम स्रोत पर विक्रय कर लागू करना

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं दिल्ली में प्रथम स्रोत पर विक्रय कर लागू करने के बारे में दिल्ली के श्री महाबीर प्रसाद गुप्त तथा अन्य व्यक्तियों की एक याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

उन्नीसवां प्रतिवेदन

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : इस प्रस्ताव को पेश करने से पहले मुझे एक वक्तव्य देना है क्योंकि कल स्वर्ण नियंत्रण विधेयक पर यह मतैक्य हुआ था कि इसे प्रवर

समिति को भेजा जाना चाहिये, यह विधेयक अध्यादेश का प्रतिस्थापन करता है । अतः मैंने आपको एक पत्र लिखा था । उसके अनुसार मैं प्रस्ताव पेश करता हूं ।

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से जो 23 जुलाई, 1968 को सभा में पेश किया गया था सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : तब आपको समय बढ़ाना पड़ेगा ।

डा० रामसुभग सिंह : हम इससे सहमत होंगे ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): This Bill should be referred to Select Committee as had been decided in the Business Advisory Committee.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं अनुरोध करता हूं कि कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिशों का सम्मान किया जाना चाहिये और इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिये । यदि इसे प्रवर समिति में नहीं भेजा जा रहा है तो हम चर्चा के लिए 5 घंटे चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्वयं यह कहा है कि यदि इसे प्रवर समिति में नहीं भेजा जाता है तो समय में वृद्धि अवश्य की जानी चाहिये ।

Shri Kanwar Lal Gupta: Sir, what is the use of the Business Advisory Committee if the hon. Minister agrees in the Committee and the Committee gives an unanimous report but because the hon. Finance Minister have refused to agree with this decision, it is being changed. We protest against it.

अध्यक्ष महोदय :मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए लेकिन जैसा मन्त्री महोदय ने बताया कि कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण इस परिवर्तन की आवश्यकता है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : वे विशेष परिस्थितियां कौनसी हैं ?

डा० रामसुभग सिंह : यह विधेयक एक अध्यादेश का प्रतिस्थापन करेगा और इसे जारी करने की तिथि से छः महीने के अन्दर पारित करना पड़ेगा । इसलिए मैं अपील करता हूं कि सभा इस विधेयक को सीधे पारित करने के लिए सहमत होवे । इस विधेयक पर विचार करने के लिए अधिक समय देने के लिए मैं सहमत हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अनुरोध करता हूं कि एक संयुक्त समिति नियुक्त की जानी चाहिये और हमें इस विधेयक पर चर्चा करनी चाहिये तथा सभा के स्थगित होने से पहले अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि जैसा मन्त्री महोदय ने बताया संयुक्त समिति में प्रस्ताव रखना पड़ेगा और इसमें समय लगेगा, अतः यह सम्भव नहीं, इसमें कठिनाई है ।

श्री नाथपाई (राजापुर): हम केवल यह चाहते हैं कि विधेयक की पूरी छानबीन हो । इस उद्देश्य से हमने सुझाव दिया है कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाय । हम इसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का समय दे सकते हैं । मैं समझता हूं इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

डा० रामसुभग सिंह : हमें इस पद्धति का बड़ा अनुभव है, ये समितियां बाद में समय को बढ़ाने की मांग करती हैं, इस सत्र दौरान दोनो सभाओं के पास काफी कार्य विचाराधीन पड़ा हुआ

[डा० राम सुभग सिंह]

है, ये हमारी कठिनाइयां हैं। अतः मैं दुबारा अपील करता हूं कि इस विधेयक को सीधे पारित किया जाय।

Shri Kanwar Lal Gupta: If such a precedent will be set up, then there will be no value of the decisions of the Business Advisory Committee in future. A bad precedent is being set up.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस समय निर्णय लेने की बजाय इस विशेष मद को, आगे विचार करने के लिए, कार्य मन्त्रणा समिति के पास वापिस भेजा जाय। मैं आशा करता हूं कि सभा प्रतिवेदन के शेष भाग पर सहमत है। अब मैं इसे सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से, जो 23 जुलाई, 1968 को सभा में पेश किया गया था, इस रूप भेद के साथ सहमत है कि प्रतिवेदन की मद (6) और (7) समिति को पुनर्विचार के लिए फिर से सौंपी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 म० प० पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]
[*Mr.* **Deputy Speaker** *in the Chair.*]

सीमा सुरक्षा बल विधेयक—जारी

BORDER SECURITY FORCE BILL—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री यशवन्तराव चव्हाण द्वारा 23 जुलाई, 1968 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

> "कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये संघ के एक सशस्त्र बल का गठन तथा विनियमन करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The object of this Bill is commendable. There has been disturbance on our borders for the last many years. The question is not only of bad intentions of China and Pakistan but some of our people are also doing subversive activities. Besides it, there is problem of smuggler and infiltrators. All these things have created a

difficult situation. We hope that the proposed Border Security Force Bill would meet the purpose.

Keeping in view the importance of this Bill, this Bill should be referred to Select Committee and each and every aspect of this Bill can be examined in the Committee.

This force should be treated as an additional Military force and provision should be made for adequate training for this force. There are very strain provisions for punishment in cases of indiscipline. Therefore, it is essential that the service conditions of Border Security Force should be the same as are meant for Army.

This Bill may create certain complications. Some States may feel that through this Bill there will be intervention in their police activites. This type of doubt should be removed. The relations of State Police and this force should be explained.

The Border Security Force should not be supplied old arms of Armed forces, but it should be provided with modern weapons. Only then this Force can work effectively.

! We will have to organise also the people residing in border areas so that at the time of need they may assist and guide the Border Security Force.

Under the provisions of this Bill, the Border security Force will be posed on the border adjoining Pakistan. This Force should also be posted on the border adjoining China and on the sea borders from where smuggling of goods takes place. The strength of the Force should be increased for the purpose.

The retired army personnel should be encouraged to settle in border areas.

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा से यह जानना चाहता हूं कि सामान्य चर्चा और अन्य प्रक्रमों के लिये कितना कितना समय निश्चित किया जाय ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : प्रत्येक दल के प्रतिनिधि के बोलने के लिये समय निश्चित किया जाय ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : समय का वितरण इस प्रकार होना चाहिये—प्रथम वाचन के लिये 3 घंटे और अन्य प्रक्रमों के लिये 2 घंटे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : खंडवार चर्चा के लिये एक घंटा काफी है ।

Shri Jharkhande Rai (Ghoshi): I would suggest that the time for general descussion should be extended.

उपाध्यक्ष महोदय : पांच घंटे से अधिक का समय निश्चित करना सम्भव नहीं होगा । मेरा सुझाव यह है कि सामान्य चर्चा के लिये 2 घंटे और खंडवार विचार के लिये 1 घंटा निश्चित किया जाय । हम खंडवार चर्चा शाम को 4 बजे शुरू करेंगे ।

श्रीमती इला पालचौधरी (कृष्णनगर): सीमा सुरक्षा बल सुरक्षा की पहली पंक्ति है क्योंकि सेना तो तभी बागडोर सम्भालेगी जब कोई घटना हो जायेगी और उससे पहिले हुई घटना की जिम्मेवारी तो सीमा सुरक्षा बल को ही निभानी होती है । इसलिये सुरक्षा बल के कार्यों के प्रति हमारे मन में सहानुभूति और प्रशंसा की भावना है । इस बल ने सीमा क्षेत्रों में लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा की । पश्चिम बंगाल में इस बल ने एक साल में 3,000 घुसपैठियों को पकड़ा और 2 लाख रुपये का सामान जब्त किया ।

[श्रीमती इला पाल चौधरी]

यह मालूम हुआ है कि सीमा सुरक्षा बल अभी और 10,000 व्यक्तियों को रख सकता है। पूर्वी पाकिस्तान से जो नामसूद्र लोग आये थे वे स्वस्थ और लड़ाकू हैं और उन्हें प्रशिक्षित करके सीमा सुरक्षा बल में कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में रखा जा सकता है।

सीमा सुरक्षा बल में सेवा की शर्तें यथासम्भव वही होनी चाहियें जो सेना की हैं क्योंकि यह भी एक तरह की अतिरिक्त सेना है। इस बल में काम करने वाले लोगों के, जो हमारी सीमाओं पर पहरा देते हैं, परिवार की देखभाल की भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये। इन्हें 60 दिन की छुट्टी भी दी जानी चाहिये।

सैनिक न्यायालय के समान ही उनके लिये भी दंड की व्यवस्था की जा रही है और मृत्यु दंड की भी व्यवस्था की जा रही है। इन मामलों में उन्हें गृह मन्त्री से अपील करने का अधिकार होना चाहिये।

श्री समर गुह : इस समय हमारी सीमाओं पर सतत खतरा बना हुआ है। हमें इस ओर अनिवार्य रूप से ध्यान देना होगा। चाहे हम पर कितना ही भार क्यों न हो, हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा की ओर अवश्यमेव ध्यान देना होगा। किन्तु यदि विधेयक के पीछे यह भावना हो कि सशस्त्र पुलिस बल जैसा ही पुराने हथियारों से लैस एक और बल बनाया जाय तो इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी और इससे राज्यों के साथ झगड़े की स्थिति पैदा हो जायेगी।

यह बहुत आश्चर्य की बात है कि इस विधेयक के उद्देश्य की बड़े अस्पष्ट ढंग से व्याख्या की गई है। इस विधेयक में कहीं भी सुरक्षा बल के स्तर और कार्य की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। मैं गृह कार्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सुरक्षा बल का उद्देश्य यही है कि वह सीमा पुलिस के काम करे और अवैध घुसपैठियों, तस्करों डाकुओं और पशुओं की चोरी करने वालों की धर पकड़ करे। यदि ऐसा है तो यह बल भी अपने उद्देश्य में असफल रहेगा और इससे सीमावर्ती राज्यों और केन्द्र के बीच संघर्ष पैदा होगा। किन्तु यदि इसे एक सहायक बल के रूप में एक विशेष काम सौंपा जाता है तो इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिये था।

हमारे गृह कार्य मन्त्रालय तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय को यह भली भांति मालूम है कि पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में अन्सार और मुजाहिद लोगों की तथा अन्य प्रकार की गुरिल्ला सेनायें संगठित कर रहा है जिसमें चीनी विशेषज्ञ उसकी सहायता कर रहे हैं। इस प्रकार के संगठन की पाकिस्तान का यह अभिप्राय नहीं है वह अपनी सीमाओं की रक्षा करना चाहता बल्कि इस प्रकार की सेनाएं बल्कि किसी संघर्ष के समय वह इन सेनाओं को हमारी पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर गड़ बड़ करने के लिये प्रयुक्त करेगा। इसलिये प्रतिरक्षा सेनाओं की सहायता करने के लिये हमें भी नये ढंग की प्रतिरक्षा सेना संगठित करनी चाहिये और यह सेना भी एकमात्र सशस्त्र पुलिस जैसी न हो बल्कि इसको कोई विशेष और निश्चित कार्य सौंपा जाये। यह प्रतिरक्षा सेना सशस्त्र पुलिस भिन्न हो, उसका प्रशिक्षण व्यवस्था और साज सामान भी सशस्त्र पुलिस से भिन्न हो। इस प्रकार की सेना में प्रधान रूप से ऐसे व्यक्तियों को भर्ती किया जाये जिन्हे सीमावर्ती क्षेत्रों का पर्याप्त ज्ञान हो।

परन्तु इस विधेयक में और दूसरी बातें तो बहुत हैं परन्तु यह नहीं बताया गया कि सीमा सुरक्षा बल का दर्जा क्या होगा तथा इसके जिम्मे कौनसा विशिष्ट कार्य सौंपा जायेगा। इसमें तो केवल यह लिखा है यह बल घुसपैठियों, तस्करों पशु उठा ले जाने वालों अथवा दस्युओं का सामना करेगा। क्या

यह बल दूसरी ओर से होने वाले गुरिल्ला युद्ध का भी मुकाबला करेगा तथा अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा ?

यदि हां, तो फिर इस बल को निश्चय एक भिन्न ढंग से गठित तथा सुसज्जित करना होगा। इसमें नामशूद्र, छागमा ओर संथाल आदि परम्परा से वीर और लड़ाका जातियों के लोगों को भर्ती किया जाना चाहिये। उन्हें अच्छा सैनिक प्रशिक्षण, साज सामान तथा देश प्रेम का विशिष्ट सैद्धान्तिक शिक्षण भी दिया जाना अनिवार्य है।

अन्त में मैं कहूंगा कि यह विधेयक जल्दी में तैयार किया गया। इसके प्रत्येक उपबन्ध पर समुचित विचार किया जाना चाहिये अतः इसे संयुक्त प्रवर समिति को कम से कम दो सप्ताह के लिये सौंप दिया जाना चाहिये।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : महोदय, सावन के अन्धे को सदैव हरा ही हरा दिखाई देता है। यही बात आज राजनैतिक दलों के साथ भी है। किसी भी माननीय सदस्य के प्रति असम्मान की भावना लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं यहां कई माननीय सदस्य बल विरोध करने के उद्देश्य से ही इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं जबकि यह विधेयक इतना लाभप्रद है तथा हमारी सीमाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में उपबन्ध प्रस्तुत करता है।

परन्तु मैं आपका ध्यान इस सच की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि आजकल देश हर चीज के लिये कानून बनाने की हम पर धुन सवार हो गई है तथा हमारा विधि मंत्रालय तथा विधि विभाग इस कारण परेशान है। जब इससे पूर्व ही सेना सम्बन्धी अधिनियम बन चुका है तो उसमें संशोधन करने के लिये सीमा सुरक्षा वल के सम्बन्ध में इतना बड़ा विधेयक प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता थी। इस प्रकार धड़ाधड़ विधेयकों के आने से हमारी सभा बस एक वाद-विवाद का घर बन कर रह जाती है तथा इस विधेयकों के चक्कर में देश के हितों से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य पीछे रह जाते हैं। यह कानूनी चक्कर हमारी मानवता के लिये एक अभिशाप है तथा मानव की प्रगति में बाधा बनता है।

यह मेरा सुविचारित मत है कि सीमा सुरक्षा का कार्य केवल सेना को ही सौंपा जाना चाहिये और हमारे लालची पड़ोसी चीन तथा पाकिस्तान की खतरनाक आक्रमणकारी प्रवृत्तियों के यह अत्यन्त आवश्यक भी हो गया है कि इसके लिये समुचित व्यवस्था की जाये। अभी हाल ही में सोवियत रूस ने जो पाकिस्तान को शस्त्र दिये हैं उसको कम महत्व नहीं दिया जा सकता। यह हमारे राष्ट्र के लिये बड़ी खतरनाक बात है। अतः हमें अपनी सीमाओं पर अपनी सुरक्षा की व्यवस्था को खूब दृढ़ बनाना चाहिये।

हमारी विशाल सीमाओं के पार से प्रतिदिन भारी मात्रा में सोने, चान्दी तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रसाधन सामग्री की तस्करी होती है। यदि हम इस सम्बन्ध में सचेत न रहे तो यह बड़ा हानिकारक सिद्ध होगा।

हमें पता लगता है कि पश्चिमी बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान की ओर से काफी तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां होती हैं। हाल का इतिहास यह सिद्ध करता है कि साम्यवादी दल के नक्सलबाड़ी वाले तत्व पश्चिम बंगाल में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। इसलिये सीमा सुरक्षा बल को दो कार्य करने हैं। एक तो वाह्य आक्रमण से सीमाओं की रक्षा करनी है

[श्री कृष्ण कुमार चटर्जी]

तथा दूसरे देश के आन्तरिक भागों में तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों को रोकना है। अतः सीमा सुरक्षा बल को समुचित साज-सामान देने के साथ-साथ उसके कर्मचारियों को इतने जोखिम के तथा कठिनाई से भरे कार्य के बदले में उसी हिसाब से समुचित वेतन, भत्ते, तथा अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में एक उपबन्ध विधेयक में होना चाहिये। गृह-कार्य मंत्री इस पर विचार करें।

इसके साथ ही मैं इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेने की प्रार्थना करता हूं।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon): Whereas I welcome the introduction of this Bill by the hon. Home Minister, I would like to point out that it was not at all desirable to incorporate such words as 'shamefully', 'Cowardly', etc., in this Bill as also their use in respect of our armed forces whom we all praise for their bravery and valour. Also we should not put so many restrictions on our forces; otherwise it would suggest that there are certain elements in our army which prefer their own personal or political interests in the guise of national security.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]
[**Shri Vasvdevan Nair** *in the Chair.*]

It has been said the Boarder Security Force will work across the borders also in emergent cases. I would like to have a clarification in this regard because for this purpose our regular army is there.

I am grieved to point out that there has infiltration and border violations in spite of the existence of border force and State Police. How could these infiltrators come, how could the Mizos and Nagas cross our borders, get training in China and come with arms and ammunitions? This clearly proves some defects in our organisation.

It is wrong to suggest that only the Muslims were responsible for partition in the country. It seems that we have not be able to base our faith in the Muslims who are crores in number, throughout the last 20 years. Some people have cast aspersons even on Dr. Zakir Hussain also. I would therefore, request the hon. Home Minister to trust in the Muslims and give them opportunity to serve in State Police and Army.

In the end. I would urge that we should strengthen our army more and more and we should recruit only faithful persons in our forces.

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। अब तक देश की सीमा सुरक्षा की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता रहा है और देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में हम अत्यधिक चिन्तित हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि सीमा सुरक्षा बल में भी सेना की तरह का अनुशासन, सुविधाएं, शस्त्र और अधिकारी होने चाहिये। यह बात कुछ लाभप्रद दिखाई देती है परन्तु वास्तव में ऐसा करने से दूसरे देशों में यह भ्रान्ति उत्पन्न हो सकती है कि सीमा सुरक्षा सेना के पीछे नियमित सेना तैनात है। इस प्रकार एक संदेह पैदा हो जायेगा जो देश के हित में नहीं है। सीमा सुरक्षा बल का कार्य सीमित है। वह सुरक्षा बल है और वे लोग किसी संगठित आक्रमण से देश की रक्षा नहीं कर सकते। इस बल की पुलिस की अपेक्षा कुछ अधिक

शक्ति होनी चाहिये और साथ ही सेना की अपेक्षा कुछ कम होनी चाहिये। इस बल के सम्बन्ध में प्रशिक्षण तथा भर्ती में बड़ी सावधानी बर्ती जानी चाहिये। उन्हें सीमा पर जीप द्वारा गश्त लगाने तथा सेना की पिछली टुकड़ियों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की भी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिये।

यह कहा गया है कि भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान के सीमा सुरक्षा बल के साथ गठजोड़ किया हुआ है, वे तस्कर व्यापार की छूट देते हैं और वे कमीशन लेते हैं। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। यह प्रस्तुत उपबन्धों की क्रियान्विति पर निर्भर करता है। इस सम्बन्ध में कड़ा से कड़ा दंड देने की व्यवस्था की जा सकती है।

यह कहा गया है कि हमें सीमा पर शरणार्थियों को बसाना चाहिये। इसका अर्थ यह होगा कि हम दूसरे देश से आये हुए लोगों को अपने देश की जनता की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय समझते हैं। फिर शरणार्थियों में घुसपैठिये भी हो सकते हैं। इसलिये तथाकथित भूतपूर्व सैनिक भी वहां पर नहीं बसाये जाने चाहिये। अतः मेरे विचार में यह संकल्पना ही ठीक नहीं है। यदि हमें देश का ध्यान करना है तो हमें सीमा को दोनों ओर से बन्द कर देना चाहिये। हमें अल्पसंख्यकों पर विश्वास रखना चाहिये। यदि वे देशद्रोही हैं तो उन्हें विचारण के बाद दोषसिद्ध करके फांसी दे दी जानी चाहिये अन्यथा उन पर संदेह नहीं करना चाहिये।

श्री तन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिये इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के पास भेज देना चाहिये। विधेयक में प्रयुक्त शब्दों से प्रतीत होता है कि इस विधेयक का मसौदा जल्दी में तैयार किया गया है। 'निलम्बन' शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया गया है, उस अर्थ में उसे कोई नहीं समझता है। इसी प्रकार 'पता लगाना' शब्द का प्रयोग भी ठीक ढंग से नहीं किया गया। इस प्रकार विधेयक की भाषा दोषपूर्ण है।

यह विधेयक केन्द्रीय सरकार के एक सशस्त्र बल के संगठन और विनियमन के बारे में है जिससे भारत की सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस बात का "उद्देश्यों और कारणों के विवरण" में उल्लेख नहीं किया गया; उसमें केवल "भारत–पाकिस्तान सीमा" का उल्लेख किया गया है। इन बातों से पता चलता है कि इस विधेयक का मसौदा जल्दी में तैयार किया गया है जिसके फलस्वरूप विधेयक के नाम तथा "उद्देश्यों और कारणों के विवरण" में कोई समन्वय नहीं हो सका। इसलिये संयुक्त प्रवर समिति को भेजने से इस विधेयक में इन बातों के साथ-साथ और बातों का भी सुधार हो जायेगा। इस विधेयक में बहुत सी बातों को नियम बनाने वालों के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है। अधिनियम में उसका सार तो अवश्य दिया जाना चाहिये। इसीलिये मैं उसे संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजने का सुझाव दे रहा हूं।

सीमा सुरक्षा बल लगभग सभी देशों में है। सेना और सीमा सुरक्षा बल के बीच क्या सम्बन्ध हैं, उन्हें विधेयक में स्पष्ट किया जाना चाहिये था। इस बात को नियम बनाने वालों पर नहीं छोड़ देना चाहिये था। सीमा सुरक्षा बल केवल पुलिस बल ही नहीं बल्कि वास्तविक बल और आवश्यकता पड़ने पर आक्रमण का जवाब देने वाला बल

होना चाहिये। किसी भी दिशा से हमारे क्षेत्र में घुसपैठिये आने की दशा में सीमा सुरक्षा बल को प्रतीक्षा नहीं करते रहना चाहिये। यदि उन्हें उपयुक्त हथियार न दिये गये तो उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों को यह महसूस करना चाहिये कि उनका महत्व भी सेना से किसी प्रकार कम नहीं है।

विशेष सशस्त्र पुलिस की यह शिकायत है कि उन्हें उपयुक्त हथियार नहीं दिये जाते। वे सोचते हैं कि सेना की अपेक्षा उनका महत्व कम है। इस प्रकार उनके मन में निराशा की भावना व्याप्त है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि उन्हें उचित सम्मान दिया जाना चाहिये।

निःसंदेह सीमा सुरक्षा बल को दो भागों में विभक्त करना होगा—एक राजपूताना, गुजरात आदि मैदानों की समस्याओं का समाधान करेगा और दूसरा भाग पहाड़ी सीमा क्षेत्रों की रक्षा करेगा जिसे सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त होगा।

सीमा सुरक्षा बल में भर्ती के लिये चुने जाने वाले व्यक्तियों की अच्छी प्रकार से छानबीन की जानी चाहिये।

Shri Hem Raj (Kangra): I am thankful to Shri Chavan for introducing this Bill in the House. It is said that this Bill has been brought late. It was the demand of every State that the expenditure spent upon Border Forces should be borne by the Centre. At the time of Pakistan aggression in 1965, the Central Government felt that the Border Security Force should come under the Centre.

The different services of Conditions prevailing in the Country for the police of different states should be abolished. It creates a feeling of hatred amongst them.

There should not be lot of difference between the Services and conditions of the army and police working in the border areas.

Out of the 8 thousand Emergency Commissioned Officers, only 50 percent have been absorbed so far.

The bad elements on the border areas should never in any case be taken in the Border Security Force.

People on the border areas desire that a training of at least fifteen days every year should be given to them.

There should be Co-ordination between the Police and the Border Security Force.

The Bill has been brought at an appropriate time and it should be passed. It is not necessary to refer the Bill to the Select Committee.

Shri Jharkhande Rai (Ghosi): When the Army is there to protect our borders what is the necessity of Border Security Force? With the duplication like this the expenditure increases.

The Security Force is being formed. Difference between this Force and the PAC should be cleared.

It is very clear that the police is a state subject. Then whether it has been formed with a view to by pass it. It the Government intention is not to by-pass regions Armed Constabulary and it is firm determined to form the Border security Force then it should be given the same facilities as are available to the Army. The work that of army should be taken from them.

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh): There is nothing like state or Central Administration in this Bill. It has been said correctly in this Bill that the Security Force should be made powerful. It is a praise worthy step taken by the Home Minister.

The Police established internal law and order. Formation of Security Force is worth welcoming.

The China and Pakistan are trying to create tension on our territories for quite sometimes.

Situation on our borders is critical and there is a feeling of insecurity. This Security Force Army will prove very useful there . We should not look it upon the political point of view. Taking into Consideration the situation alone the NEFA border it is essential that we may post powerful armymen to whom full facilities have been given, at the borders.

Border Security Force is a praiseworthy step .]

Rajasthan has a long boundary and it has not been protected properly. As a result of it the Pakistani are making assaults there. There is no transport facilities available. To increase the moral of the citizens living there, we should try to provide all facilities at the Rajasthan border areas . Border Security Force should be provided with more arms and ammunition .

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
(**Mr. Deputy Speaker** in the Chair)

Unless all these facilities provided the work of Security will be incomplete .

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : प्रश्न यह पूछा जाता है कि इस बल का कार्य क्या है, यह नामकरण का प्रश्न नहीं है । अन्त में इसका स्वरूप इसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों से निश्चित किया जाना है ।

यह पुलिस बल नहीं है क्योंकि यह पुलिस का काम नहीं कर रहा है । यह एक सेना भी नहीं है क्योंकि यह सेना का काम नहीं कर रहा है । यह कार्य न तो पुलिस का है और न सेना का। वह स्वयं में एक अलग कार्य है । गत 20 वर्षों की सीमा समस्याओं के अनुभवों के आधार पर यह बल बनाया गया है ।

इस बल को बनाये जाने से पूर्व विभिन्न राज्यों में किसी प्रकार की आरक्षण पुलिस बल या सीमा पुलिस बल रखे जाने के उनके कार्य में समन्वय करना कठिन है । अतः 1965 के आरम्भ में इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया और इस समस्या के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिये कुछ अध्ययन-दल नियुक्त किये गये और अन्त में वर्ष 1965 में यह बल गठित किया गया ।

अब प्रश्न यह उठता है कि इस बल का क्या कार्य है ? जैसा कि कुछ सदस्यों ने विचार व्यक्त किये कि यह सच है कि यह बल रक्षा की पहली पंक्ति होगा क्योंकि किसी आक्रमण का सबसे पहले इसे ही सामना करना पड़ेगा। यदि सेना और सीमा सुरक्षा बल में सहयोग नहीं होगा तो सरकार समाप्त हो जायेगी । इस बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको ऐसे अस्त्र शस्त्र दिये जाने चाहिये जो आवश्यक हों और जिससे वे पहला आक्रमण सहन कर सकें। कुछ उदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें पुराने अस्त्र-शस्त्र दिये गये हैं। यह किसी तथ्य पर आधारित नहीं है। उनको आधुनिक अस्त्र सप्लाई किये जाते रहेंगे ।

यह आवश्यक है कि उनके लिये उचित वाहनों की व्यवस्था की जाये । उनको उचित वाहन देने में कमी हो सकती है । इस मामले में ध्यान दिया जायेगा । वाइनांकुलर की कमी के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये गये हैं। कुछ के स्थान पर दूसरे वाइनाकुलर देने की व्यवस्था की गई है और वाइनाकुल रक्षा मंत्रालय से प्राप्त किये जा रहे हैं। समस्त सुरक्षा बल की अपनी संचार व्यवस्था है । उसका मुख्यालय सीमावर्ती क्षेत्रों में घटित होने वाली घटनाओं की न्यूनतम समय में सूचना प्राप्त करता है।

कुछ सदस्यों ने गुप्तचर विभाग की चर्चा की है । सीमा सुरक्षा बल अपनी निजी गुप्तचर व्यवस्थाएं करता है । यह आगे से सूचना प्राप्त करने का प्रयास करता है। इनकी गुप्तचर व्यवस्था में सुधार किया जाना आवश्यक है । इसमें समय-समय पर सुधार किया जाता रहेगा।

जहां तक प्रशिक्षण का प्रश्न है, हमारे कुछ आधुनिक संगठन हैं जहां एक जैसे अस्त्र-शस्त्र का समान रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है । हमारे तीन प्रशिक्षण केन्द्र टनकपुर, हजारीबाग, और इन्दौर में स्थिति हैं ।

श्री सोमानी ने बड़ी विद्वतापूर्ण तथा रोचक बात कही है कि अब हमारे पास तीन सामान्य प्रशिक्षण केन्द्र हैं तो कई क्षेत्रों की विशिष्ट समस्यायों के बारे में क्या होगा क्योंकि सीमा सुरक्षा बल को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु, क्षेत्र आदि से दो चार होना पड़ेगा । सीमा सुरक्षा बल ने इस बारे में भी विचार किया तथा इन तीन महत्वपूर्ण केन्द्रों के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों को इस समस्याओं के हल करने के लिये विभिन्न स्थानों पर 8 अन्य केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं तथा विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है ।

कई सदस्यों ने भर्ती के बारे में भी कुछ बातें कहीं हैं। हम इन पर विचार कर रहे हैं। एक सुझाव था कि भर्ती देहाती क्षेत्रों से हो। भर्ती तो सभी क्षेत्रों से होनी चाहिये परन्तु यह नहीं माना जा सकता कि एक स्थान की सीमाओं के लिये वहीं के व्यक्ति भर्ती किये जायें । हां यह ठीक है कि कई प्रकार के लोगो में इस सम्बन्ध में विशिष्ट गुण होतें हैं तथा उन्हें अवसर दिया जाना चाहिये। यह प्रयत्न किया जा रहा है तथा हम हर वर्ष 700 व्यक्ति इन केन्द्रों के लिये प्रशिक्षित करते हैं।

कुछ सदस्यों ने वेतन तथा सेवा के बारे में जिक्र किया। वास्तव में ही ये बातें महत्वपूर्ण हैं तथा हम इन पर विचार कर रहे हैं।

कुछ सदस्यों ने आवास का प्रश्न उठाया । यहां मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सीमाओं के साथ-साथ हमारी टुकड़ियों के मुख्यालय हैं तथा वहां एक सुयोजित योजना के अन्तर्गत आवास का कार्य हो रहा है । इस वर्ष हमारी योजना एक करोड़ रुपये खर्च करने की है । हमें आशा है कि हम अधिक धन प्राप्त करके इस सारी योजना को 1 वर्ष के अन्दर-अन्दर पूर्ण कर लेंगे। यदि ऐसा सम्भव हुआ तो यह आवास की समस्या भली भांति हल हो सकेगी।

राजस्थान के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वहां जो सड़कों की समस्यायें हैं उनके हल के लिये भी हमने एक सुयोजित कार्यक्रम तैयार कर रखा है और वह लागू हो रहा है ।

यह भी विचार व्यक्त किया गया है कि विधेयक का मसौदा बड़ी ढिलाई के साथ तैयार किया गया है परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि इस अधिनियम की कोई धारा मूल रूप से तैयार नहीं की गई है प्रत्येक धारा वायु सेना अधिनियम या सेना अधिनियम से चुन-चुन कर उद्धृत की गई है ।

यदि आप वायु सेना अधिनियम 1950 अथवा सेना अधिनियम 1950 देखें तो आपको वही धाराएं दिखायी देंगी। अतः यह विधेयक बड़ी ही सवधानी तथा सतर्कता से तैयार किया गया है ढिलाई से नहीं इसमें वर्णित तथा इस से सम्बन्धित हर पहलु पर ध्यान से विचार किया गया है । अतः जब मैंने कहा कि उसे प्रवर समिति के पास भेजने की आवश्यकता नहीं तो इसका यह अर्थ नहीं कि मैं इसे प्रवर समिति के पास भेजने से डरता हूं बल्कि स्पष्ट है कि इसे वहां भेजने की आवश्यकता ही नहीं है ।

इस विधेयक में वर्णित शब्द "लज्जाजनक" आदि शब्दों पर आपत्ति की गई है । परन्तु ये शब्द सीमा सुरक्षा बल के विरूद्ध नहीं प्रत्युत कुछ गतिविधियों के संदर्भ में प्रयुक्त किये गये हैं। ये शब्द, वस्तुतः नये नहीं हैं बल्कि पहले बने अधिनियमों में से अक्षरशः नकल किये गये हैं । उदाहरणार्थ, वायु सेना अधिनियम की धारा 34 के अनुसार :

"लज्जाजनक ढंग से किसी सैन्य समूह किले-बन्दी, किले आदि को छोड़ देता है"

इस विधेयक की उपधारा 14(a) भी प्रायः इसी प्रकार है ।

किसी भी अपराध की गम्भीरता का अंकन करने के लिये उपयुक्त शब्दावली की आवश्यकता रहती है । अतः हमें ऐसे शब्दों को स्थान देना होता है । अधिनियम तो एक कानूनी दस्तावेज़ होता है कोई साहित्यक प्रबन्ध नहीं होता। फिर ये तीनों बल प्रायः एक जैसे हैं तो इनसे सम्बन्धित नियमों में भी प्रायः वही शब्दावली प्रयुक्त होना स्वाभाविक ही है ।

इसके अतिरिक्त इस अधिनियम पर बटेलियन के स्तर तक विचार किया गया है तथा अधिकारियों से इस पर चर्चा भी की गई है । हमने इसको पूरे विस्तार से जांचा है । इस विधेयक में सीमा सुरक्षा बल को समस्त सीमाओं की रक्षा करने का भार सौंपने के विधान हैं । यही मेरा स्पष्टीकरण है ।

अतः मैं यह सुझाव स्वीकार नहीं कर सकता कि इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाये ।

संशोधन संख्या 1 और संख्या 2 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment No. 1 and No. 2 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि भारत के सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों के लिये एक संघ का सशस्त्र दल बनाने सम्बन्धी विधेयक के गठन तथा विनियमन का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एम० रामास्वामी) : मैं संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करता हूं :

संशोधन प्रस्तुत किया गया

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 23 से 27 के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायें :

'(W) "Superior officer," when used in relation to a person subject to this Act, means

(i) any member of the force to whose command such person is for the time being subject in accordance with the rules ;

(ii) any officer of higher rank or class or of a higher grade in the same class;

and includes when such person is not an officer, a subordinate officer or an under-officer of higher rank, class or grade' ;

(K. S. Ramaswamy)

'[(डब्ल्यू) इस अधिनियम के अधीन वर्णित व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रयुक्त "वरिष्ठ अधिकारी" से अभिप्राय है :—

(i) इस बल का कोई सदस्य जिस की कमा : न ऐसा कोई व्यक्ति उस समय के लिये नियमों के अन्तर्गत अधीनस्थ है;

(ii) उसी श्रेणी का कोई उच्च पद, श्रेणी अथवा ऊंचे वेतनमान वाला अधिकारी; और यदि ऐसा व्यक्ति कोई अधिकारी नहीं है, तो इसमें किसी उच्च पद, श्रेणी अथवा वेतनमान वाला अधीनस्थ अधिकारी अथवा अधीन अधिकारी भी शामिल है।]'

(के० एस० रामास्वामी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खंड 2 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

धारा 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2, as amended was added to the Bill

धारा 3 से 6 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clauses 3 to 6 were added to the Bill

धारा 7 (भारत से बाहर सेवा करने का दायित्व)

Shri Abdul Gani Dar : I want to move amendment No. 15, page 5 line 2, which stands in my name . I want to suggest that the B.S.F. may be allowed to work outside India only in very specific consequences. For the action outside India, our army is there.

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The motion was put and negatived

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा 16 की दूसरी पंक्ति के पश्चात् यह रखा जाये :—

> "शर्त यह है कि बल के किसी भी सदस्य को भारत के किसी भी उस भाग में सक्रिय कार्य के लिये नियुक्ति नहीं किया जायेगा जोकि सीमा से पांच मील से अधिक दूरी पर होगा ।

सीमा सुरक्षा बल का कार्य सीमाओं पर है और इसी वास्ते यह बल स्थापित हुआ है । देश के भीतरी क्षेत्रों में तस्करी आदि के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अव्यवस्था भी फैली है । हमें पहले देश के भीतर की व्यवस्था इस बल के माध्यम से ठीक करनी है । परन्तु यह बल तो कदाचित केन्द्र सरकार की ही रक्षा हेतु बनाया गया है । यदि ऐसा ही उद्देश्य है तो इसका नाम बदल केन्द्र सुरक्षा बल रख दीजिये ।

डा० रानेन सेन : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

गृह-कार्य मंत्रालय के एक प्रतिवेदन में कहा गया हैकि सीमा सुरक्षा बल को कई राज्यों में हुए नागरिक उपद्रवों को समाप्त करने के लिये प्रयुक्त किया गया। इसीलिये यदि यह संशोधन प्रस्तुत किया गया कि सीमा बल सीमा से पांच मील से अधिक दूर के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां न रखे तो मैं नहीं समझता कि गृह-कार्य मंत्री को इसे स्वीकार करने में क्या कठिनाई अनुभव होती है, क्योंकि विधेयक के उद्देश्यों के अनुसार सीमा सुरक्षा बल का कार्य सीमाओं की सुरक्षा करना है और उन्होंने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं वास्तव में इस का उत्तर देना चाहता था तथा उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा म था । और इसका उत्तर बाद में अवश्य दूंगा। परन्तु जहां तक सीमाओं पर हो रही तस्करी के बारे में प्रश्न है मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि सीमा सुरक्षा बल ने इस सम्बन्ध में बहुत ही अच्छा कार्य किया है तथा वर्ष 1967 में 5,60,000 रुपये की कीमत के माल की तस्करी पकड़ी ।

इस के लिये उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ा। इस बल के अनेक सदस्य घायल हुए तथा कई की जानें भी गईं।

माननीय सदस्य सीमा सुरक्षा बल के कार्य को सीमा से केवल पांच मील की परिधि तक सीमित करना चाहते हैं ताकि वह अथवा उनके मित्र देश में गड़बड़ी उत्पन्न कर सकें।

कई बार स्थिति ऐसी होती है कि सीमाओं पर दूसरे बल भी भेजे जाते हैं यद्यपि नियमानुसार उनके कार्य दूसरे हैं। और इसी प्रकार सेना भी आकर असैनिक शक्ति और प्राधिकार देती है। अतः यदि कभी वह क्षेत्र से बाहर आकर भी कार्य करता है तो यह भी उनका कर्तव्य है।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The motion was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि धारा 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

धारा 7 विधेयक में जोड़ी गई

Clause 7 was added to the Bill

धारा 8 से 12 विधेयक में जोड़ी गई

Clause 8 to 12 were then added to the Bill

धारा 13 –(संस्थाएं बनाना तथा वाक् स्वतंत्रता आदि के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध)

श्री अब्दुल गनी दार : मैं संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूं :

इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार को अन्तिम निर्णय अपने हाथ में न रखकर सर्वोच्च न्यायालय को होना चाहिये ।

श्री यशवन्तराव चव्हान : मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बल के सदस्य का किसी संस्था अथवा कर्मचारी संघ के सदस्य बनने से सम्बन्धित है और इस बारे में सन्देह हो सकता है कि आया कि वह संस्था सामाजिक, धार्मिक आदि है । अतः इस बारे में निर्णय केन्द्रीय सरकार ही करेगी ।

Shri George Fernandes (Bombay South) I support the amendment but I want to oppose this whole clause . There are one crore Government servants in India today who have no political rights. They can form their organisation but they cannot become members of a political party or cannot attend the meeting of the party .

In West Germany the regular army is a member of the trade union. From sweeper to pilot and from hospital workers and civil servants working in Embassies are the members of their Public Service Unions From Major General to ordinary Soldier all can became the members of the trade Union. This has caused no harm to the democracy there.

The similar position is of Israil. There even the Commander in Chief can become the member of the political party. And this has caused no harm to the democracy there. In our country even if the sweeper on strike it is thought as if the democracy has come to a danger. There is a neceessity to change such a mentality . I request the hon. Home Minister to remove this clause or atleast to change it . A man is recruited in the Army, he is always ready to sacrifice his life for his country but it does not mean that the right to exploit the soldier has come into the hands of the rulers. He should get all the facilities which the people in other sections of the society get .

The Border Security Force should get all the facilities which the working class gets in the public or private sector. If they will not be provided with all these facilities and rights it will be injustice towards them . Therefore I oppose this clause .

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : प्रश्न यह है कि क्या सैनिक बलों और सेवाओं के कर्मचारियों को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनने की अनुमति दी जाय ? जैसी राजनीतिक सरकार हमारी है, जैसे राजनीतिक प्रजातन्त्र में हम काम कर रहे हैं मैं सोचता हूं ऐसा करना उचित नहीं है । पश्चिमी जर्मनी तथा इजराइल की प्रजातन्त्रता मेरे लिए आदर्श नहीं है । अतः, मैं इसका विरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अब्दुल गनी दार की संशोधन संख्या 17 को सभा में मतदान के लिए पेश करता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted .

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 13 was added to the Bill

खण्ड 14

उपाध्यक्ष महोदय : श्री साल्वे के तीन संशोधन हैं । वे प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं । श्री अब्दुल गनी दार के तीन संशोधन हैं, क्या वह उनको प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : जी हां । मैं अपने संशोधन संख्या 18, 19 और 20 को प्रस्तुत करता हूं । मैं चाहूंगा कि वह मेरे इन तीनों संशोधनों को मंजूर कर लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं । अब मैं संशोधन संख्या 18–20 को सभा में मतदान के लिए पेश करता हूं ।

संशोधन प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted .

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ा गया ।

Cluse 14 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : श्री साल्वे यहां नहीं हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 15 was added to the Bill

खण्ड 16 से लेकर 138 तक विधेयक में जोड़े गये ।

Clauses 16—138 were added to the Bill.

खण्ड 139—(सुरक्षा बल के सदस्यों को दिये जाने योग्य अधिकार और उनसे अपेक्षित कर्त्तव्य)

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं अपनी संशोधन संख्या 21 को पेश नहीं कर रहा हूं । मैं अपनी संशोधन संख्या 22 को प्रस्तुत करता हूं ।

खण्ड 139 के अनुसार सुरक्षा बल के अधिकारियों तथा कभी-कभी अन्य रैंकों के अधिकारियों को राज्यों के पुलिस बल के साथ मिलने-जुलने की अनुमति दी गई है ।

पुलिस बल के कार्यों और कर्त्तव्यों तथा जिस वातावरण में वे रहते हैं तथा कार्य करते हैं और जैसा उनका मनोविज्ञान है उसमें और सुरक्षा बल के कार्यों और कर्त्तव्यों तथा उनकी मनोवैज्ञानिकता में भेद है । यदि सुरक्षा बल के अधिकारियों का राज्य पुलिस के अधिकारियों के साथ विनिमय किया जाय या उनको राज्य पुलिस अधिकारियों के स्तर तक लाया जाय तो इससे राज्य पुलिस को हानि होगी और इससे भी अधिक हानि सीमा सुरक्षा बल को होगी, अतः इस प्रकार का विनिमय न तो राज्य पुलिस और न ही सीमा सुरक्षा बल के कुशलतापूर्वक कार्य करने में सहायक होगा ।

यदि सरकार किसी प्रकार का विनिमय चाहती है तो सशस्त्र बलों के और सीमा सुरक्षा बलों के अधिकारियों का विनिमय किया जा सकता है लेकिन सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों की राज्य पुलिस के अधिकारियों के साथ अदला-बदली नहीं होनी चाहिये ।

सीमा सुरक्षा बल को अपना ध्यान सीमा सुरक्षा कार्य पर केन्द्रित करना चाहिये, यह कार्य स्वयं बहुत महत्वपूर्ण है । लेकिन इसके विकास और विस्तार की आवश्यकता है, इसका विकास किया जाना चाहिये चाहे इस पर कितना ही खर्च क्यों नहीं आये । सरकार कहती है कि वे उनको सिविल प्राधिकार की सहायता के लिए बुला सकते हैं जैसे कि वे नियमित सशस्त्र बल को बुलाते हैं, लेकिन यदि इसको सिविल प्राधिकार की सहायता के लिए बुलाया जाता है तो इसे उन्हीं शर्तों तथा प्रक्रियाओं से बुलाया जाना चाहिये जिनके माध्यम से सशस्त्र बलों को सिविल प्राधिकार की सहायता के लिये बुलाया जाता है ।

हम चाहते हैं कि इस बल को सम्पूर्ण देश का उसी प्रकार सम्मान प्राप्त हो जैसे कि सशस्त्र बलों को प्राप्त है ।

Shri George Fernandes (Bombay South) : If the Border Security Force to whom we want to keep in the border areas and want to entrust the responsibility of the protection of the

country, is used to finish the strikes of the labourers and the movements of the farmers, the question is not whether they will use guns against them or not but the question is that of the moral of our force. The use of guns aginst the Common Citizens should be checked.

Shri Sheo Narain (Basti) : This Force will be used when such a need will arise We must send the Force to face the Pakistanis and Chinese.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) मैं नहीं सोचता कि यह संशोधन आवश्यक है क्योंकि वह इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं कि सीमा सुरक्षा बल का उपयोग किसी भी आन्तरिक सुरक्षा कार्य के लिये किया जा सकता है। यह उपबन्ध केवल उसी प्रकार के कार्य के लिए है न कि अन्य सिविल किस्म के पुलिस जांच कार्यों के लिए, इसी खण्ड के उपखण्ड 3 के अनुसार इस धारा के अन्तर्गत दिये गये प्रत्येक आदेश को संसद् की दोनों सभाओं में पेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा। जब कभी सरकार इस आधारभूत कार्य से अलग होती है तो उसे भी सभा के सम्मुख आना पड़ेगा और सभा आदेशों की छानबीन करेगी। मैं नहीं सोचता कि यह संशोधन आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह संशोधन संख्या 21 है ?

श्री बल राज मधोक : मैंने अपनी संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत नहीं की थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 139 के संशोधन संख्या 22 को सभा में मतदान के लिए पेश करता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 139 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 139 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 139 was added to the Bill

खण्ड 140 से लेकर 141 तक विधेयक में जोड़े गये

Clauses 140 to 141 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 142 के लिए एक सरकारी संशोधन है।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 49, पंक्ति 10—

[Appointed (नियुक्त किया गया) शब्दों के स्थान पर "Appointed or, as the case may be enrolled" "नियुक्त किया हुआ, अथवा जैसा भी मामला हो, नाम दर्ज किया हुआ] (14) शब्द रख दिये जायें।

इस संशोधन का प्रयोजन इस अधिनियम को सीमा सुरक्षा बल में नियुक्त किये गये तथा नाम दर्ज किये गये (सूचीबद्ध) दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर लागू करने का है।

उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है:

पृष्ठ 49 पंक्ति 10—

[Appointed (नियुक्त किया हुआ) के स्थान पर "Appointed or as the case may be enrolled' 'नियुक्त किया हुआ अथवा जैसा भी मामला हो नाम दर्ज किया हुआ)]. (14) रखा जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 142 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 142 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 142 as amended was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गयें।

Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

श्री लोबो प्रभू (उदीपी): जब हम विध्वंशक कार्यों से रक्षा चाहते हैं तो हमें सीमा बल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यह सीमा बल सेना और पुलिस दोनों पर प्रतिबिम्ब फेंकता है। ऐसी विचारधारा है कि राज्य पुलिस एक प्रकार की राजनीतिक पुलिस है और इन मामलों में इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारी राज्य पुलिस समय से कई दशाब्दियों पीछे है। वह समुचित रूप से सुसज्जित नहीं है। उनके पास मोटर साइकिल नहीं है। यदि राज्य पुलिस को सीमा पुलिस के स्तर पर लाना है तो उसे समुचित उपकरण दिये जाने चाहिये। सीमा पुलिस हमारी रक्षक है। हम सीमा पुलिस को सीमाओं पर तैनात कर रहे हैं जहां शत्रु का प्रथम वार पड़ सकता है। सेना को पहले वार का सामना करना चाहिये न कि सीमा पुलिस को क्योंकि सीमा पुलिस इतनी शक्तिशाली नहीं है। पहले वार का उत्तर उसे ही देना चाहिये जो इस कार्य के लिये समर्थ हो।

Shri Chandrika Prasad (Balia) : I welcome this Bill. This is an important Bill which should be supported by everybody.

Sugar, rice and wheat are being smuggled to China via Gorakhpur. Transistors and watches etc. are being smuggled into India from China. The work of checking the smuggling of these goods should also be entrusted to Border Security Force.

The people of our area should be given preference in the matter of recruitment in Border Security Force.

The Border Security Force has done appreciable work on our borders. The District authorities should be directed to look after the welfare of the families of the soldiers working in the Force.

This Force should be supplied modern weapons, jeeps and helicopters so that it may be able to defend our borders properly.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It would have been better had this Bill been referred to a select Committee where its provisions could have been discussed properly.

Army, Border Security Force and state Police defend our borders. There may be conflict between this Force and State Police especially when the Force tries to check smuggling. If this Force does not get assistance from Government, it may be possible that it may not achieve that objective for which it is being formed.

To keep up the morale of this Force, we should be politically determined to defend our borders. The Government should be clear in its mind about the borders of our country. Only then we will be able to defend our borders by boosting up the morale of this Force.

Shri George Fernandes (Bombay South): The Border Security Force will be able to defend our borders only when Government is quite clear in her mind about our borders. The Government has not got definite information about our borders in Kutch and Kashmir.

An officer of the Border Security Force, who was passing through Rann of Kutch, had to commit suicide because he lost his way and no assistance was provided to him. I would like to know from the Home Minister what action he has taken in this matter.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : यदि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाता तो अधिक अच्छा होता ताकि इसमें आवश्यक सुधार किये जाते ।

पाकिस्तान को रूस से नये हथियार मिल जाने के कारण उसका जो हौसला बढ़ गया है, उसको ध्यान में रखते हुए सीमा सुरक्षा का महत्व बढ़ गया है । इसलिए यह बिल्कुल उचित है कि सरकार सुरक्षा बल का प्रयोग प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में करे । सेना को यह फैसला करने की आजादी होगी कि बड़ा हमला कहां से होगा और उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिये ।

यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि क्या इस बल को भारत से बाहर भेजा जा सकता है और कहां तथा किस काम के लिये भेजा जा सकता है ।

इस बल के वे सभी दायित्व होंगे जो समस्त बलों के हैं और उसमें पुलिस बल के सभी दोष होंगे । इस मामले पर विचार किया जाना चाहिये ।

सरकार को सीमा सुरक्षा के बल के जवानों पर मद्यनिषेध नहीं थोपना चाहिये ।

[श्री नाथ पाई]

इस बल में भरती करते समय ग्राजाद हिन्द फौज के लोगों को नहीं भुलाया जाना चाहिये । निस्संदेह उन लोगों को जिन्हें सेना से निकाला जा रहा है रोजगार देना ठीक है । लेकिन प्राथमिकता ग्राजाद हिन्द फौज के लोगों को दी जानी चाहिये । स्थानीय लोगों को भी प्राथमिकता देनी होगी । स्थानीय लोगों को हमले का सामना करना पड़ेगा । सीमावर्ती क्षेत्र में प्रत्येक पुरुष ग्रौर महिला को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ताकि वे इ स बल की बुनियाद बनें ।

[ग्रध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

Mr. Speaker ***in the Chair***

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्रीमन्, मैं निर्देशित किये हुए बहुत सी बातों का उत्तर नहीं देना चाहता । मैंने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए मना नहीं किया था । इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि मुझे प्रवर समिति के पास जाने का भय लगता था । परन्तु मैंने सोचा कि प्रवर समिति के पास जाने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है क्योंकि सारे प्रश्नों पर यहीं विचार हो सकता था ।

महराष्ट्र में मेरी उपस्थिति में उन्होंने किसी वक्तव्य के बारे में जो व्यक्तिगत बात कही थी उसके बारे में .....

श्री नाथ पाई : वह ग्रापका ही साथी है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: ग्रापका भी साथी है । यह कांग्रेस दल के कार्यकर्ताग्रों की समिति सभा थी जिसमें ग्रपने गुण-दोषों पर विचार किया गया था । इससे यह पता चलता है कि कांग्रेस दल में ग्रपने गुण-दोष पर विचार करने का साहस है । मुझे ग्राशा है कि ग्रगर ग्राप ग्रपने दल की बैठक में यही साहस दिखाग्रोगे तो ग्राप भी रम, राम, रमी में दिलचस्पी लेने लगोगे ।

ग्रध्यक्ष महोदय : विधेयक संशोधित रूप में पारित कर दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा ।

The motion was adopted.

ग्रंतर्राष्ट्रीय मंडियों में भारतीय चाय का मूल्य*

PRICE OF INDIAN TEA IN INTERNATIONAL MARKET*

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): ग्रध्यक्ष महोदय, मैं विशेषत: भारतीय चाय के बाजार के ढांचे के बारे में कहूंगा जो कि इस देश में निर्यात व्यापार के क्षेत्र में एक मुख्य वस्तु रही है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रब हम चाय के ऊपर बहस कर रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन्, वे इसके ग्रार्थिक पक्ष की ग्रोर ध्यान नहीं देते हैं । इस चाय के व्यापार में लाखों व्यक्ति ग्रौर ग्ररबों रुपया लगा हुग्रा है । मैं बताऊंगा कि सरकार ने किस तरह से इसकी उपेक्षा की हुई है । कभी-कभी यह ग्रज्ञानता या उन लोगों पर ग्रधिक भरोसा रखने से भी होता है जिनको इनका ग्रनुभव नहीं है ग्रौर विदेशी एकाधिकारी के दबाव के कारण भी ऐसा होता है । मैं ग्रारोप लगाता हूं कि भारत सरकार चाय निर्यात व्यापार के मामले में विदेशी एकाधिकारियों के दबाव में ग्राई हुई है ।

*ग्राधे घण्टे की चर्चा ।

*Half an Hour Discussion.

चाय का बाजार ढांचा अंग्रेजों के अनुकूल था क्योंकि उनके हमेशा दो संगठन होते थे, एक कम्पनी चाय का उत्पादन करती थी और वही कम्पनी उसको खरीदती व बेचती थी। परन्तु समय के साथ-साथ यह कार्यपद्धति बन्द हो गई। परन्तु सरकार ने कभी यह जानने का प्रयत्न नहीं किया कि हमें करोड़ों रुपयों का नुकसान क्यों हो रहा है।

मेरे सरकार के विरुद्ध दो मुख्य आरोप हैं। पहला आरोप यह है कि विदेशों में उपभोक्ता चाय के लिये जो मूल्य चुकाते हैं उसकी पूरी आय देश में नहीं आती है। पिछले वर्ष मैंने एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमें राजकोष में कितनी हानि हो रही है उसका विवरण था। परन्तु सरकार टस से मस नहीं हुई ।

दूसरा आरोप यह है कि सरकार विदेशों में गिरती हुई चाय की खपत को रोकने में पूर्णतया असफल रही है। इंगलैंड में भारतीय चाय की खपत गिरती जा रही है। वहां नई पीढ़ी चाय को पीना फैशन के प्रतिकूल समझती है। वहां काफी की खपत बढ़ती जा रही है। क्योंकि इसके उत्पादक उद्यमी हैं और और वे इसका जबर्दस्त प्रचार करते हैं। वास्तव में काफी बहुत लोगों द्वारा पी जाती है।

बाजार में एक जबर्दस्त प्रतिद्वन्दी भी आ गया है। वह अमरीका का फलों का रस है। जो पीने में बड़ा स्वादिष्ट है, तब कौन क्यों चाय पीयेगा। आपने इसमें कभी अनुसंधान और सुधार लाने का प्रयत्न नहीं किया जिससे कि यह प्रतिस्पर्द्धा पेयों के साथ कदम मिला कर चल सके।

इंगलैंड में मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि वहां चाय घर में जाना फैशन के विरुद्ध समझा जाता है और वे काफी हाउस जाना पसन्द करते हैं जहां की व्यवस्था बहुत अच्छी है।

चाय में कैफीन और टैनिन होता है इसलिए यह पी जाती है। एक दवा है और दूसरी उत्तेजित करने वाली है। अगर यह चाय के प्याले में पर्याप्त रूप से न डाली जाय तो इसमें स्वाद नहीं आता। बहुत बड़ी मात्रा में पुरानी चाय भेजी जाती है, चाय में अगर कैफीन और टैनिन ठीक से न मिलाई जाय तो इसमें स्वाद नहीं आता। इस तरह का निर्माण सी० टी० सी० कहा गया जाता है। आप क्यों नहीं इस ओर ध्यान देते हैं। इसके पदाधिकारी हर दो साल बदले जाते हैं। और वे सारे विश्व का दौरा करते हैं। परन्तु निर्यात कम होता जा रहा है। इसका फायदा क्या है। वे इसमें बुरी तरह से असफल रहे हैं। वे अपना कर्तव्य ठीक ढंग से नहीं निभा रहे हैं।

पैकिंग के लिए बहुत धन व्यय किया जा रहा है परन्तु मुख्य वस्तु की ओर कोई ध्यान नहीं देता। चाय पीने वाला चाय और उसके गुण को देखता है। परन्तु हम दूसरी वस्तुओं में अधिक धन व्यय करते हैं और चाय में कम।

श्रीमती इला पाल चौधरी (दार्जिलिंग) : दार्जिलिंग चाय के बारे में क्या हुआ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीलंका वाले चाय को लन्दन में 26 पैंस के हिसाब से बेच रहे हैं। हमें श्रीलंका जाकर उनकी कार्यपद्धति देखनी चाहिए। सरकार श्रीलंका में जो शिष्टमंडल भेजती है उसमें वे व्यक्ति शामिल होते हैं जिन्होंने 20 सालों से चाय की झाड़ी भी नहीं देखी है। शिष्ट-

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

मंडलों में केवल व नौकरशाह अधिकारी भेजे जाते हैं जो सुन्दर रीति से फाइल का काम कर सकते हैं; इससे लाभ के स्थान में हानि होगी ।

अफ्रीका की चाय पहले के मुकाबले में बढ़िया होती जा रही है । पहले यह चाय अच्छी नहीं थी और इसको पिया नहीं जा सकता था परन्तु अब आधुनिकतम यंत्रों से चाय का उत्पादन किया जाता है । सरकार को इस तरफ भी देखना चाहिए ।

बाजार में शक्तिशाली व धनी बिचौलिये हैं, सरकार इन लोगों की मेहरबानी पर निर्भर है ।

चाय की बिक्री बढ़ाने के लिये वैज्ञानिक प्रचार की बहुत आवश्यकता है । भारतीय चाय का समुचित रूप नहीं बताया गया है । सरकार इस बात को नहीं जानती कि विदेशों में इसका प्रचार कैसे किया जाना चाहिये । जिन लोगों को प्रचार कार्य में लगाया गया है उनको समुचित रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।

पैक की हुई चाय बागान केन्द्रों से सीधे निर्यात की जानी चाहिए ताकि इसकी ताजगी बनी रहे। निर्यात के लिए छोटे पैकेट होने चाहिएं । उन बिचौलियों को समाप्त कर देना चाहिए जिनकी वजह से हमें हानि उठानी पड़ रही है ।

चाय की किस्म में सुधार लाने के लिए इसमें अनुसंधान करना चाहिए । चाय में कृत्रिम सुगन्ध पैदा की जानी चाहिए ।

चाय और मोटी बनायी जानी चाहिए । इसे मद्यसार चाय के रूप में बनाया जाता चाहिए । हमें ठंडे पानी की तैयार चाय बनाने का भी प्रयत्न करना चाहिए ।

हमें लंका के साथ समझौता करना चाहिए और उनको इस बात के लिए राजी करना चाहिए कि वे निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम दाम पर चाय नहीं बेचेगा ।

हमें अपनी निर्यात की हुई चाय का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है । मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी तीन गुना बढ़ गई है परन्तु चाय का मूल्य वही है, इसलिए सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए ।

चाय केन्द्र घाटे में चल रहा है । इससे कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो रहा है । मुझे पता चला है कि टाइफून्स के शेयर बिक रहे हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी खरीद पर विचार करे ।

क्या सरकार को यह भी पता है कि इन्डोनेशिया में चाय के व्यापार में अमरीकी तथा जापानी पूंजीपति पूंजी लगा रहे हैं । इन्डोनेशिया हमारा सब से बड़ा प्रतिद्वन्दी है ।

यूरोप में बिकने वाली अधिकांश चाय इंग्लैण्ड की मारफत वहां पर जाती है । हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यूरोप के बाजारों में अच्छी किस्म की चाय जाये । हमें विपणन निगम बना कर पैकेजो में चाय बेचनी चाहिए । इससे उद्योग को सहायता मिलेगी और देश में अधिक धन आयेगा ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : न केवल उद्योगपतियों बल्कि श्रीलंका स्थित हमारे उच्चायुक्त द्वारा भी यह परामर्श दिया गया है कि उपभोक्त देशों को चाय बेचने के मामले में हमें श्रीलंका के साथ सहयोग करना चाहिए। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ।

Shri George Fernandes (Bombay-South): The workers of the Tea Board bave submitted a memorandum in which many charges have been levelled against the officers. I would like to know whether Government is taking any action on it to do away with the prevailing corruption in the Tea Board.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : श्री वसु द्वारा दिये गये रचनात्मक सुझावों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाना चाहिए । सरकार ने अच्छी किस्म की चाय के उत्पादन के लिये क्या कार्यवाही की है। अनुसन्धान तथा प्रचार के लिये क्या कार्यवाही की गई है। क्या सरकार उच्च वेतन पाने वाले नौकरशाहों के स्थान पर विशेषज्ञों को लगाने पर गम्भीरता से विचार कर रही है। यदि आवश्यक हुआ तो क्या सरकार बाहर से विशेषज्ञ मंगायेगी ।

श्री देवव्रत बरुआ (कलियाबोर): स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद भी हम चाय बागान को ब्रिटिश हितों से मुक्त नहीं करा सके। चाय में एकाधिकार को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है। चाय बोर्ड में ऐसे व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं जो ब्रुक बांड तथा लिप्टन के हितों को अधिक ध्यान में रखते हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मूलभूत समस्या यह है कि विश्व में भारत को चाय में एकाधिकार प्राप्त नहीं है। अफ्रीका के अनेक नये देशों से हमें मुकाबला करना पड़ रहा है। हम इस बात के प्रति जागरूक हैं कि यदि हमें अपने बाजारों को बनाये रखना है तथा नये बाजारों को ढूंढना है तो हमें चाय का एक स्टैंडर्ड बनाये रखना है ।

जहां तक अच्छी किस्म की चाय का प्रश्न है भारत का कोई प्रतिद्वन्दी नहीं है। हम विश्व में सब से अच्छी चाय का उत्पादन करते हैं। सस्ती चाय में हमें श्रीलंका तथा अन्य देशों से मुकाबला करना पड़ रहा है। अतः यही कारण है कि श्रीलंका के साथ मिल कर चाय को पैकेजों में बेचने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। जो देश पहले ही अपने पैकेट बेच रहे हैं उनमें कठिनाई उत्पन्न होती है। प्रशुल्क तथा गैर-प्रशुल्क की दरों में बाधायें उत्पन्न होती हैं। कई देशों ने भारत से जाने वाली चाय पर 5 प्रतिशत तक शुल्क लगा रखा है। यदि हम बड़े पैमाने पर पैकेजों में चाय बेचने का काम शुरू करें तो भी थोक व्यापारी का लाभ उन्हीं देशों को जायेगा।

एकाधिकारों का एक ग्रुप चाय के मूल्य निर्धारित करता है। हम इसको समाप्त करना चाहते हैं। चाय निर्यात करने वाले देश यदि एकत्र न हों तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। चाय निर्यात करने वाले सभी देशों को मिल कर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक मूल्य प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस वर्ष देश में चाय की खपत का एक नया रिकार्ड स्थापित हुआ है। इस वर्ष देश में लगभग 3,800 लाख किलोग्राम चाय की खपत हुई है। परन्तु हमें चाय की खपत के लिये नये बाजार भी ढूंढने होंगे। विश्व में चाय के मामले में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के बावजूद हमने अपने बाजारों को बनाये रखा है। हमने कई अन्य नई मंडियों में भी चाय का निर्यात किया है ।

[श्री मुहम्मद शफी कुरेशी]

चाय को बन्द डिब्बों में भेजने के बारे में सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है। परन्तु इस बारे में अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि प्रत्येक देश ने अपने डिब्बा बन्द करने वालों की सुरक्षा के लिए कानून बना रखे हैं।

भारत और श्रीलंका दोनों देश इस बात को महसूस करने लगे हैं कि चाय के मामले में मिलकर काम करना चाहिए। इस ओर दोनो देशों द्वारा कुछ प्रयत्न भी किये गये हैं।

जहां तक चाय बोर्ड में भ्रष्टाचार का प्रश्न है यदि कोई मामला मेरे समक्ष लाया जाता है तो उस पर अवश्य ही कार्यवाही की जायेगी।

हमने अब विश्व बाजार में इन्सटैन्ट चाय भी बेचनी आरम्भ कर दी है। इसमें पर्याप्त सफलता भी मिल रही है। मुझे पूर्ण आशा है कि हम विश्व में चाय के सब से बड़े उत्पादक की अपनी स्थिति को बनाये रखेंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 25 जुलाई, 1968 3 श्रावण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday, July 25, 1968/ Sravana 3, 1890 (Saka).